खण्ड-426, अंक-2
मंगलवार, 30 आषाढ़, शक संवत् 1920
(21 जुलाई, 1998 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1998)

खण्ड 426 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1998

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	घ—ङ
प्रश्नोत्तर	1—94
— नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	94
— जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत गवन्त नाला की सफाई हेतु स्वीकृत धन के दुरुपयोग की जांच कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94—95
— जिला झांसी के मौजा रुद्र पंचमहल में राजस्व परिषद के आदेश का पालन कराने एवं अवैध निर्माण हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95
— जनपद सीतापुर के हरगांव क्षेत्रान्तर्गत जलभराव की समस्या के निदान हेतु नाली बनवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95—96
— मेरठ के मेडिकल कालेज अस्पताल की व्यवस्था में सुधार की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
— जनपद बांदा में स्वच्छकार मुक्ति योजना में कथित घोटालों की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
— चतुर्थ दशम मण्डल सिंचाई कार्य आजमगढ़ में रिक्त सींच पर्यवेक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96—97
— प्रदेश में सहकारी शीतगृहों एवं प्राइवेट शीतगृहों में वर्ष 1997-98 में आलू सड़ जाने के कारण प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
— नेता विरोधी दल को उनकी गरिमा के अनुकूल आवास उपलब्ध कराये जाने की मांग	97—99
— प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न (जारी)	99—100
— श्री राम नक्षत्र सदस्य विधान सभा पर प्राण घातक हमला किये जाने की सूचना तथा उनकी सुरक्षा की मांग (जारी)	100—101
— प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न (क्रमागत)	101—105
— श्री राम नक्षत्र सदस्य विधान सभा पर प्राणघातक हमला किये जाने की सूचना तथा उनकी सुरक्षा की मांग	105
— वर्तमान सत्र में विभिन्न नियमों के अन्तर्गत दी जा रही सूचनाओं पर माननीय सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर होने विषयक औचित्य का प्रश्न	105

विषय सूची

	पृष्ठ-संख्या
— प्रत्येक वर्ष में सदन के 90 दिन के उपवेशन होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	106
— दिनांक 16 जुलाई, 1998 को शून्य काल में श्री ददू प्रसाद की सूचना पर मा० अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	106—107
— औचित्य के प्रश्न को उठाने का प्रयास	107—109
— उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (1997-98) का प्रथम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)	109
— लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के बारे में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा गलत उत्तर दिये जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार द्वारा दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना	109—110
— डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा के 5 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	110
— व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	110—111
— कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	111—115
— कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर सुने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	115—116
— कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)	116—128
— प्रदेश में अतिवृष्टि के फलस्वरूप आयी बाढ़ सम्बन्धी दिनांक 14 एवं 15 जुलाई, 1998 को दी गयी सूचनाओं पर एक घण्टे की चर्चा, जनपद सिद्धार्थनगर के सिकटा ग्राम में दलित वर्ग के घरों को जलाये तथा लूटे जाने सम्बन्धी दिनांक 30 जून, 1998 को दी गयी एक घण्टे की चर्चा तथा प्रदेश में वर्तमान रबी की फसल के गेहूँ की खरीद के लिये समर्थन मूल्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन	129
— वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या—43, परिवहन विभाग	129
— वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या—13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या—12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास), अनुदान संख्या—10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास), अनुदान-संख्या—14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या—15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या—16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला), अनुदान संख्या—17, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) – (स्वीकृत)	129—132
—नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	132—133
— श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों हेतु स्थापित राजकीय श्रम कल्याण केन्द्रों को योजनाबद्ध तरीके से बन्द किये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	134—135

विषय सूची

	पृष्ठ-संख्या
— जनपद मथुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड—2 को चौड़ा करने एवं सौन्दर्यीकरण के नाम पर किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं विषयक सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	135—136
— जनपद रायबरेली के बछरावां क्षेत्रान्तर्गत तिलेन्डा से हलोर मार्ग पर असहन जगतपुर के पास महराजगंज ड्रेन पर पुल बनाये जाने विषयक सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	136—137
— ज्ञान डेरी, नानपारा, जरवल, जनपद बहराइच में दुग्ध किसानों का करोड़ों रुपया बकाया होने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	137—138
— जनपद बांदा में कतिपय लेखपालों की पदोन्नति रोके जाने तथा उन्हें चार्ज न दिये जाने के फलस्वरूप चार माह के वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	138—139
— मेरठ महानगर की बेलग्राम नगर बस सेवा में तत्काल जनोपयोगी सुधार कराये जाने विषयक सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य	139
— नत्थीयाँ	140—143

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
अजय भट्ट, श्री	अल्मोड़ा	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
अनीस खां, श्री	पीलीभीत	प्रेम लता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	बंशीधर भगत, श्री	नैनीताल
अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर	बच्चा पाठक, श्री	बलिया
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	भारत सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा	महेन्द्र अरिमर्दन सिंह, राजा	आगरा
कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री	पिथौरागढ़	मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
के०सी० सिंह, "बाबा"	उधम सिंह नगर	यशवंत, श्री	आजमगढ़
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव	रघुराज प्रताप सिंह	
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	"राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	रतनजीत प्रताप नारायण	
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर	सिंह, कुंवर	पडरौना
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	रमेश पोखरियाल "निशंक", डा०	गढ़वाल
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़	राजधारी, श्री	बलिया
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा	राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात	राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं

रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद मणि, श्री	महराजगंज
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शिव गणेश लोधी, एडवोकेट	रायबरेली
शिवा कान्त, श्री	प्रतापगढ़
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरीश चन्द्र "हरीश जी", श्री	वाराणसी

मंगलवार, दिनांक–21 जुलाई, 1998 ई०

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग

**1—श्री जगदम्बिका पाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े हुये सामान्य वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो उक्त निर्णय को क्रियान्वित करने की कार्यवाही कब से प्रारम्भ होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

वर्तमान आरक्षण नीति सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर निर्धारित है। आर्थिक आधार पर आरक्षण अनुमन्य नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल—

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के सामान्य, वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, विपन्न हैं और जिनसे इस सरकार का गठन भी हुआ सवर्ण मतदाता के सार्थक मतदान के आधार पर यह सरकार सत्ता में बैठी है। उत्तर प्रदेश में जो ऐसे सवर्ण हैं यह सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न हैं तो उन्हें भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने पर यह सरकार विचार करेगी? इसमें माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है जी नहीं। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या विगत दिवस में पूर्व की सरकारों ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्गों के आरक्षण के लिए कौशिक समिति का गठन किया था यदि हां तो क्या शासन को कौशिक समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, यदि प्राप्त हो गयी है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशिक समिति की रिपोर्ट के अनुसार क्या कार्यवाही अब तक की है?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)—

श्रीमन्, चूँकि इस समय 50 प्रतिशत आरक्षण है और इससे अधिक आरक्षण हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि फिलहाल इस पर माननीय न्यायालय का आदेश है इस 50 प्रतिशत में भी सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के बारे में 1992 में उच्चतम न्यायालय का एक आदेश भी हुआ है तो इस सबको देखते हुए और किसी पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य का यह सवाल है कि क्या विगत सरकारों में किसी सरकार ने कौशिक समिति का गठन किया था यदि किया था तो बता दें और अगर उसकी रिपोर्ट आ गयी हो तो उसकी जानकारी माननीय सदस्य को दे दें?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह —

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है, मैं इसे उपलब्ध करा दूँगा।

श्री जगदम्बिका पाल —

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार ने पूर्व में कौशिक समिति का गठन किया था तो आपने कहा कि इसकी सूचना की आवश्यकता पड़ेगी मेरा अनुरोध है या तो इसको स्थगित कर दें या प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें। मैं कहता हूँ कि उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो मेरा पुनः अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है इसलिए इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें, या स्थगित कर दें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह —

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है मैंने इसके उत्तर में कहा है "जी, नहीं"।

कौशिक समिति की रिपोर्ट के बारे में मैंने कोई उत्तर नहीं दिया है। कौशिक समिति की रिपोर्ट आयी है अथवा नहीं, इसके बारे में सूचना की आवश्यकता है, इस समय यह रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

श्री राम औतार शाक्य —

मैंने यह प्रश्न 1997 में भी उठाया था और अभी इसी सत्र में इस प्रश्न का एक संशोधित उत्तर आया है। सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थीं, तब इस सवाल को मैंने उठाया था, तब इसका जवाब आया था कि कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इसी सत्र में मा० कल्याण सिंह जी का उत्तर प्राप्त हुआ है कि रिपोर्ट प्राप्त हुई है, मुझे जवाब की तारीख याद नहीं है, मैं वही जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है?

श्री अधिष्ठाता —

मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि उनके पास ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है तब इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं रह जाता।

श्री अवधेश प्रसाद —

मा० पाल जी ने जो सवाल किया, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उसमें मुझे भी रहने का मौका मिला था, उस समय कौशिक समिति का गठन हुआ था और उस कमेटी ने पूरे प्रदेश में गुण दोष के आधार पर काफी छानबीन की थी। जिस माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मंत्री जी हवाला दे रहे हैं, उस निर्णय को भी देखने का मुझे मौका मिला है, उसमें कहीं भी राज्य सरकार के लिये यह बाध्यता नहीं है कि आरक्षण बढ़ाया नहीं जा सकता, हमारी सूचना को सही मानकर क्या सरकार, सामान्य जाति के लोगों के लिये आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर 10 फीसदी आरक्षण करने पर विचार करेगी?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह —

मान्यवर, जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के बारे में अभी यह सरकार विचार नहीं कर रही है, कारण यह है कि 1992 में उच्चतम न्यायालय ने इस

पर अपना एक निर्णय दिया है और जब तक उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय में संशोधन नहीं करता, तब तक हम उसके विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकते। इन्दिरा साहनी केस में 16 नवम्बर, 1992 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इस निर्णय के अन्तर्गत भारत सरकार में जो आर्थिक आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था, उसे भी समाप्त किया गया। अब जब तक निर्णय में कहीं कोई संशोधन न हो, तब तक हमारे लिये कोई विचार करना संभव नहीं है।

श्री अवधेश प्रसाद —

यूनियन वर्सेज इन्दिरा साहनी, उस केस में हमने देखा है और मैं बड़े प्रभावी ढंग से कह सकता हूँ कि अगर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार ऐसा समझती है कि आर्थिक आधार पर, इलाके के आधार पर आरक्षण की आवश्यकता है, तो कर सकती है, न्यायालय के निर्णय के पैरा सात या छः पर ऐसा लिखा है। यह सरकार करना नहीं चाहती, इससे बड़ी उपेक्षा क्या हो सकती है? सरकार लीपापोती का उत्तर दे रही है, यह सरकार उदासीन है। [× × ×]

श्री अधिष्ठाता —

यह अंकित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

मैंने श्री बी० आर० वर्मा जी को बुला लिया है। अब आप बैठें।

श्री बी० आर० वर्मा —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, चूँकि भारत के संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था है, संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है इसलिए माननीय मंत्री जी की मजबूरी है जिसके कारण वह इस प्रश्न पर विचार नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार को यह प्रस्ताव करके भेजेगी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं जो भी मुनासिब प्रतिशत हो, 5 प्रतिशत या 10 प्रतिशत, आरक्षण व्यवस्था लागू की जाय इसके लिए संविधान में संशोधन करने के लिए क्या कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र को भेजेगी?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह —

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है।

डा० अम्मार रिजवी —

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि 1980 में जब मण्डल आयोग बना था तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी और उसकी सिफारिशों में यह था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाये तो मैं मा० मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उस कमेटी की सिफारिशें जो 1980 में की गई थी पर पुनर्विचार करेंगे और केन्द्र सरकार को उन्हें भेजेंगे?

नोट– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह —

जैसा मैंने अभी कहा इस पर विचार नहीं किया गया है। अगर माननीय सदस्य की भावना है तो मैं इसको देख लूंगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी —

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यदि उन्हें कौशिक समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो निश्चित रूप से उस रिपोर्ट पर कोई निर्णय लिया गया होगा। यदि वह निर्णय आरक्षण देने के पक्ष में है तो क्या उन प्राविधानों को लागू करने की घोषणा करेंगे?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह —

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री जगदम्बिका पाल —

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हुआ है इसी सम्मानित सदन में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके संबंध में 30 जून को उत्तर आया था कि कौशिक समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है तो यह सरकार के संज्ञान में है। इस सदन में मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और आज उसी मंत्रिपरिषद् के दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। यह 30 जून, का उत्तर है, कौशिक समिति की रिपोर्ट है।

तो उस कौशिक समिति की रिपोर्ट जिसका मा० मंत्री जी ने उत्तर दिया है, क्या उसके अनुसार कार्यवाही करने पर विचार करेंगे?

श्री अधिष्ठाता —

मा० मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि कौशिक समिति के बारे में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल —

कौशिक समिति की रिपोर्ट उन्हें मालूम नहीं है तो हम संज्ञान में ला रहे हैं, तो क्या इस समिति की रिपोर्ट को प्राप्त कर उसको दिखवा लेंगे और वर्तमान सरकार जो आर्थिक रूप से सामान्य जाति के पिछड़े है उनको आरक्षण देने पर विचार करेगी?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह —

मैंने पहले ही बताया कि इस समय रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही उत्तर दिया जा सकता है।

प्रदेश में किसानों को अपना गेहूँ बेचने हेतु सरकारी गेहूँ क्रय केन्द्र खोलने की माँग

**2—श्री अवधेश प्रसाद —

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिये सरकारी क्रय केन्द्रों की कमी है? यदि हां, तो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अतिरिक्त गेहूं क्रय केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री ऐजाज रिज़वी)—

(क) जी नहीं।

(ख) जनपदों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त क्रय केन्द्र खोलने हेतु जिलाधिकारियों को अधिकार दिये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अवधेश प्रसाद —

मान्यवर, मैं मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसानों का गेहूँ क्रय करने के लिए कितने क्रय केन्द्र खोले गये और उनमें कितना गेहूँ क्रय किया गया?

श्री ऐजाज रिज़वी —

मान्यवर, इस वर्ष पूरे प्रदेश में आठ एजेन्सियों द्वारा 4586 क्रय केन्द्र खोले गये और 30 जून, 1998 तक 20 लाख 78 हजार मीट्रिक टन गेहूँ की खरीददारी की गयी।

श्री राम ललित चौधरी —

मान्यवर, जो एक छटाँक गेहूँ भी पैदा नहीं करता है, वह सबसे बड़ा किसान हो जाता है, जो स्वयं गेहूँ पैदा नहीं करता वह क्रय केन्द्रों पर गेहूँ बेचने का काम करता है। क्या ऐसे लोगों पर गेहूँ बेचने पर प्रतिबन्ध लगायेंगे?

श्री ऐजाज रिज़वी —

मान्यवर, मूल प्रश्न की परिधि में यह नहीं आता है।

श्री अधिष्ठाता —

मा० सदस्य का यह कहना है कि जो लोग स्वयं गेहूँ उत्पादन नहीं करते हैं और क्रय केन्द्रों पर गेहूँ ले जाकर गेहूँ बेचने का काम करते हैं क्या उस पर पाबन्दी लगायेंगे?

श्री ऐजाज रिज़वी —

मान्यवर, जो क्रय केन्द्र खोले जाते हैं, उस पर जो भी किसान गेहूँ देने के लिए आता है, उसका गेहूँ ले लिया जाता है।

श्री राम सिंह सैनी —

मान्यवर, मैं मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार का गेहूँ खरीदने का कितना लक्ष्य था और उस लक्ष्य से ज्यादा खरीदा है या कम, यदि कम खरीदा है तो उसके क्या कारण हैं?

श्री ऐजाज रिज़वी —

मान्यवर, इस वर्ष 20 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसके सापेक्ष्य 30 जून, 1998 तक 20 लाख 78 हजार मीट्रिक टन गेहूँ की खरीददारी की गयी।

श्री जगदम्बिका पाल —

माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो भी गेहूँ क्रय केन्द्र पर लाता है, उसका गेहूँ खरीद लिया जाता है। मान्यवर, जनपदों में जो क्रय केन्द्र हैं, उनमें किसानों के बिचौलियों द्वारा गेहूँ लाया जाता है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि कमीशन एजेन्टों के माध्यम से कितना गेहूं खरीदा गया और उनको कितना कमीशन दिया गया ?

श्री ऐजाज रिज़वी —

मान्यवर, पाल जी ने जो प्रश्न किया मैं बताना चाहूंगा कि गत वर्षों में जो भी लक्ष्य रखे जाते रहे हैं उसके सापेक्ष्य गेहूं की खरीददारी नहीं हो पाती थी। इस वर्ष 20 लाख मी० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पिछले वर्ष गेहूं के भण्डारण की स्थिति अच्छी नहीं आ रही थी इसलिए भारत सरकार ने गेहूं आयात का निर्णय लिया था। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया कि किसानों के अलावा कमीशन एजेन्टों के माध्यम से भी गेहूं आमंत्रित किया जाय। तो कमीशन एजेन्टों को भी उसमें बुलाया गया और सिर्फ 18 अप्रैल तक एजेंटों के माध्यम से गेहूं की खरीद करेंगे। इस संबंध में कुछ शिकायतें आयीं तो 9 मई को कमीशन एजेंटों के माध्यम से गेहूं की खरीददारी पर रोक लगा दी गई जैसा कि मैंने पहले बताया 20 लाख मी० टन का लक्ष्य रखा गया था और मेरी सूचना के अनुसार इस वर्ष 21 लाख 15 हजार मी० टन की खरीददारी हो चुकी है।

श्री जगदम्बिका पाल —

मान्यवर, मेरा उत्तर नहीं आया है। मैंने पूछा था कि कमीशन एजेंटों के माध्यम से कितना गेहूं खरीदा गया और कितने मूल्य का खरीदा गया ?

श्री ऐजाज रिज़वी —

मान्यवर, इसका उत्तर विस्तार से दिया जा चुका है इस समय मेरे पास कम्पलीट फिगर नहीं है मैं बताना चाहूंगा कि 21 लाख 15 हजार मी० टन ही गेहूं खरीदा गया है।

श्री समरपाल सिंह—

यह महत्वपूर्ण विषय है सरकार की नीति बिचौलियों और दलालों को बढ़ावा देने की है जिस आदमी के यहां एक दाना गेहूं पैदा नहीं होता क्रय केन्द्रों पर उसके माध्यम से गेहूं खरीदा जाता है माननीय मंत्री जी ने कहा कि लक्ष्य पूरा हो गया है यह जो लक्ष्य पूरा हुआ है वह किसान की मेहनत से पूरा हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भविष्य में क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि किसान की फसल बेचने के लिए बिचौलियों का सहारा न लिया जाय तथा किसान से सीधे खरीद की जाय ?

श्री ऐजाज रिज़वी —

मान्यवर, मैंने बताया कि 9 मई से बिचौलियों द्वारा खरीददारी पर रोक लगा दी गई है। इसलिए अब कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम जग—

अधिष्ठाता महोदय गेहूं की खरीद में कुछ नये तथ्य प्रकाश में आये। आजमगढ़ में किसानों से गेहूं न खरीदकर एफ०सी०आई० से खरीदा गया है। क्या इस बात की जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री ऐजाज रिज़वी —

गेहूं की खरीददारी किसान से बराबर की जाती रही है क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीदा जाता है यदि कोई शिकायत होती तो कार्यवाही की जाती है।

श्री अदेश प्रसाद—

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों की चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हो, निश्चित जानकारी है कि समूचे प्रदेश में बिचौलियों द्वारा किसानों का जबरदस्त तरीके से शोषण व दोहन हुआ है, किसानों को लाभ नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं ... और मंत्री जी सहमत हैं कि हमने गेहूं खरीद के लिए बिचौलियों को रखा और जब भ्रष्टाचार की शिकायतें आयीं तब ध्यान गया। भविष्य में किसानों का शोषण न हो, किसानों को क्रय केन्द्रों पर गेहूं देने के लिए जो किसान बही का वितरण किया गया है उसको उपयोग में लाया जायेगा और इससे जिनके पास खेती नहीं है जो बिचौलिये और दलाल हैं उन्हें हतोत्साहन मिलेगा और किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा?

श्री ऐजाज रिज़वी —

मान्यवर, क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा लाया गया गेहूं ही खरीदा जाता है और इस तरह की बात कभी आयी नहीं है। माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, गेहूं क्रय किये जाने हेतु जब नीति निर्धारित की जायेगी उस समय इस पर विचार होगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश की बालिकाओं को डिग्री कालेज के स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की मांग

*1—श्री जगदम्बिका पाल —

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश की लड़कियों को डिग्री कालेज के स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक निर्णय लागू होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)—

जी नहीं। डिग्री स्तर पर ऐसा कोई विचार नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

पहले से ही स्नातक स्तर पर शिक्षण शुल्क काफी कम रखा गया है।

श्री जगदम्बिका पाल —

मान्यवर, सौभाग्य से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, उच्च शिक्षा से जुड़े हुये भी हैं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इनकी लगन और निष्ठा देखकर लगता है कि कार्य करने की नीयत भी रखते हैं, फिर भी जिस तरह से उत्तर आया है कदाचित् सभी लोग मायूस होंगे। कोई भी सरकार अपने घोषणा पत्र में जो वायदे करती है वह उसका, मुख्य-पत्र होता है उसके हिसाब से सरकार की प्राथमिकता होती है। क्या प्रदेश सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश के डिग्री कालेजों में पढ़ने वाली छात्राओं की फीस को पूरी तरह से माफ करने का निर्णय लेगी? क्या इस संबंध में भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव सभाओं में वायदा किया था कि हम अगर सत्ता में आये तो लड़कियों की फीस को पूर्ण रूप से माफ कर देगें?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, आपके माध्यम से मा० जगदम्बिका पाल जी को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। जो शुल्क लिया जा रहा है वह स्नातक स्तर में 11 रुपया, स्नातकोत्तर स्तर में 15 रुपया और बी०एड० में 18 रुपया प्रति माह फीस लिया जा रहा है, जो कि नगण्य है। महिलाओं की शिक्षा के लिए हमारी सरकार विशेष रूप से चिन्ता कर रही है। 1997 में जो 15 महाविद्यालय प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया था, उनमें से 6 महाविद्यालय महिलाओं के लिए हैं। प्रदेश में कुल 632 महाविद्यालय हैं जिनमें से 143 महाविद्यालय छात्राओं/महिलाओं की तथा 489 महाविद्यालय छात्रों के हैं। हमारी सरकार महिलाओं के शिक्षण के लिए पूरी तरह से सचेष्ट है।

श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी जानना चाहता हूं, बालकों की फीस डिग्री कालेज में 11 रुपये प्रति माह ली जाती है उसके सापेक्ष बालिकाओं की कितनी फीस ली जाती है। क्या बालिकाओं को कोई विशेष रियायत दे रहे हैं? उनको कितना शिक्षण शुल्क देना पड़ता है व इसके अलावा अन्य शुल्क छात्राओं को कितना देना पड़ता है। मंत्री जी कह रहे थे कि बालिकाओं की शिक्षा के प्रति वह विशेष जागरूक हैं यह सही है कि पुरुषों की हालत को देखते हुए उनको विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। क्या मंत्री जी छात्राओं को डिग्री कालेज और पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में विशेष सुविधा देगें?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, शिक्षण शुल्क में लिंग भेद के आधार पर अलग-अलग फीस नहीं ली जाती है। शिक्षण शुल्क स्नातक स्तर पर 11 रुपये प्रति माह, स्नातकोत्तर स्तर पर 15 रुपये प्रति माह, बी०एड० में 18 रुपये प्रति माह। महंगाई भत्ता साढ़े तीन रुपये प्रति माह, प्रयोगशाला शुल्क 4 रुपये प्रति माह, प्रवेश शुल्क 3 रुपये प्रति छात्र, पुस्तकालय शुल्क स्नातक स्तर तीन रुपए प्रति छात्र प्रति वर्ष, स्नातकोत्तर शिक्षा पर 10 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष, विकास शुल्क 20 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष, पंखा शुल्क 4-1/2 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष अभी केन्द्र सरकार से महिलाओं के बारे में कोई निदेश नहीं मिला है निःशुल्क शिक्षा के संबंध में जैसे ही कोई संस्तुति आएगी, उसका परीक्षण करके विचार करेंगे।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं। मंत्री जी ने बताया कि बालक एवं बालिकाओं की फीस के संबंध में लिंग भेद नहीं है। अभी लोक सभा और राज्य सभा में महिलाओं की स्थिति को देखते हुए विशेष प्राविधान रखते हुए उनके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात हो रही थी। तो क्या महिलाएं राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें और वह योग्य बन सकें तो उनको विशेष सुविधाएं देने पर गम्भीरता से विचार करेंगे? जो उनसे बराबर का शुल्क लिया जा रहा है, उसमें भेद करना पड़ेगा, जब तक आप भेद नहीं करेंगे तब तक वह बराबर नहीं आएंगी। क्या महिलाओं की स्थिति को देखते हुए विशेष व्यवस्था शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की स्थिति के बारे में विशेष चिन्ता कर रही है। जैसे ही केन्द्र सरकार से कोई संस्तुति आएगी हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति विशेष चिन्तनीय है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में तकनीकी शिक्षा में महिलाओं का प्रतिशत 10 था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इनका प्रतिशत 19 था। सरकार ने संकल्प लिया है कि आगामी तीन-चार वर्षों में तकनीकी शिक्षा में महिलाओं का प्रतिशत 30 तक पहुंचा देगें।

श्री लालजी वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि महिलाओं की शिक्षा को 30 प्रतिशत तक ले जाने का उनकी सरकार का संकल्प है। यह बात सही है कि महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है, इसलियें 30 प्रतिशत तक महिलाओं की शिक्षा को ले जाने के लिये सरकार ने क्या कोई कार्य योजना बनाई है?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 30 प्रतिशत तक ले जायेंगे। इसीलिये हमने 4 महिला पालीटेक्निक खोले हैं।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को कक्षा 6 से कक्षा 10 तक मान्यता प्रदान करने के संबंध में जानकारी

*2—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या शिक्षा मंत्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को जिनकी मान्यता कक्षा—9 से 10 तक ही दी जाती है, के नियमों में परिवर्तन कर, संबंधित मान्यता को कक्षा—6 से कक्षा—10 तक देने के नियम बनाने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि विनियमों मे यह व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है कि जो विद्यालय जूनियर हाईस्कूल स्तर पर स्थायी ''अ'' श्रेणी की मान्यता प्राप्त है, उनके द्वारा हाईस्कूल की मान्यता प्राप्त करने पर कक्षा 6 से 10 तक मान्य किया जाता है।

श्री अजय कुमार पोइया—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कक्षा 9 से 10 तक मान्यता दी जाती है और कक्षा 6 से 8 तक अलग से मान्यता दी जाती है, इसलिये क्या कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक एक साथ मान्यता देने पर सरकार विचार करेगी यदि नहीं तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

मान्यवर, दो तरह की मान्यतायें हैं। एक प्राथमिक स्तर की मान्यता होती है, जो ''अ'' श्रेणी में आती है, दूसरी कक्षा 6 से 10 तक की जो मान्यता होती है वह ''ब'' श्रेणी में आती है।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा है कि जहां कक्षा 9 से लेकर 10 तक की मान्यता दी जाती है, फिर आगे की मान्यता के लिये प्रयत्नशील होना पड़ता है। इसलिये क्या सरकार कक्षा 6 से कक्षा 10 तक एक साथ मान्यता देने पर विचार करेगी?

डा० नैपाल सिंह—

मान्यवर, वैसे नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस पर भविष्य में देखेंगे और विचार करने का प्रयास करेंगे।

श्री राम हर्ष सिंह —

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था बेसिक शिक्षा मंत्री जी से और उत्तर दिया है माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने। अगर माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी बेसिक शिक्षा का भी काम देख रहे हों तो कक्षा 6 से 10 तक की मान्यता एक साथ देने पर विचार करेंगे?

डा० नैपाल सिंह —

मान्यवर, माननीय सदस्य से मैं कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न उच्चीकरण का है, जो माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत आता है। जूनियर हाई स्कूल बेसिक में आता है। उच्चीकरण का प्रश्न आता है तो माध्यमिक में ऐड हो जाता है।

डा० राम बाबू हरित —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब से वे इस पद पर आये हैं इन्होंने 9(4) की धारा के अन्तर्गत कितने स्कूलों को मान्यता दी है?

श्री अधिष्ठाता —

माननीय मंत्री जी सूचना उपलब्ध हो तो बता दें।

डा० नैपाल सिंह —

मान्यवर, अब तक उत्तर प्रदेश में 1285 स्कूलों को मान्यता प्रदान की गई है।

गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों के बच्चों को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध किये जाने की मांग

*3—श्री राम औतार शाक्य —

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गरीबी रेखा के नीचे के नागरिकों के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो यह योजना कब तक प्रभावी होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र शुक्ल) —

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम औतार शाक्य —

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी ने दिया और बहुत हृदयहीनता से दिया। मैं तो आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा मंत्री, इनका हृदय बड़ा विशाल है ऐसा माना जाता है। नन्हें मुन्ने बच्चों की शिक्षा के लिये आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में शिक्षा इन बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है इसीलिये बाल श्रमिकों की समस्या पैदा होती है। ऐसे भी गरीब लोग हैं जिन्हें एक टाइम भोजन उपलब्ध नहीं होता है। बहुत सारी समस्यायें होती हैं। फीस आप माफ नहीं कर सकते हैं तो क्या आप गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनको बुक ऐड देगें जो समाज कल्याण से पहले मिलती रही है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह सरकार इतनी निर्दयी साबित न हो। कुछ न कुछ व्यवस्था यह आठवें तक के विद्यार्थियों के लिये करा दें।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो आप सुझाव दे रहे हैं। अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहले से जो बुक ऐड की व्यवस्था थी, क्या वह भी खतम कर दी है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, माननीय सदस्य से मेरे विशेष सम्बन्ध हैं। यह मेरे मामा लगते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

कौन से मामा हैं, कृष्ण मामा, कंस मामा या शकुनि मामा?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, मामाओं का इतिहास बड़ा खराब रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मामा तो मामा होता है। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था 1 से 12 तक का 1 मंत्री दो हैं। अब इन्होंने प्रश्न पूछा 1 से 12 तक की कोई योजना है तो उत्तर दे दिया गया। 1 से 8 तक के लिये पूछते तो दूसरा उत्तर मिलता। मान्यवर, 1 से 5 तक के सभी छात्र और छात्राओं के लिये और 6 से 8 तक की सभी छात्राओं के लिये निशुल्क पाठ्य-पुस्तक के उपलब्ध कराने का विचार शासन के पास है। अभी नीति निर्धारण हो रहा है और गम्भीरता के साथ इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, एक रिश्ता खोल दिया है लेकिन इस रिश्ते को उल्टा समझ लीजिये।

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, कक्षा 1 से 12 तक के गरीब विद्यार्थियों के बारे में सवाल है। इस सवाल से सम्बन्धित प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरी जानकारी है अब तक राजकीय इण्टर कालेज की जो पढ़ाई होती थी, कक्षा 6 से 12 तक होती थी लेकिन मेरी जानकारी है इसलिए जानकारी है क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जब हमारी सरकार थी तब राजकीय इण्टर कालेज, मसौदा, सोनकला में एडमीशन .....

श्री अधिष्ठाता—

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री बी० आर० वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि कक्षा एक से पांच तक छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कक्षा 6 से 8 तक छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की सरकार की नीति है। आजादी के पचास साल बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में लिखा है कि फ्री एण्ड कम्पलसरी एजुकेशन होगी। अभी तक आपने फ्री एण्ड कम्पलसरी एजुकेशन नहीं दी है। क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा मिल सके? फ्री एण्ड कम्पलसरी एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आजादी के 50 वर्ष बाद क्या छात्र-छात्राओं दोनों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायेंगे?

श्री अधिष्ठाता —

बात आ गयी है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल —

मैं आदरणीय माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने 50 वर्ष की अक्षमता का चित्र यहां खींचा है। 50 वर्ष में जो संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई इसके लिए वह जिम्मेदार हैं जिन्होंने 50 वर्ष में देश को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। वर्तमान सरकार ने चिंता की है। संविधान के अनुच्छेद की जो मंशा है उसके अनुसार वर्तमान सरकार संवेदनशीलता के साथ इस पर विचार करेगी और कोई प्रस्ताव लायेगी।

श्री अधिष्ठाता —

नत्थी ''ग'' तारांकित प्रश्न संख्या–1 जो मा० श्यामदेव राय चौधरी जी का है। इसमें मा० मंत्री जी ने आग्रह किया था कि उन्हें विधान परिषद् में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जाना है। अतः इसको बाद में ले लिया जाए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी —

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे आयेगा?

श्री अधिष्ठाता —

मुझसे अनुमति लेकर वह विधान परिषद् में गये हैं। जैसे ही वह लौटेंगे, मैं उत्तर दिलाने की चेष्टा करूंगा। आप चिंता न करें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सर्वसाधारण को सभी सरकारी सूचनायें एक निश्चित शुल्क जमा करके प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने हेतु नियम लागू करने की मांग।

*1—श्री श्याम देव राय चौधरी —

क्या सरकार कृपया वतायेगी कि सर्वसाधारण को सभी सरकारीं सूचनायें एक निश्चित शुल्क जमा करके प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने हेतु नियम लागू करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह —

जी हाँ। इस सम्बन्ध में गठित टास्क फोर्स की संस्तुतियां प्राप्त होने पर संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

*2—श्री गोरखनाथ पाण्डेय —

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित]

लखनऊ के आई० ए० एस० अधिकारियों के निजी आवासों के सम्बन्ध में जानकारी

*3—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में कितने ऐसे आई०ए०एस० अधिकारी हैं जिनके अपने मकान लखनऊ में हैं और वे सरकारी आवासों में रहते हैं? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों की मकानों की लागत की जांच कराकर उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी और उन्हें आवंटित सरकारी आवास निरस्त करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यो?

श्री कल्याण सिंह—

उपलब्ध सूचना के अनुसार 56 ऐसे आई०ए०एस० अधिकारी हैं, जिनके अपने मकान लखनऊ में हैं और वे सरकारी आवासों में रहते हैं। आई०ए०एस० अधिकारियों के निजी मकानों की लागत के सम्बन्ध में बिना किसी विशिष्ट शिकायत के जांच कराने का औचित्य नहीं है। ''सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली, 1980'' में, लखनऊ में निजी आवास होने पर सरकारी आवास न आवंटित किये जाने अथवा आवंटित आवास को निरस्त किये जाने का कोई प्राविधान न होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेई—

मान्यवर, 56 आई० ए० एस० अधिकारी हैं जो लखनऊ में हैं और उनको मकान आवंटित हैं। तो मान्यवर, इनके पास मकान होते हुए भी यह सरकारी ऋण लेकर या अन्य सरकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण लेकर मकान बनाते हैं और उसे किराये पर लगा देते हैं तो किसी ऐसे लोग से जिन्होने ऋण अपने आवास में रहने के लिए लिया है और किस नियमों के अन्तर्गत किराये पर रह रहे हैं यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

लोक निर्माण, पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)—

मान्यवर, जो आई० ए० एस० अधिकारी का भवन निर्माण अग्रिम था तो पहले 2.50 लाख रुपया था अब पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 7.50 लाख रुपया हो गया है। इस आधार पर जिन लोगों ने अपने मकान बनाये हैं उसकी लागत हमारे पास है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा है।

श्री कलराज मिश्र—

मान्यवर, माननीय प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि कितने लोगों ने लोन लेकर अपने मकान बनाये हैं अपने रहने के लिए और आवास किराये पर लगा दिया है और उसके बाद भी सरकारी आवास में रह रहे हैं। मूल प्रश्न के जवाब में इसका उत्तर आ गया है। ''सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली, 1980 में, लखनऊ में निजी आवास होने पर सरकारी आवास न आवंटित किये जाने अथवा आवंटित आवास को निरस्त किये जाने का कोई प्रविधान न होने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अर्थात इसमें सरकारी आवास आवंटित न हो ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, ऐसे अनेक लोग हैं जो इस प्रकार से रह रहे हैं। इस सम्बन्ध में कोई नयी नीति बनती तो किया जा सकता था। अगर कोई विशिष्ट मकान का संकेत दिया होता, इन्होंने तो सामान्य की बात कहीं है तो जनरलाईज करके जाँच करायें यह संभव नहीं है।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेई —

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि ऐसे लोगों ने सरकारी ऋण लेते समय, फार्म पर रहने के लिए बना रहे हैं, यह लिखा है और किराये पर लगा रखे हैं। दूसरी बात यह है कि लोग हाऊस रेन्ट लेते हैं और कितनों ने किराये पर उठाया है? तीसरी बात यह है कि जो नियमावली का संदर्भ दिया गया है क्या यह नियमावली सदन के पटल पर रखकर प्रतिनिहित विधायन समिति के माध्यम से सहमति प्राप्त की गयी है या इनके अधिकारियों द्वारा बनायी गयी प्रशासनिक नियमावली है? यदि व्यापारी अपना धन लगाकर अपना व्यापार करता है तो उसे मुनाफाखोरी से रोका जाता है। तो क्या इन आई० ए० एस० अधिकारियों द्वारा जो थोड़ा सा हाऊस रेन्ट कटवा रहे हैं और अपना मकान 18 हजार रुपये किराये पर लगा रहे हैं यह मुनाफाखोरी में नहीं आता है तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार की अनियमित परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं कि अपना आवास होते हुए भी सरकारी आवास पर रह रहे हैं तो इस नियमावली में संशोधन करेंगे?

श्री कलराज मिश्र—

मान्यवर, डा० बाजपेई जी ने जो प्रश्न किया है मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि जनरलाईज वे में इसकी जाँच संभव नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

ऋण लेते समय उस अधिकारी ने फार्म पर लिखा था कि वे अपने रहने के लिए ले रहे हैं इसको स्पष्ट कर दें।

श्री कलराज मिश्र—

मान्यवर, अगर इसमें किसी भी अधिकारी के मकान को चिन्हित करके यह बात कही गयी होती कि अमुक ने निर्माण में लोन लिया था तब तो इसकी जाँच करायी जा सकती थी।

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, जिनके निजी आवास है और वे सरकारी आवासों में रह रहे हैं तो क्या भविष्य में ऐसा प्राविधान करने पर विचार करेगें अगर कोई प्राविधान नहीं है?

श्री कलराज मिश्र—

मान्यवर, माननीय पाल जी ने प्रश्न पूछा है कि क्या इस प्रकार की नीति बन सकती है कि जो जिनके आवास यहां है और उनके सरकारी आवासों का आवंटन न हो तो अभी तो वह विचाराधीन नहीं है लेकिन भविष्य में इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता—

भवन निर्माण अग्रिम अपने आवासों का निर्माण कर रहने के लिए दिया जाता है। माननीय सदस्यों की जो जिज्ञासा है कि जिन्होने अग्रिम लेकर भवन बनाये हैं ऐसे लोगों के बारे में जांच करायेंगे?

श्री कलराज मिश्र—

मान्यवर, जो अनुमन्य लोन की राशि है उस राशि के अन्तर्गत कितने लोगों ने अपने आवास बनाये हैं यह अभी चिन्हित नहीं किया जा सका है। मान्यवर, जो माननीय पाल जी ने नीतिगत प्रश्न पूछा है उस संबंध में मैंने कहा कि अभी सम्प्रति कोई ऐसी नीति विचाराधीन नहीं है लेकिन भविष्य में इसकी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

श्री अम्बरीष कुमार—

मान्यवर, 56 अधिकारियों की बात प्रकाश में आयी तो क्या इनकी फाईल देखकर जांच करायेंगे? दूसरे, कितने आई०ए० एस० के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं, आवास आवंटन के लिए?

श्री कलराज मिश्र—

मान्यवर, जांच के संबंध में कोई विशिष्ट मकान चिन्हित किया जाए तो इस पर बात हो सकती है। लेकिन सामान्य रूप से सभी प्रकार की जाँच सम्भव नहीं है।

श्री समर पाल सिंह—

मान्यवर, एक जांच कराई गयी थी कि कितने अधिकारियों के पास नोएडा में मकान या प्लाट हैं और कितना उसका उपयोग हो रहा है तो उस जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये?

श्री कलराज मिश्र—

मान्यवर, मूल प्रश्न लखनऊ में आवासों से सम्बन्धित है।

*4—श्री राम औतार शाक्य—

[दिनांक 20-7-98 को नियम 38(2) में ता० प्र० सं० 1 द्वारा उत्तरित।]

तारांकित प्रश्न

माननीय मंत्रियों को बंगले आवंटित करने तथा उनके बंगलों को चिन्हित करने की व्यवस्था

*1—डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कितने ऐसे अधिकारी हैं जो बंगलों में रहते हैं और कितने ऐसे मंत्री हैं जिन्हें बंगले अभी तक आवंटित नहीं हुए हैं? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मंत्रियों के कितने बंगले पूर्व/वर्तमान पदाधिकारियों, राजनेताओं और न्यायाधीशों को आवंटित हैं? क्या सरकार मंत्रियों के बंगलों को चिन्हित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

50 (पचास) अधिकारी कालीदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग, माल एवेन्यू, गोमती नगर, गौतम पल्ली व राजभवन कालोनी के बंगलों में रहते हैं। कुल 54 माननीय मंत्रियों को अभी तक उनकी श्रेणी का आवास उपलब्ध नहीं कराया जा सका है।

कुल 19 बंगले पूर्व/वर्तमान पदाधिकारियों राजनेताओं एवं माननीय न्यायाधीशगण को आवंटित हैं।

13 आवासों को मंत्री आवास के रूप में चिन्हित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट है कि इस प्रदेश के 59 प्रतिशत मंत्रियों को उनकी श्रेणी का आवास उपलब्ध नहीं करा पाये हैं जबकि 50 अधिकारी ऐसे आवासों में रह रहे हैं। मान्यवर, मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहना चाहिये क्योंकि दूरस्थ अंचलों से आई जनता को बड़ा

कष्ट हो रहा है और कालीदास मार्ग के बंगले न्यायाधीशों को आवंटित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो 50 अधिकारी ऐसे बंगलों में रह रहे हैं, उनमें से उपयुक्त बंगले खाली करा कर मंत्रियों को आवंटित करेंगे तथा अधिकारियों को दूरस्थ भेजने की कृपा करेंगे, जिससे माननीय मंत्रीगण अपने निर्धारित बंगलों में रहकर जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सकें?

श्री कलराज मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय सदस्य ने 54 मंत्रियों के संबंध में प्रश्न पूछा है, उसके संबंध में बताना चाहूँगा कि जल्दी ही अंतिम रूप दे दिया जायेगा और सबको समायोजित कर दिया गया है। जहां तक माननीय सदस्य ने 50 अधिकारियों के बंगले खाली कराने के संबंध में प्रश्न किया है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें 13 बंगलों को चिन्हित किया गया है, 4 और बंगले चिन्हित करने की प्रक्रिया में हैं, इस प्रकार 17 बंगले चिन्हित हो जायेंगे, जिसमें माननीय मंत्रियों को समायोजित कर दिया जायेगा, शेष के समायोजन की व्यवस्था हो चुकी है, बहुखंडी आदि में। कहें तो एक-एक करके बता सकता हूँ।

श्री मुन्ना चौहान—

मान्यवर, कहा गया कि 54 आवास आवंटित किये जाने के फैसले को अंतिम निर्णय दिया जायेगा, इस बात का कोई मतलब नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ और सदन की यह परम्परा भी रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी यह स्थापित परम्परा है कि माननीय मुख्यमंत्री के बाद माननीय नेता विरोधी दल का स्थान सर्वोच्च है, उनको सुख-सुविधाओं के हिसाब से कैबिनेट मंत्री के बराबर रखा गया है तो क्या माननीय नेता विरोधी दल को सर्वोच्च प्राथमिकता/वरीयता के आधार पर आवास आवंटन करेंगे तो कब तक?

श्री कलराज मिश्र—

नेता प्रतिपक्ष का स्तर एक मंत्रिपरिषद् के सदस्य के स्तर के बराबर है। जो आवास एक मंत्रीपरिषद् के सदस्य को उपलब्ध है वही व्यवस्था उनके लिए भी की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का पूछना है कि उनको वरीयता देकर और कब तक व्यवस्था करेंगे?

श्री कलराज मिश्र—

नेता विरोधी दल को मंत्रिपरिषद् स्तर के सदस्य के बराबर रखा गया है इसलिए जो मंत्रिपरिषद् के सदस्य के लिए व्यवस्था है वही व्यवस्था उनके लिए भी की जायेगी।

श्री बी० आर० वर्मा—

मंत्रिपरिषद् में भी जितने कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी भी एक कैटेगरी होती है। नम्बर–1, नम्बर-2, नम्बर-3 । लेकिन इस सदन में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दो ही माननीय सदस्य हैं जिनके खड़े होने पर आपको समय देना पड़ता है यह सदन की गरिमा का द्योतक है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नेता सदन को तो बंगला मिल गया है तो नेता प्रतिपक्ष को भी बंगला मिल जाना चाहिए था लेकिन अगर किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया है तो कब तक उनकी आवास की व्यवस्था की जायेगी? आप तो जानकार है। आप डाक्टर हैं। उनको बंगले की कितनी जरूरत है अपने स्वस्थ रहने के लिए। मानवीय कारणों पर ध्यान रखकर क्या उन्हें तुरन्त बंगला आवंटित करने की कृपा करेंगे?

श्री कलराज मिश्र—

मान्यवर, मैंने कहा मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को जो आवास की व्यवस्था की जाती है, जो सदस्यों ने भाव्ना व्यक्त की है, उनकी गरिमा के अनुरूप आवास की व्यवस्था की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों का पूछना है कब तक?

श्री कलराज मिश्र—

मैंने कहा है कि 6ए, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग आवंटित कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया स्थान लें। मैंने आपको दो बार अवसर दे दिया है।

श्री राम औतार शाक्य—

मैंने नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी है, 15 दिन हो गये हैं और माननीय पीठ के आदेशों और निर्देशों का पालन भी नहीं हुआ है। पूरे क्षेत्र के लोगों का उनके यहां आवागमन रहता है और इसी कारण वह हार्ट की बीमारी से पीड़ित हो गये हैं। लोगों का वहां पर आना-जाना रहता है, इसलिए वह बीमार हो गये हैं।

(व्यवधान)

वह हार्ट की बीमारी से पीड़ित हो गये हैं यह सरकार संवेदनशील हो गयी है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं निर्देश दे रहा हूँ, कृपया स्थान ग्रहण करें। मा० बाजपेयी जी आप भी स्थान ग्रहण करें, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। (व्यवधान)

मैं निर्देश दे रहा हूँ, कृपया आप शान्त रहें, माननीय मंत्री जी, मा० नेता विरोधी की गरिमा को दृष्टिगत रखते हुए आवास आवंटित करने का आपसे आग्रह करता हूँ। (व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य—

यह व्यवस्था मान्यवर, मा० अध्यक्ष जी ने पहले भी दी थी उस व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, यह देख लें, जिस बंगला नं० 6ए की बात कर रहे हैं कि मा० नेता विरोधी दल को आवंटित किया गया है, उस पर पहले से ही एक कार्यालय चल रहा है और वह मकान आवंटित किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शान्ति बनाएं रखें। इस प्रकार आप दूसरे मा० सदस्यों के प्रश्नों की हत्या कर रहे हैं।

श्री कलराज मिश्र—

मान्यवर, कार्यालय का आवंटन समाप्त हो गया है। उसे मंत्री आवास के रूप में चिन्हित किया गया है, इसलिए मंत्री आवास के रूप में मा० नेता विरोधी दल को आवंटित किया गया है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, निर्देशों का पालन होगा। अब मैंने अगला प्रश्न से लिया है। (मा० कृषि मंत्री का नाम पुकारे जाने पर) (कई मा० सदस्य सदन के बेल में आ गये, श्री दीपक कुमार, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री राम बिशुन, आजाद, श्री वसीम अहमद, श्री शौलत अली आदि कई मा० सदस्य आकर नारे लगाने लगे। पहले नेता विरोधी दल को मकान दीजिए)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया स्थान ग्रहण करें। इस मामले में स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं।

*2—श्री राम औतार शाक्य—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

*3—श्री श्याम देव राय चौधरी—

[13 वें शुक्रवार के ता० प्र० सं० 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*4—श्री नरेन्द्र सिंह—

[दिनांक 30-6-98 को ता० प्र० सं० 6 द्वारा उत्तरित]

उत्तरांचल में पर्यटन प्रोत्साहन हेतु श्यामलाताल जि० चम्पावत में पर्यटक आवास घर के निर्माण की मांग

*5—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्यामलाताल जि० चम्पावत में पर्यटक आवास घर का निर्माण संबंधी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

* 6—श्री जगदम्बिका पाल—

[10वें सोमवार में ता० प्र० सं० 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वर्ष 1997-98 में 250 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदानित किये जाने का विचाराधीन प्रस्ताव

*7—श्री राजधारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में 250 जूनियर हाई स्कूलों को अनुदानित किये जाने की घोषणा सरकार ने की थी? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है? अनुदान सूची में सम्मिलित विद्यालयों की सूची कब तक प्रकाशित हो जायेगी?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हाँ।

अनुदान के प्रस्ताव परीक्षणार्थ शिक्षा निदेशक (बे०) को भेजे गये हैं।

यथाशीघ्र अनुदान सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।

जनपद संन्त रविदासनगर एवं ज्ञानपुर के प्रा० पाठशालाओं में पठन-पाठन हेतु अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करने की माँग

*8—श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्त रविदासनगर एवं ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश प्रा० पाठशालाओं में दो या एक ही अध्यापक हैं? क्या यह सही है कि पांच कक्षाओं को चलाने हेतु प्रत्येक विद्यालयों में पांच अध्यापकों की आवश्यकता होती है? यदि हां, तो क्या सरकार पठन-पाठन को व्यवस्थित रखने हेतु प्रा० विद्यालयों में अध्यापकों को बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम दो अध्यापकों की व्यवस्था कर दी गई है।

प्रत्येक विद्यालय में 40 : 1 के मानक के अनुसार अध्यापक तैनात करने की नीति है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण अंचलों में जहां प्राइमरी विद्यालयों में गांवों के निर्धन परिवार के बच्चे पढ़ते हैं वहां की स्थिति यह है कि कक्षा एक से पांच तक पढ़ाई होती है और अध्यापक एक या दो होते हैं और वह भी कहीं जनसंख्या में और कहीं दूसरों कार्यों में लगा दिये जाते हैं और जब वे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वापिस चले आते हैं। मान्यवर, जहां हम निरक्षरता समाप्त करने की योजना बना रहे हैं वहीं आज जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वह अध्यापक न मिलने के कारण वापिस चले आते हैं आपने अपने उत्तर में कहा है कि 40 : 1 के मानक के अनुसार अध्यापक तैनात करने की नीति है तो जानना चाहता हूँ कि एक से पांच की जो कक्षाएं लगती हैं तो उसके हिसाब से अध्यापक रखे जायेंगे?

श्री अधिष्ठाता—

आप भूमिका न बनाएं, प्रश्न करें।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

मान्यवर, क्या हर कक्षाओं में एक-एक अध्यापक रखे जायेंगे जो भिन्न-भिन्न कक्षाओं की शिक्षा बच्चों को देंगे, यह नीति निर्धारित करेंगे?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, मैंने भी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है माननीय सदस्य ने भी प्राप्त की होगी और माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप भी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त किये होंगे एक कक्षा में पहाड़ा बोलने के लिए कह दिया और दूसरे ने इमिला बोलने के लिए कह दिया। मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उसमें किसी भी तरह से यह संभव नहीं है कि हर कक्षा में एक अध्यापक दे दें। दो अध्यापक आपके विधान सभा क्षेत्र में सुनिश्चित कर दिये गये हैं। मानक के अनुसार उनका पालन कर दिया गया है और हर विद्यालय में 2-2 वह पहुंच रहे हैं। एक भी विद्यालय आपके विधान सभा क्षेत्र में ऐसा नहीं है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।

श्री श्री रामपाल—

मान्यवर, नत्थी "घ" का प्रश्न संख्या-1 छूट गया है।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, ठीक 12 बजे मेरा प्रश्न आया है और आपने छोड़ दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय प्रमोद कुमार जी, आप गरिमा बनाकर रखें यही करण है कि कभी-कभी आप कठिनाई में फंसते हैं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

मान्यवर, शासन की नीति जो है वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, 40 : 1 की नीति है यह कौन सी नीति बता रहे हैं मैंने और कोई नीति घोषित नहीं की है तो कौन सी नीति का पालन हो जायेगा।

(शोर)

डा० धर्मज्ञ मिश्र—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग स्थान ग्रहण करें यह लिखा नहीं जायेगा।

डा० धर्मज्ञ मि:

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग स्थान ग्रहण करें। प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूँ।

श्री राम विशुन आजाद—

[× × ×]

डा० धर्मज्ञ मिश्र—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई बात कार्यवाही में अंकित नहीं की जाएगी।

श्री राम विशुन आजाद—

[× × ×]

(विपक्ष के सदस्यगण नारे लगाने लगे)

(व्यवधान)

नोट—नत्थी "घ" के तारांकित प्रश्न सं० 8 के बाद प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 से प्रदेश में चल रहे मिनी सीमेन्ट प्लान्ट के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

*9—श्री बाल चन्द्र मिश्र—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दो वर्षों (वर्ष 1996-97 तथा 1997-98) से प्रदेश में कितने मिनी सीमेन्ट प्लान्ट चल रहे हैं? उक्त अवधि में कितने मिनी सीमेन्ट प्लान्ट की इकाइयों को सेक्शन–29 के अन्तर्गत अधिग्रहीत किया गया है?

श्री कल्याण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में आम की कटान पर लगाये गये प्रतिबंध

*10—श्री अम्मार रिज़वी—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश के अनुसार आम के कटान से पाबंदी हटा ली गयी है? यदि हां, तो कितने आम के नये वृक्ष उसके स्थान पर लगाये गये? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि पूरे प्रदेश में आम की अन्धाधुन्ध कटान से पर्यावरण को भारी धक्का लगा है? क्या इस कटान को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री रघुबर दयाल वर्मा)—

शासकीय अधिसूचना संख्या—1937/14-प० भू० वि०/97-7-93, दिनांक 14-8-97 द्वारा आम के कटान से पाबंदी हटा ली गई थी, परन्तु अधिसूचना संख्या–1057/14-प० भू० वि०/98-7/93, दिनांक 5-6-98 द्वारा इस प्रजाति के कटान को पुनः प्रतिबंधित कर दिया गया है।

वन विभाग की पौधशालाओं से वर्ष 1997-98 में 2,75,660 आम के वृक्षों तथा उद्यान विभाग एवं निजी पौधशालाओं से 67,00,349 आम के वृक्षों की आपूर्ति की गई।

जी नहीं।

शासकीय अधिसूचना संख्या–1057/14-प०भू० वि०/98-7/93, दिनांक 5-6-98 द्वारा आम प्रजाति के वृक्षों के कटान को पुनः प्रतिबंधित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र, आजमगढ़, इलाहाबाद में खनन कार्य पर प्रतिबन्ध होने के फलस्वरुप कथित रुप से विकास कार्य में बाधा एवं बेरोजगारी

*11—डा० सरजीत सिंह डंग—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र, आजमगढ़, इलाहाबाद में खनन कार्य पर पूरी तरह रोक होने के कारण विकास के सभी कार्य ठप पड़े हैं और लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं? यदि हां, तो उ० प्र० शासन इस संदर्भ में क्या कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं। केवल सोनभद्र जनपद में 147 पट्टों की भूमि के वन विभाग द्वारा वन भूमि होने के दावा करने के कारण, गोडाबर्मन थिरूमलकपाद बनाम यूनियन आफ इंडिया वाद में मा०

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.96 का अनुपालन करते हुए खनन पर रोक लगायी गयी है। शेष संदर्भित जनपदों में वन क्षेत्रों को छोड़कर खनन कार्य रोके जाने की कोई सूचना नहीं है।

जनपद सोनभद्र में वन क्षेत्र का सीमांकन किया जा रहा है जिसके पूर्ण हो जाने के पश्चात् वन क्षेत्र तथा उससे लगी 100 मीटर की पट्टी को छोड़ते हुए खनन की अनुमति नियमानुसार दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

डालीबाग स्थित विधायकों के आवासों का रख-रखाव एवं विद्युत, गैरेज आदि की व्यवस्था ठीक किये जाने की माँग

*12—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह —

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि डालीबाग स्थित विधायक आवासों की व्यवस्था अनुमन्य सामग्री के न मिलने की अव्यवस्था सहित भवन के रखरखाव अत्यन्त खराब हैं? क्या यह भी सही है कि वहां पर लगी विद्युत व्यवस्था, गैरेज आदि व्यवस्था भी ठीक नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन तथा उसमें लगे सभी उपकरण तथा सुरक्षा व्यवस्था को शीघ्र दुरुस्त करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं।

विद्युत व्यवस्था समुचित है। सम्प्रति गैराज नहीं है।

भवन का रख-रखाव तथा उसमें लगे उपकरण दुरूस्त हैं। सुरक्षा हेतु चौकीदार नियुक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई एवं प्रतिशत आदि का विवरण

*13—अम्बरीष कुमार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कुल कितनी है? यह पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई के अनुपात में कितने प्रतिशत है? क्या प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुछ राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं? यदि हां, तो कब और वह प्रस्ताव कितनी लम्बाई के हैं?

श्री कलराज मिश्र—

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मार्ग की लम्बाई 3392 कि० मी० है।

8.8 प्रतिशत है।

जी हाँ।

जनवरी, 1998 में 1052.41 कि० मी० के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये।

औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को तेंदूपत्ता के आवंटन की प्रक्रिया

*14—श्री अफजाल अहमद—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को तेंदूपत्ता के आवंटन में सरकार क्या सुविधा प्रदान कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार बीड़ी मजदूरों के हित के लिये कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

बीड़ी उत्पादन के लिये उ० प्र० वन निगम द्वारा बीड़ी औद्योगिक उत्पादन सहकारी समितियों को तेन्दूपत्ता आवंटन में कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है।

आवंटन द्वारा तेन्दू पत्ता बिक्री की कोई प्रक्रिया नहीं है। तेन्दू पत्ता की विक्री उ० प्र० वन निगम द्वारा निविदा अथवा सार्वजनिक नीलाम द्वारा की जाती है।

जी नहीं। वन विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उ० प्र० राज्य सिविल सेवा (पी०सी०एस०) में अपनायी गयी स्केलिंग पद्धति का औचित्य

*15—श्री राम नक्षत्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ० प्र० राज्य सिविल सेवा (पी०सी०एस०) में अपनायी गयी "स्केलिंग" पद्धति जो दोषपूर्ण है, को समाप्त किये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न वैकल्पिक विषयों के अभ्यर्थियो को मुख्य परीक्षा में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु, संघ लोक सेवा आयोग की भांति स्केलिंग पद्धति लागू की गयी है, जो पूर्णतया युक्ति संगत एवं वैज्ञानिक है। अतः इसे समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर-झाँसी पर उरई व ग्राम आटा के मध्य स्थित चमारी नाले के पुल के समानान्तर बनवाये गये लोहे के अस्थाई पुल का औचित्य

*16—श्री श्रीराम पाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर-झांसी पर उरई व ग्राम आटा के मध्य स्थित चमारी नाले के जीर्ण-शीर्ण पुल के समानान्तर लोहे का अस्थाई पुल कुछ वर्षों पूर्व बनाया गया था? यदि हां, तो अस्थाई पुल निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च की गयी? क्या सही है कि उस पर कोई आवागमन नहीं हो रहा है? यदि हां, तो उसके निर्माण का औचित्य क्या है?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

रु० 12.02 लाख

जी हां।

अस्थाई हेमल्टन सेतु का निर्माण, पुराने आर्च सेतु के क्षतिग्रस्त होकर असुरक्षित हो जाने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कराया गया था।

प्रत्येक विकास खण्ड में तीन-तीन सरकारी या गैर सरकारी इण्टरमीडिएट कालेज खोलने तथा महंगी पाठ्य पुस्तकों का शुल्क कम करने की मांग

*17—श्री श्याम किशोर यादव—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार नियमों का सरलीकरण कर प्रत्येक विकास खण्ड में तीन-तीन इण्टरमीडिएट कालेज सरकारी या गैर सरकारी खोलने पर विचार करेगी? सरकार महंगी पाठ्य पुस्तकों को सस्ती करने तथा शुल्क कम करने की क्या कोई व्यवस्था कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

जी नहीं।

राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का मूल्य न्यूनतम निर्धारित है। शासकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा—12 तक पहले से ही निःशुल्क शिक्षा की व्यावस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद हरदोई में विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम कोकट मऊ तथा नेवादा परस को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

1—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम कोकट मऊ की आबादी लगभग सत्रह सौ होते हुए भी अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? सरकार उक्त कोकट मऊ ग्राम को मुख्य सड़क से कब तक जोड़ेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण इस कार्य को यथासमय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

2—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लावां का लगभग 1300 की आबादी वाला ग्राम नेवादा परस अभी तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

अभी यह कार्य स्वीकृत नहीं है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद जालौन में ग्राम बम्हौरा के पास मलंगा नाले पर सेतु निगम द्वारा बनाये जा रहे सेतु निर्माण के कर्मचारियों को अस्थायी आवास व्यवस्था

3—श्री श्रीराम पाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में ग्राम बम्हौरा के पास मलंगा नाले पर सेतु निगम द्वारा बनाये जा रहे सेतु निर्माण के कर्मचारियों को आवास निर्माण हेतु सेतु निगम को धनराशि दी गयी थी? यदि हां, तो कितनी? क्या यह सच है कि साईट पर एक भी आवास न बनाकर धन का गबन किया गया है? यदि हां, तो क्या मौके पर खर्च धनराशि का सत्यापन कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

सेतु निगम को कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु अलग से धनराशि नहीं दी गयी थी।

जी नहीं। साईट पर कर्मचारियों के लिए अस्थायी आवास बनाये गये हैं।

आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

4—श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी—

[4थे गुरुवार के अता०प्र०सं० 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

5—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

[6ठे शुक्रवार के अता०प्र०सं० 75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम भगतूपुर सन्तपुर को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

6—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड मल्लावां का लगभग 1600 की आबादी वाला ग्राम भगतूपुर सन्तपुर आज तक मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भगतूपुर-सन्तपुर ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जिला स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों का दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम विराइचमऊ को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

7—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम विराइचमऊ की आबादी दो हजार चार सौ पैंसठ है और उक्त

ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ा नहीं गया है? यदि हां, तो उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से कब तक जोड़ा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

ग्राम की आबादी 1348 है तथा इसे मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है।

जिला स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत् रखते हुए विचार किया जाएगा।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम रुकनापुर को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

8—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम रुकनापुर की आबादी दो हजार दो सौ चालीस है किन्तु उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र—

प्रश्नगत ग्राम की आबादी 1387 है तथा इसे मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है।

सीमित संसाधनों के दृष्टिगत् इस कार्य को यथासमय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

माधौगंज से मेंहदीघाट रोड जनपद हरदोई पर डिगरी ताल के पास पुलिया निर्माण की स्वीकृति

9—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माधौगंज से मेंहदीघाट रोड जनपद हरदोई पर डिगरी ताल के पास पुलिया निर्माण के संबंध में पत्र संख्या—एम—3/39-6/हरदोई/96, दिनांक 13-12-96 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग ने कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

कार्य स्वीकृत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता श्री राजेन्द्र कुमार, निर्माण खण्ड–3, लो०नि०वि०, गाजियाबाद का स्थानान्तरण

10—श्री विरेन्द्र सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता श्री राजेन्द्र कुमार, निर्माण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद पिछले लगभग 15 वर्षों से 2 जनपदों में (केवल बीच के लगभग 2 वर्ष छोड़कर) दिल्ली की लगभग 45 कि०मी० की परिधि नोयडा, बागपत व गाजियाबाद में तैनात रहे हैं तथा इन्होंने पिछले 15 वर्षों से नानवर्किंग डिवीजन में कार्य नहीं किया

है? यदि हां, तो क्या शासन की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उक्त अधिकारी को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

जी हां।

श्री राजेन्द्र कुमार को स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

11—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी में दो कन्या हाई स्कूल विद्यालय खोलने की मांग

12—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पट्टी प्रतापगढ़ में 2 कन्या हाई स्कूल विद्यालयों के लिये मुख्य मंत्री की स्वीकृति आदेश संख्या—सी०एम०वि०को० एम—5/10721/प्रतापगढ़/98, दिनांक 15-5-98 उनको प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसके अनुपालन हेतु आदेश कब जारी हुए हैं? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त दो हाई स्कूल विद्यालय कब तक खोल दिये जायेंगे?

डा० नैपाल सिंह—

जनपद प्रतापगढ़ के दो विकास खण्डों–पट्टी एवं मगरौरा में कन्या विद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ।

आदेश जारी किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड–पट्टी असेवित की श्रेणी में न होने के कारण योजनान्तर्गत स्वीकृति नहीं दिया जाना है। विकास खण्ड–मगरौरा में वर्ष 1994-95 में "सावित्री बाई फुले कन्या माध्यमिक विद्यालय" खोले जाने की स्वीकृति दिये जाने के फलस्वरूप इसी विकास खण्ड में योजनान्तर्गत अन्य विद्यालय की स्वीकृति नहीं दी जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित "विशेष केन्द्रीय विद्यालय" गाजियाबाद में पहाड़ी जिलों के निवासियों के निर्धन एवं मेधावी छात्रों के प्रवेश हेतु आरक्षित सीट

13—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या सरकार को जानकारी है कि मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित "विशेष केन्द्रीय विद्यालय" माजियाबाद में विभिन्न प्रदेशों के सीमावर्ती पहाड़ी जिलों के निवासियों के निर्धन एवं मेधावी छात्रों के प्रवेश हेतु कुछ सीटें आरक्षित हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नाम भेजे जाते हैं? यदि हां, तो शिक्षा सत्र 1997-98 में सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ से कितने छात्रों के नाम भेजे गये हैं।

श्री रवीन्द्र शुक्ल —

जी हां।

शिक्षा सत्र 1997-98 में जनपद-पिथौरागढ़ के कुल दो छात्रों के नाम भेजे गये।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में शासनादेश के अनुरूप शैक्षिक पदों के सृजन की प्रक्रिया

14—श्री बनारसी दास चांदना —

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में आठवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति उपरान्त शासनादेश संख्या–749/15(15)/97-39(3)/91, दिनांक 30 मार्च, 1997 द्वारा कितने शैक्षिक पदों के सृजन की व्यवस्था की गयी है? क्या उपरोक्त शासनादेश में यह प्रतिबन्ध था कि शासन द्वारा विशिष्टीकरण अनुमोदित कराने के पश्चात् ही यह पद सृजित किये जायेंगे? यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय द्वारा इन पदों का विशिष्टीकरण शासन से कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि इन पदों पर शासन से विशिष्टीकरण अनुमोदित कराये बिना विश्वविद्यालय द्वारा चयन प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो क्या चयन प्रक्रिया निरस्त करने की कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर —

चार पद (प्रवक्ता) राजनीति शास्त्र–1, जन्तुविज्ञान–1 एवं अर्थशास्त्र–2

जी हां।

जी नहीं।

विश्वविद्यालय से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

जी हां।

विश्वविद्यालय से स्थिति स्पष्ट कराने के वाद यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद जौनपुर में शाहगंज रजबाहा एवं जासोपुर माइनर की पटरी को पक्का करने हेतु अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा जिलाधिकारी जौनपुर से धन उपलब्ध कराने की मांग।

15—श्री बांके लाल सोनकर —

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर-जनपद में शाहगंज रजबाहा एवं जासोपुर माइनर की पटरी को पक्का करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–1 ने जिलाधिकारी, जौनपुर को पत्रांक–989, दिनांक 3-9-97 द्वारा सड़क निर्माण हेतु 16.38 लाख रुपये की मांग की है? यदि हां, तो क्या शासन ने नहर की पटरी पक्का कराने हेतु धन उपलब्ध करा दिया है? यदि नहीं, तो क्यों? यह धन कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र —

जी हाँ।

जी नहीं।

कार्य स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राचार्य पी०एम०बी० पालीटेक्निक, मथुरा को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्यवाही के निर्देश

16—श्री अजय कुमार पोइया —

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राचार्य, पी०एम०बी० पालीटेक्निक, मथुरा के संबंध में मा० मुख्य मंत्री के विधायक कोष्ठ का पत्रांक–सी०एम०/वि० को/एम–3/8514/मथुरा/98. दिनांक 30-3-98, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर —

जी हाँ।

जिलाधिकारी मथुरा/प्राधिकृत नियन्त्रक, पी०एम०वी० पालीटेक्निक मथुरा तथा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, कानपुर को मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सभी कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

जनपद उन्नाव के पुरवा पाटन, ओसिया बन्दी खेड़ा, पाटन-धानी खेड़ा आदि मार्गों की मरम्मत कराने की मांग

17—श्री कृपा शंकर सिंह —

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद की पुरवा पाटन मार्ग, ओसिया बन्दी खेड़ा मार्ग, ओसिया बन्दी खेड़ा मार्ग, पाटन-धानी खेड़ा मार्ग, भगवन्त नगर-चैनपुर मार्ग विगत तीन वर्षों से मरम्मत न होने के कारण गड्ढों में बदल गये हैं? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विगत डेढ़ वर्षों में अनेकों पत्र जिलाधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड उन्नाव को दिये गये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? सड़कों की मरम्मत का कार्य कब तक करा दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र —

जी नहीं। मार्ग क्षतिग्रस्त है।

जी हाँ।

उपलब्ध संसाधनों के अनुसार मार्गों की मरम्मत का कार्य कराया जाता रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

पुरवा बीघापुर मार्ग की शिवदीन खेड़ा तथा पुरवा पाटन से पनहन के सामने की क्षतिग्रस्त पुलियों के मरम्मत की मांग

18—श्री कृपा शंकर सिंह —

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि पुरवा बीघापुर मार्ग की शिवदीन खेड़ा के सामने की पुलिया एवं पुरवा पाटन मार्ग की पनहन के सामने की पुलिया लगभग डेढ़ वर्ष से टूटी है? क्या यह भी सही है कि उक्त पुलियों के टूटे होने के कारण आवागमन बाधित है? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा विगत एक वर्ष में अनेकों पत्र जिलाधिकारी, उन्नाव एवं अधिशासी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव को दिये गये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है? उक्त पुलियों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

जी नहीं। अस्थाई मरम्मत व डाइवर्जन मार्ग से यातायात चालू है।

जी हाँ।

शिवदीन खेड़ा व पुरवा पाटन से पनहन के सामने की पुलियों के निर्माण हेतु डी०आर० डी०ए० से धन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति में है।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

19—श्री अम्बिका चौधरी—

[4थे बुधवार में अता०प्र०सं० 190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री राजेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद के विरुद्ध शिकायतों पर जांच

20—श्री वीरेन्द्र सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद के विरुद्ध आजमगढ़ में तैनाती के समय की शिकायतों पर सी०सी०ए० रूल्स के अन्तर्गत जांच की गयी थी? यदि हां, तो जांच के परिणामों पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

श्री राजेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता को भविष्य में सतर्क रहने के लिये आदेश दिनांक 25-4-96 द्वारा सचेत किया गया है।

लोक निर्माण विभाग खण्ड–2 गोण्डा द्वारा नरायनपुर कला से रामपुर सम्पर्क मार्ग पर किये गये अनुबन्ध की तकनीकी जांच कराये जाने की मांग

21—श्री बावन सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग खण्ड–2 गोण्डा द्वारा नरायनपुर कला से रामपुर सम्पर्क मार्ग पर किये गये अनुबन्ध की तकनीकी जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-7-97 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या सरकार दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

शिकायती पत्र पर टी०ए०सी० से जांच कराई गयी है।

कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

कटरा बाजार के अशोकपुर तिलका तथा गोण्डा कचेहरी से कटरा मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितता की टी०ए०सी० से जांच

22—श्री बावन सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा रेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र कटरा बाजार के अशोकपुर तिलका तथा गोण्डा कचेहरी से कटरा मार्ग के निर्माण में की गयी अनियमितता की टी०ए०सी० जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-7-97 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

टी०ए०सी० से जांच कराई गई है। कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद बांदा में वर्ष 1980-81 में तिन्दवारी–फतेहपुर मार्ग पर निर्मित और वर्ष 1993 में क्षतिग्रस्त पुलिया की जांच

23—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1980-81 में तिन्दवारी–फतेहपुर मार्ग पर 296 कि०मी० में 3×6.00 मी० आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कराया गया था जो वर्ष 1993 में क्षतिग्रस्त हो गयी थी? क्या यह सही है कि उक्त की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा 12-8-94 को की गई थी? यदि हां, तो जांच में कौन दोषी पाया गया? क्या दोषी अधिकारियों से वसूली कर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

प्रथम दृष्टा प्रकरण में निम्नलिखित अधिकारी दोषी पाये गये हैं जिनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच कार्यवाही गतिमान है :–

1—श्री उमेश दीक्षित, अधि०अभि०

2—श्री के०एन० दीक्षित, सहा०अभि०

3—श्री हरिमोहन सिंह चोपड़ा, सहायक अभियन्ता

4—श्री शिव मूर्ति शर्मा, अवर अभियन्ता।

वर्ष 1980-81 में श्री कैलाश नारायण दीक्षित का लोक निर्माण विभाग बांदा में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहना एवं उनके कार्यकाल में तिन्दवारी–फतेहपुर मार्ग पर पुलिया निर्माण मे हुयी अनियमितताओं की जांच

24—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–1 में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता इस पद पर कितने वर्षों से कार्यरत हैं? क्या वर्ष 1980-81 में उक्त अधिशासी अभियन्ता सहायक अभियन्ता के रूप में भी कार्यरत रहे हैं? क्या

वर्ष 1980-81 में उक्त सहायक अभियन्ता के पद पर रहते हुए तिन्दवारी–फतेहपुर मार्ग पर कि०मी० 276 में पुलिया निर्माण में अनियमितताओं के लिये उन्हें दोषी पाया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

निर्माण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग बांदा में अधिशासी अभियंता के पद पर श्री कैलाश नारायण दीक्षित दिनांक 12-12-96 से कार्यरत हैं।

जी हां, वर्ष 1980-81 में श्री कैलाश नारायण दीक्षित सहायक अभियंता के पद पर प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि० बांदा में कार्यरत थे।

जी हां, प्रकरण में जांच की कार्यवाही गतिमान है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बलरामपुर में तहसील उतरौला के उप जिलाधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

25—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत स्थित तहसील उतरौला के वर्तमान उप जिलाधिकारी के विरुद्ध जांच विषयक पत्र विधायक प्रकोष्ठ पत्र संख्या-दिनांक 5-11-97/सी०एम०/वि०को०/एम–3/5530/गोण्डा/97, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या बिन्दुवार जांच करा ली गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि जांच कराई जायेगी, तो कब तक? क्या जांच समिति का गठन किया गया है? क्या जांच आख्या से सदन को अवगत कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जांच कराई जा चुकी है।

जी नहीं।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर जिलाधिकारी बलरामपुर के माध्यम से जांच कराई गई। जांच अधिकारी अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) बलरामपुर ने शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर बिन्दुवार जांच की।

जांच में शिकायती पत्र मे उल्लिखित सभी शिकायतों को अभिलेखों एवं जन समुदाय से प्राप्त किये गये बयानों के आधार पर निराधार पाया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

26—श्री उबैदुर्रहमान—

[7वें शुक्रवार में अता०प्र०सं० 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के यात्रा भत्ता के बिलों के भुगतान की मांग

27—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में सुदूरवर्ती नगर क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वर्ष 1992 से अब तक यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विलम्ब के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त भुगतान किये जाने के आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय निर्माण निगम इकाई, वाराणसी द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान अल्मोनियम, केसरिया रोड, चकिया, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1992 में कराये गये फाइबर ग्लास के कार्य के अवशेष के भुगतान की मांग

28—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय निर्माण निगम इकाई वाराणसी के वर्क आर्डर संख्या—451/1, दिनांक 25 फरवरी, 1992 द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान अल्मोनियम, केसरिया रोड चकिया, इलाहाबाद द्वारा भारतीय तकनीकी संस्थान, भदोही में फाइबर ग्लास का निर्माण कार्य किया गया था? क्या यह सही है कि उक्त कार्य के अतिरिक्त लगभग एक लाख रुपये का अतिरिक्त कार्य सहायक अभियन्ता, राजकीय निर्माण निगम, इकाई वाराणसी की संस्तुति पर कराया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त फर्म को चार लाख तिरपन हजार चार सौ सत्तर रुपये के विरुद्ध दो लाख बानबे हजार दो सौ नौ रुपये का ही भुगतान किया गया? अब तक शेष धनराशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया? विलम्ब के लिए कौ अधिकारी दोषी है? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए भुगतान किये जाने हेतु आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्म को रुपये 3,56,000/- का कार्यादेश दिया गया था जिसके विपरीत रुपये 50,000/- दोष पूर्ण कार्यों का पैसा काटकर शेष रुपये 3,06,000/- का भुगतान कर दिया गया।

कोई नहीं।

जी नहीं।

भुगतान अवशेष नहीं है।

जनपद जालौन के ग्राम टिकरी मुस्तकिल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की कथित बन्दी तथा तैनात अध्यापकों का अन्यत्र स्थानान्तरण की मांग।

29—श्री श्रीराम पाल—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जालौन के क्षेत्र पंचायत कुठौन्द के ग्राम टिकरी मुस्तकिल परिषदीय प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1997 में पूरे वर्ष बन्द रहा तथा छात्रों को

छात्रवृत्ति तथा मध्यान्ह के भोजन का गेहूं नहीं बांटा गया? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय में तैनात अध्यापकों का अन्यत्र स्थानान्तरण कराकर दूसरे अध्यापकों की व्यवस्था शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने तक कर दी जायेगी। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल —

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फतेहपुर की तहसील फतेहपुर/सदर में ग्राम ओती, दतौली व अढ़ावल में माफियाओं द्वारा यमुना नदी से बालू खनन हेतु कराये गये फर्जी पट्टों की जाँच

30—श्री अयोध्या प्रसाद पाल —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद-फतेहपुर के तहसील फतेहपुर/सदर में यमुना नदी में ग्राम ओती, दतौली व अढ़ावल में बालू माफियाओं द्वारा निषादों के नाम फर्जी पट्टा कराकर अवैध रूप से लोडर मशीन लगाकर बालू खनन का कार्य किया जा रहा है? क्या यह सही है कि लोडर मशीन द्वारा खनन शुरू होने के कारण मजदूर भुखमरी की कगार में आ गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार लोडर मशीन पर रोक लगाकर मजदूरों से खनन की अनिवार्यता लागू करेगी? क्या लोडर मशीन से अवैध खनन करने वाले बालू माफियाओं के विरुद्ध जांच कर कानूनी कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह —

प्राप्त सूचनानुसार यमुना नदी में बालू का खनन नहीं होता है। यमुना नदी के ग्राम औती के खण्ड संख्या–59 तथा 64 में पट्टाधारकों द्वारा किराये की लोडर मशीन से मौरम खनन का कार्य किया जाना प्रकाश में आया है। यह पट्टाधारक निषाद समुदाय के सदस्य हैं।

मशीन के उपयोग से मानवीय श्रम का प्रभावित होना स्वाभाविक है।

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत पट्टेदार भूमि पर मशीन संयंत्र स्थापित करने हेतु अधिकृत है।

इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17-5-98 को दर्ज करायी गयी थी जिसमें आरोप पत्र दिनांक 4-7-98 को दाखिल किया गया। सम्प्रति यह प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन ६।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

31—श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी —

[दिनांक 14-7-98 को अता०प्र०सं०–18 द्वारा उत्तरित।]

कस्बा खेकड़ा, (जिला-बागपत) से दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग का निर्माण कार्य

32—श्री रूप चौधरी —

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा खेकड़ा, (जिला-बागपत) से दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग का लगभग ढाई कि०मी० मार्ग का निर्माण कार्य बीच में रुका पड़ा है? यदि

हां, तो सरकार इसे कब तक पूरा कराने जा रही है? क्या इस ढाई कि०मी० मार्ग की चौड़ाई का सीमांकन किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक उक्त दोनों कार्य सम्पन्न हो जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजकुमार सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान राज० इण्टर कालेज बहराइच का स्थानान्तरण न्यायालय के हस्तक्षेप पर निरस्त

33—डा० वकार अहमद शाह—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने अपने पत्रांक 1748/शि०मं०/98, दिनांक 1-5-98 द्वारा किसके सम्बन्ध में क्या आदेश दिये थे? यह आदेश किन बिन्दुओं पर दिया गया था? इस आदेश का अनुपालन किस तिथि में किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि इस आदेश का अनुपालन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1993 में पारित किसी आदेश के क्रम में नहीं किया गया? क्या यह भी सत्य है कि इस सम्बन्ध में कोई विधिक परामर्श निदेशालय को दिनांक 17-5-98 को स्पीड पोस्ट से भेजा गया था? यदि हां, तो इसके बिन्दु कौन-कौन से हैं? क्या शासन उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल करायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र पर श्री राज कुमार सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इण्टर कालेज बहराइच के स्थानान्तरण करने के आदेश दिये गये थे।

प्राप्त प्रार्थना-पत्र में इनके विरुद्ध ग्यारह वर्षों से अधिक समय तक एक ही स्थान पर कार्यरत रहते वहां का शैक्षिक वातावरण प्रदूषित करने, छात्रों को (ट्यूशन) हेतु विवश करने एवं उनसे अवैध वसूली करने, जुलाई, 1997 से मार्च 1998 तक की अवधि में प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर रहते वित्तीय अनियमिततायें बरतने की गम्भीर शिकायतें थी।

इस आदेश का अनुपालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12-6-98 को किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के प्रभावी होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये जा चुके हैं।

जनपद–झाँसी में एरच के पास बेतवा नदी पर सेतु निगम द्वारा सेतु निर्माण के पश्चात अवशेष सामग्री का कथित विक्रय

34—श्री श्रीराम पाल —

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-झांसी में एरच के पास बेतवा नदी पर सेतु निगम द्वारा सेतु के निर्माण के बाद अवशेष सामग्री कर्मचारी आवास, स्टोर रूम आदि हटाकर उपलब्ध सामग्री का विक्रय कितनी धनराशि में किया गया है? क्या यह सही है कि सेतु निगम की 85 टन वजन की लोहे की लांचिंग को अभी भी वहीं रखा गया है जिसको काट-काट कर बेंचा जा रहा है? यदि हां, तो क्या तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र —

अवशेष सामग्री का विक्रय नहीं किया गया है।

लांचिंग ट्रस की सामग्री इकाई में उपलब्ध है। इसे बेंचा नहीं गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जालौन में औरैया मार्ग पर हदरुख नाले के पुल से ग्राम-हरसिंहपुर तक घटिया किस्म की सड़क निर्माण की जांच की मांग

35—श्री श्रीराम पाल —

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जालौन में कुछ वर्षों पूर्व जालौन औरैया मार्ग पर हदरुख नाले के पुल से ग्राम-हरसिंहपुर तक सड़क के निर्माण में सोलिंग के बाद बजरी न डाल कर मिट्टी का प्रयोग किया गया और उसके ऊपर क्रम मात्रा में गिट्टी डालकर लेपन-कार्य किया गया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सड़क ऊंची-नीची होकर उखड़ रही है? क्या सरकार उक्त कार्य की टी०ए०सी० जांच कराकर पुनः मूल्यांकन कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र —

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला-छत्रपति साहू जी महाराजनगर के प्रान्तीय खण्ड, कर्वी में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री वहीद वक्स द्वारा कराये जा रहे कार्यों की टी० ए० सी० से जांच

36—श्री आर० के० सिंह पटेल —

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला-छत्रपति साहू जी महाराजनगर के प्रान्तीय खण्ड, कर्वी में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री वहीर वक्स के द्वारा कराये जा रहे कार्यों की टी०ए०सी० जांच करायी गयी है? यदि हां, तो उपरोक्त जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र —

प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग छत्रपति साहू जी महाराजनगर में कार्यरत सहायक अभियंता का नाम वहीर वक्स नहीं वरन श्री वहीद बख्श है। उनके द्वारा कराये गये कार्यों की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ (टी०ए०सी०) से कराई गयी। जांच आख्या परीक्षणाधीन है।

जिला-छत्रपति साहू जी महाराजनगर के ग्राम–अगरहुन्डा में पैश्वनी नदी पर कथित रपटा का निर्माण

37—श्री आर० के० सिंह पटेल—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला-छत्रपति साहू जी महाराजनगर के ग्राम–अगरहुन्डा में पैश्वनी नदी पर रपटा निर्माण कराया गया था जो उसी वर्ष टूट गया था? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच कराकर धन वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस पर पुनः निर्माण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग उन्नाव द्वारा कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्य

38—श्री राम शंकर पाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता लो० निर्माण विभाग, उन्नाव को दिनांक 8-5-98 को दिया गया पत्र संख्या–क–2–952376 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या पत्र में वर्णित सम्पर्क मार्गों का निर्माण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सभी निर्माण कार्य अविलम्ब कराये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

पत्र में वर्णित नौ मार्गों में से दो मार्गों के प्रथम सतह लेपन तक का कार्य पूर्ण हो गया है। दो मार्गों पर कार्य प्रगति पर है एवं शेष पांच मार्गों पर कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-उन्नाव में ग्राम-जगत नगर सहजनी रोड के निर्माण की माँग

39—श्री राम शंकर पाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव में ग्राम-जगत नगर सहजनी रोड का निर्माण वर्ष 1996-97 में क्या जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो आगणन की धनराशि क्या थी ? क्या निर्माण कार्य तो लेपन स्तर का हो गया है यदि नहीं तो क्यों? क्या यह सच है कि उक्त निर्माण कार्य रोक दिया गया है? क्या जिलाधिकारी उन्नाव को शेष कार्य हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने के निर्देश दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

कार्य स्वीकृत नहीं है।

जी नहीं।

जी नहीं, क्योकि लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य स्वीकृत नहीं किया गया।

उपरोक्तानुसार।

उन्नाव से हरदोई मार्ग, बांगरमऊ से संडीला तथा बांगरमऊ से लखनऊ मार्गों को गड्ढा मुक्त कराने के अभियान में हुयी वित्तीय अनियमितता की जांच

40—श्री राम शंकर पाल —

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव से हरदोई मार्ग, बांगरमऊ से संडीला तथा बांगरमऊ से लखनऊ मार्गों को गड्ढा मुक्त कराने के अभियान में धनराशि प्राप्त करायी गयी थी? यदि हां, तो क्या यह सच है कि मानक के अनुसार गिट्टी व डामर न डालकर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों के कार्यों की तकनीकी सेल द्वारा जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र —

ज़ी हाँ।

जांच कराई जा रही है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग उन्नाव के कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण के संदर्भ में जानकारी

41—श्री राम शंकर पाल —

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता लो० नि० वि०, उन्नाव को दिनांक 8-5-98 को दिया गया पत्र सं० क–2-2952376 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में वर्णित सम्पर्क मार्गों का निर्माण किस स्तर तक हो गया है? क्या वर्तमान सरकार का कोई ऐसा निर्देश निर्माण कार्यों को रोकने हेतु दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या पत्र से सम्बन्धित सभी निर्माण कार्य अविलम्ब कराये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र —

जी हाँ।

पत्र में वर्णित नौ मार्गों में से दो मार्गों का प्रथम सतह लेपन तक का कार्य पूर्ण हो गया है। दो मार्गों पर कार्य प्रगति में है एवं शेष पांच मार्गों पर कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका।

जी नहीं।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर के बहुआ, असोधर विकास खण्डों में मुत्तौर देवगाँव जमेनी ग्राम में वृक्षारोपण हेतु कथित रूप से गड्ढा निर्माण एवं व्यय

42—श्री अयोध्या प्रसाद पाल—

क्या वन मंत्री कृपाया बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर के बहुआ, असोधर विकास खण्डों में वर्ष 1997-98 में मुत्तौर देवगांव जमेनी ग्राम में वृक्षारोपण हेतु गड्ढा निर्माण में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी? कितने गड्ढे तैयार किये गये? क्या सम्पूर्ण मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है? क्या यह सही कि मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न कर फर्जी मस्टर रोल बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार मस्टररोल का सत्यापन कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

जनपद फतेहपुर के बहुआ असोधर विकास खंडों में वर्ष 1997-98 में मुत्तौर देवगांव जमेनी ग्राम में वन विभाग द्वारा कोई वृक्षारोपण नहीं कराया गया है अतः इन ग्रामों में वृक्षारोपण हेतु गडढा निर्माण में कोई धनराशि व्यय करने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

43—श्री अजय कुमार पोइया—

[चौथे गुरूवार में अता० प्र० सं० 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद–सुल्तानपुर में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में कार्यरत प्रवक्ता संवर्ग में चयन वेतनमान के अवशेष भुगतान की मांग

44—तेजभान सिंह—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में कार्यरत प्रवक्ता संवर्ग में चयन वेतनमान का देय अवशेष का भुगतान करने हेतु कितने अध्यापकों के मांग-पत्र वर्तमान समय में जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां लम्बित हैं? इनमें से कितने अध्यापकों को उक्त का भुगतान किया जा चुका है? शेष अध्यापकों का अवशेष न दिये जाने का क्या कारण है? क्या अवशेष भुगतान की कोई प्रक्रिया निर्धारित की गयी है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

जनपद सुल्तानपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां कोई प्रश्नगत प्रकरण लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

अवशेष देयकों की जांचकर शिक्षा निदेशालय प्रेषित किया जाता है। अनुमन्यता तथा अनुदान प्राप्त होने पर उनका भुगतान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम बलेहरा कमालपुर को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

45—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां नि० क्षे० के अन्तर्गत वि० खं० माधौगंज के ग्राम के बलेहरा-कमालपुर की आबादी दो हजार पैंसठ है और उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जिला स्तर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

46—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

[7वें शुक्रवार में अता० प्र० सं०-7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलरामपुर के कतिपय इकाईयों में कार्यदायी संस्था भूमि संरक्षण द्वारा किये गये कार्यों की जांच की मांग

47—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 में कार्यदायी संस्था भूमि संरक्षण ए० पी० डी० पी० तुलसीपुर इकाई तथा पचपेड़वा इकाई विधान सभा क्षेत्र उतरौला जनपद बलरामपुर में, निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितता की जांच विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या एम–4/82–10/गोण्डा/97; दिनांक 27–9–97 को प्राप्त हुआ है? क्या स्थलीय जांच करा ली गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

क्षेत्रीय विकास एवं परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह) —

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलरामपुर में स्थित उतरौला में गांधी ग्राम रूस्तम नगर मार्ग के निर्माण सम्बन्धी सामग्री की आपूर्ति

48—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में स्थित उतरौला में गांधी ग्राम रूस्तम नगर मार्ग का निर्माण वर्ष 1995–96 में होना स्वीकृत हुआ था? क्या मार्ग निर्माण के प्रयोग में आने वाले पत्थर का भुगतान अग्रिम रूप से वर्ष 1995–96 में किया गया है? क्या वर्ष 1996–97 में पत्थर की आपूर्ति करने का आदेश दिया गया था? यदि हां, तो किस तिथि को? यदि आपूर्ति नहीं की गयी है तो इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

दिनांक 10–6–96

अनुबंध में निर्दिष्ट मात्रा की आपूर्ति करा ली गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर क्षेत्र उतरौला में राप्ती नदी पर पिपराघाट पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

49—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व जनपद गोण्डा वर्तमान बलरामपुर क्षेत्र उतरौला में वर्ष 1990–91 में राप्ती नदी पर पिपराघाट पुल के निर्माण के लिये 1 करोड़ 58 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो क्या पिपराघाट पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

वर्ष 1986–87 में रु० 159 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जी नहीं।

अपरिहार्य कारणों से कार्य समय से प्रारम्भ न होने के कारण दिनांक 30–5–92 को स्वीकृति निरस्त कर दी गई।

सम्प्रति कार्य स्वीकृत नहीं है। अतः पूर्ण करने का प्रश्न नहीं उठता।

अतिथि गृहों में प्रदेश सरकार के पात्र अधिकारियों को ठहरने की सुविधा सम्बन्धी जानकारी

50—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अति विशिष्ट अतिथि गृह, विशिष्ट अतिथि गृह, राज्य अतिथि गृह में प्रदेश सरकार के अधिकारियों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध है? क्या माननीय विधायकों के ठहरने पर कोई रोक है? क्या शासन द्वारा इस संबंध में कोई नीति निर्धारित की गई है? यदि हां, तो वह नीति क्या है?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां।

इन अतिथि गृहों के लिए अधिवास से सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत पात्र अधिकारियों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध है।

शासनादेश संख्या 9362/32–3–98 दिनांक 31–3–98 के अनुसार लखनऊ/दिल्ली स्थित अतिथिगृहों में प्रवास हेतु उन महानुभावों को पात्र नहीं माना गया है जिन्हें लखनऊ/दिल्ली में शासकीय आवास आवंटित है। तथापि यदि सम्बन्धित महानुभाव के अनुरोध पर अपरिहार्य परिस्थितियों में उन्हें लखनऊ/दिल्ली स्थित अतिथिगृहों में कोई कक्ष आवंटित किया जाता है, तो उनसे कक्षों का किराया उस दर पर चार्ज करने की व्यवस्था है जो "अन्य व्यक्तियों" के लिये देय है।

मीराबाई मार्ग लखनऊ स्थित राज्य अतिथिगृह में अधिवास के लिए अस्थांविधिक नियमावली है। विशिष्ट अतिथिगृह डालीबाग में अधिवास के लिए अभी नियमावली नहीं बनी है। अतः मीराबाई मार्ग लखनऊ स्थित राज्य अतिथिगृह के लिये बनी नियमावली के प्राविधानों के अनुसार उक्त अतिथिगृह का संचालन किया जा रहा है। अतिविशिष्ट अतिथिगृह के लिए नियमावली का बनाया जाना कृमित है।

जनपद–जालौन के उरई यू० पी० एस० आई० डी० सी० क्षेत्र में अधिकांश औद्योगिक इकाइयों को सस्ते ब्याज पर सरकारी ऋण प्राप्त कर चालू न करके विक्रय किये जाने की जांच की मांग

51—श्री श्रीराम पाल—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के उरई यू० पी० एस० आई० डी० सी० क्षेत्र में कितनी औद्योगिक इकाइयां चालू हैं? कितनी इकाइयों की स्थापना हेतु पंजीकरण, भूमि आवंटन तथा ऋण उपलब्ध कराया गया है? क्या यह सच है कि अधिकांश औद्योगिक इकाइयों के मालिकों द्वारा सस्ते ब्याज पर सरकारी ऋण प्राप्त करके इकाइयों को चालू न कराकर अन्य लोगों को इकाइयां विक्रय कर दी है? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में बन्द पड़े सीमेन्ट कारखानों को चलाने की मांग

52—श्री राम नरेश यादव—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने सीमेन्ट के कारखाने बन्द हैं और इसका क्या कारण है? सरकार उन बन्द कारखानों को चलाने के लिए क्या कार्य योजना तैयार कर रही है?

श्री कल्याण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद–हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में मार्गों का डामरीकरण एवं सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

53—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में अट्ठारह रोडों पर सन् 1974 से क्रमशः खड़न्जा लगाया जा चुका है? क्या उक्त मार्गों को अभी तक डामरीकरण नहीं कराया गया है? क्या मार्ग के खड़न्जा की हालत खराब हो गयी है? यदि हां, तो खड़न्जा को ठीक कराकर डामरीकरण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

मार्गों की सूची न दिये जाने के कारण उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

54—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में 20 वर्ष पूर्व डामर सड़क बनवाई गयी थी जिनकी संख्या 18 है? यदि हां, तो अब तक उक्त मार्ग की मरम्मत क्यों नहीं कराई गयी? कब तक मरम्मत करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

लेपित स्तर तक निर्मित सड़कों की संख्या–16 है।

सामान्य अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

55—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत माधौगंज बधौली रोड से ग्राम बरहस होते हुये दलनपुरवा तक खड़न्जा लगवाकर रोड का निर्माण 16–17 वर्ष पूर्व कराया गया था? क्या सरकार उक्त रोड का डामरीकरण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां खड़न्जा 1.5 किमी० लम्बाई में लगा है।

प्रदेश के सीमित संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई में विकास खण्ड माधौगंज के ग्राम मटियामऊ और भैसीमऊ को मुख्य सड़क से जोड़े जाने की मांग

56—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वि० ख० माधौगंज के ग्राम मटियामऊ की आबादी पांच हजार सत्तानबे है और उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां। ग्राम मुख्य सड़क से जुड़ा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

57—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के वि० ख० माधौगंज के ग्राम भैसीमऊ की आबादी एक हजार सत्तर है और उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त ग्राम को मुख्य सड़क से जोड़ा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

प्रश्नगत ग्राम की आबादी 593 है तथा इसे मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कार्य स्वीकृत नहीं है।

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद बलरामपुर में उतरौला गोण्डा मार्ग पर स्थित गुमड़ी पाइल सेतु का पुनः निर्माण एवं स्थलीय निरीक्षण कराकर दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

58—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व जनपद गोण्डा वर्तमान जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत उतरौला गोण्डा मार्ग पर वर्ष 1994–95 में स्पेशल रिपेयरिंग का कार्य गुमडी पाइल सेतु पर कराया गया है? क्या पुनः इसी पाइल सेतु की स्पेशल रिपेयरिंग वर्ष 1996–97 में करायी गयी है? क्या वर्तमान समय से पाइल सेतु से आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उसका स्थलीय निरीक्षण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? निरीक्षणोंपरान्त दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

वर्ष 1995–96 व 1996–97 में ही विशेष मरम्मत कराई गयी।

जी नहीं।

पाइल सेतु क्षतिग्रस्त होने के कारण

जी हां, यथाशीघ्र।

निरीक्षण के परिणाम के आधार पर।

बलरामपुर, उतरौला क्षेत्र में सादुल्ला नगर–मनकापुर मार्ग से मधुपुर गैड़ास बुजुर्ग मार्ग पर की गयी स्पेशल रिपेयरिंग की तकनीकी जांच

59—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र में सादुल्ला नगर मनकापुर मार्ग से मधुपुर गैड़ास बुजुर्ग मार्ग पर वर्ष 1995–96 तथा वर्ष 1996–97 में विभिन्न किलोमीटर पर स्पेशल रिपेयरिंग के कार्य के लिए कितना धन स्वीकृत हुआ है? क्या कार्य मानक के अनुरूप नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार कार्य स्थल का निरीक्षण

टेक्निकल आडिट सेल से करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? निरीक्षणोंपरान्त पाये जाने वाले दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

केवल वर्ष 1996–97 में 6.51 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई।

जांच कराई जा रही है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार

जांच आख्या पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में नियुक्त शिक्षकों का विनियमितीकरण कराने की मॉंग

60—श्री विशन सिंह चुफाल—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में नियुक्त शिक्षकों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उनका विनियमितीकरण कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण सम्भव नहीं है। अन्य प्रश्न नहीं उठते।

61—श्री विशन सिंह चुफाल—

[छठे शुक्रवार के अता० प्र० सं० 78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विख्यात बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा, जनपद–फर्रुखाबाद पर अनधिकृत कब्जा करने के विरुद्ध न्यायालय द्वारा रोक

62—श्री राम औतार शाक्य—

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विख्यात बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा, जनपद फर्रुखाबाद पर दूसरे धर्मावलम्बियों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर उसके बौद्ध स्वरूप को नष्ट किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-6-98 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

संकिसा के बौद्ध पर्यटक स्थल के बौद्ध मन्दिर एवं आस-पास के क्षेत्र में किसी प्रकार की मरम्मत एवं खुदाई अथवा छेड़-खानी पर द्वितीय अतिरिक्त सिविल जज फतेहगढ़ द्वारा रोक लगाई गयी है। इस प्रकार संकिसा के बौद्ध पर्यटक स्थल के स्वरूप को सुरक्षित रखने हेतु सशस्त्र सुरक्षा गार्ड स्थाई रुप में लगाई गई है। वर्तमान में किसी प्रकार का तनाव उक्त स्थल पर नहीं है। बौद्ध स्तूप पर बने विशारी देवी माता के मन्दिर पर एक छोटा झंडा है। अन्य कोई झंडे नहीं लगे है किसी भी बौद्ध धर्मावलम्बियों/पुजारियों से अभद्र व्यवहार या धोखा-धड़ी एवं ठगी करने तथा अवैध कब्जा करने की घटना प्रकाश में नहीं आयी है।

राष्ट्रीय इण्टर कालेज, जमुहाई जनपद जौनपुर के प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जाँच

63—श्री अफजाल अहमद—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय इण्टर कालेज, जमुहाई जनपद जौनपुर के अध्यक्ष द्वारा प्रबन्धक लालता प्रसाद सिंह को हटाये जाने हेतु एक शिकायती-पत्र 31-12-97 को डी० आई० ओ० एस०, जौनपुर को दिया गया था? यदि हां, तो उक्त पत्र पर कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं?

डा० नैपाल सिंह—

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर द्वारा सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर को जाँच हेतु आदेश दिये जा चुके हैं। जाँच आख्या प्रतीक्षित है।

जनपद-कन्नौज के ठठिया खैर नगर औसेरे मार्ग पाण्डु नदी के औसेर घाट एवं गुरसहायगंज तिर्वा मार्ग पर धोबी घाट ईशन नदी पर स्वीकृत पुलों के निर्माण कार्य

64—श्री कैलाश सिंह राजपूत—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवसृजित जनपद कन्नौज के ठठिया खैर नगर औसेरे मार्ग पाण्डु नदी के औसेर घाट पुल पर वर्ष 1997-98 में 7.50 लाख एवं वर्ष 1998-99 में 20 लाख रुपये एवं गुरसहायगंज तिर्वा मार्ग पर धोबी घाट ईशन नदी पर स्वीकृत पुल हेतु वर्ष 1997-98 में 14.5 लाख रुपये धन आवंटित किया जा चुका है? यदि हां, तो निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं? उपरोक्त पुलों का सरकार निर्माण कब तक शुरू करायेगी तथा कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा?

श्री कलराज मिश्र—

जनपद कन्नौज के ठठिया खोरे नगर औसेरे मार्ग पर पाण्डु नदी के औसेरे घाट पुल पर वर्ष 1997-98 में रु० 7.50 लाख एवं वर्ष 1998-99 में रु० 24.80 लाख का आवंटन किया गया है।

जनपद कन्नौज के गुरसहायगंज तिर्वा मार्ग पर धोबी घाट ईशन नदी पर वर्ष 1997-98 में रु० 14.56 लाख का आवंटन हुआ।

पाण्डु नदी के औसेर घाट पर पुल के स्थल चयन का कार्य दि० 5-7-98 को किया जा चुका है। धोबी घाट पर ईशन नदी पर स्थल चयन की कार्यवाही की जा रही है। दोनों सेतुओं के जलीय आंकड़े आदि के संबंध में सूचना एकत्र करने के उपरान्त परिकल्पना का कार्य किया जायेगा जो प्रगति में है।

पाण्डु नदी सेतु का कार्य माह सितम्बर, 1998 में एवं धोबी घाट ईशन नदी पर सेतु का कार्य माह नवम्बर 98 में प्रारम्भ करना प्रस्तावित है। कार्य का पूर्ण होना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ग्राम्य विकास विभाग से ग्राम्य विकास अधिकारी (महिला) पद के चयन के संबंध में जानकारी

65—श्री राम नक्षत्र तथा श्री लालमणि प्रसाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विघटित प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्राम्य विकास अधिकारी (महिला) पद के चयन हेतु अधियाचन प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो कुल कितने रिक्त पद थे? क्या यह सही है कि अभी तक उसका चयन परिणाम घोषित नहीं किया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? कब तक परिणाम घोषित कर दिया जायेगा?

श्री कल्याण सिंह—

जी हाँ।

166 पद रिक्त थे।

जी हाँ।

चयन प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व ही शासन द्वारा आयोग विघटित कर दिया गया।

शासन द्वारा आयोग को विघटित किया जा चुका है। अतः विघटित आयोग द्वारा चयन परिणाम घोषित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

एम० पी० पी० इण्टर कालेज, बलरामपुर के प्रधानाचार्य पद पर श्री छोटे लाल यादव का योगदान

66—श्री चन्द्रनाथ सिंह—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 17-10-96 के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा प्रधानाचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थियों को योगदान कराये जाने के लिए न्यायालय द्वारा रोका गया है? क्या यह सही है कि उससे पूर्व चयनित एम० पी० पी० इण्टर कालेज बलरामपुर जिला बलरामपुर के प्रधानाचार्य पद पर श्री छोटेलाल यादव को अब तक योगदान नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार योगदान न कराने वाले जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

प्रकरण 17-10-96 से नहीं अपितु इसके पूर्व 10-9-96 से संबंधित है।

जी नहीं, श्री छोटे लाल यादव को प्रधानाचार्य पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कन्या इण्टरमीडिएट कालेज, जौनपुर में महिला प्रधानाचार्य की नियुक्ति की मॉग

67—श्री अफजाल अहमद—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कन्या इण्टरमीडिएट कालेज, जौनपुर का कार्यवाहक प्रधानाचार्य वर्तमान समय में कोई पुरुष है? यदि हां, तो क्यों? महिला प्रधानाचार्य की नियुक्ति सरकार कब तक करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

जी नहीं। राजकीय कन्या इण्टरमीडिएट कालेज, जौनपुर में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत श्री गया दीन यादव को आदेश दिनांक 13-7-98 द्वारा अन्यत्र स्थान्तरित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने के बाद महिला प्रधानाचार्य की नियुक्ति कर दी जायेगी। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जालौन में विभागीय निर्माण इकाई, लो० नि० विभाग, उरई को स्वीकृत कार्यों के निर्माण कार्य की प्रगति

68—श्री श्रीराम पाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में कार्यरत विभागीय निर्माण इकाई लो० नि० वि० उरई को स्वीकृत कार्यों की धनराशि उपलब्ध करा दी जाने के उपरान्त भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने हेतु क्या शासन से कोई निर्देश दिये गये? यदि नहीं, तो निर्माण कार्यों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

एक कार्य के अतिरिक्त अन्य मार्गों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ है। अतः फिलहाल किसी के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश मंत्रि-मण्डल में माननीय मंत्रिगणों को विधायक निवासों के आवासों को आवंटित किये जाने की व्यवस्था

69—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के मंत्रि-मण्डल में कुल कितने मा० मंत्रीगणों को विधायक निवासों के आवास एवं कोठियां दोनों आवंटित की गयी है? क्या उनमें एक आवास खाली कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

36 (छत्तीस) माननीय मन्त्रियों को।

जी नहीं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विधायक के रुप में एक विधायक आवास तथा मंत्री के रुप में एक मंत्री आवास आवंटित है।

जिला छत्रपति साहू जी महराज नगर के ग्राम बरेठी विधान सभा क्षेत्र कर्वी में पयश्वनी नदी पर कथित रपटा निर्माण हेतु धन का आवंटन

70—श्री आर० के० सिंह पटेल—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत 6 मई, 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जिला छत्रपति साहूजी महाराज नगर के ग्राम बरेठी विधान सभा क्षेत्र कर्वी में पयश्वनी नदी पर रपटा निर्माण हेतु धन आवंटित किया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्य विभाग द्वारा शुरु कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों? कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी में बेलराया पनवारी राज मार्ग पर शारदा नदी के पचपेड़ी घाट पर पुल बनाने की कथित योजना

71—डा० कौशल किशोर—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत बेलराया पनवारी राज मार्ग पर शारदा नदी के पचपेड़ी घाट पर पुल बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

सीमित संसाधनों को देखते हुए स्थल पर पान्टून पुल से यातायात चालू रखा जाता है।

आदर्श जनता उ० मा० विद्यालय देवकली लखीमपुर खीरी को अनुदान सूची में लिये जाने की मॉंग

72—डा० कौशल किशोर—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श जनता उ० मा० विद्यालय देवकली लखीमपुर खीरी को अनुदान सूची में ले लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक उक्त विद्यालय को अनुदान सूची में ले लिया जायेगा?

डा० नैपाल सिंह—

जी नहीं।

मान्यता की तिथि के आधार पर वरीयताक्रम में न आने के कारण।

वित्तीय संसाधानों की उपलब्धता को देखते हुए जब विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जायेगा, तब निर्धारित शर्तों की पूर्ति होने पर प्रश्नगत विद्यालय को अुनदान सूची पर लिये जाने पर विचार कर लिया जायेगा।

लखीमपुर में बिलरायां पनवारी राजमार्ग की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मॉंग

73—डा० कौशल किशोर—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिलरायां पनवारी राजमार्ग का वह हिस्सा जो शहर लखीमपुर के अन्दर आता है, टूटकर ध्वस्त हो गया है? क्या उक्त सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो जाने के कारण चलने-फिरने लायक नहीं है? यदि हां, तो क्या उसे बनवाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण राज्य मार्ग का यह भाग जल-भराव से क्षतिग्रस्त हो गया है।

जल भराव से हुई क्षति के फलस्वरुप असुविधा है, लेकिन मार्ग से यातायात निरन्तर चल रहा है।

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

लोक निर्माण विभाग खण्ड–4 जनपद गोण्डा के सहायक अभियन्ता द्वारा कराये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं धन के दुरुपयोग की टी० ए० सी० द्वारा जांच

74—श्री बावन सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लो० नि० वि० खण्ड–4 जनपद गोण्डा के सहायक अभियन्ता द्वारा कराये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं धन के दुरुपयोग की जांच कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21–7–97 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या प्रकरण की जांच कराकर दोषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

टी० ए० सी० से जांच कराई गयी है। कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत पानकुंवर खेड़ा मार्ग के निर्माण की जांच

75—श्री उदयराज यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हिलौली में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996–97 व 1997–98 में पानकुंवर खेड़ा मार्ग के निर्माण कार्य में 20.90 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी है? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि से आंशिक निर्माण कार्य ही किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं, कुल रु० 8.87 लाख का व्यय किया गया है।

जी हां।

धनराशि का व्यय नहीं हो पाने के कारण।

जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद के अधूरे निर्माण कार्य को सरकारी एजेन्सी द्वारा पूर्ण कराये जाने की मांग

76—श्री अकबर हुसैन—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद का निर्माण कार्य निर्माण निगम द्वारा कराया जाना प्रस्तावित था? क्या यह सही है कि उक्त कार्य प्राइवेट ठेकेदार से कराया गया है जो विगत छः माह से बन्द पड़ा है? उक्त विद्यालय में पढ़ रही छात्राओं की समस्याओं एवं आगामी सत्र को ध्यान में रखते हुए अधूरे निर्माण कार्य को किसी अन्य सरकारी एजेन्सी के माध्यम से पूरा कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

सरकारी एजेन्सी द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राणि उद्यान, लखनऊ के सुधार एवं रख-रखाव, मछली क्रय तथा अन्य मदों में किये गये व्यय का विवरण

77—श्री तेजभान सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राणि उद्यान लखनऊ में मछली घर के तकनीकी अधिकारी के कार्यकाल 5 जनवरी, 1995 से 15 जनवरी, 1997 तक सुधार एवं रख-रखाव तथा अक्वैरियम से संबंधित क्या-क्या सामान क्रय किया गया है? इसमें कितनी प्रजाति की कितनी मछलियां क्रय की गयी? तकनीकी अधिकारी के बाद कितना व्यय सुधार, मछली क्रय तथा अन्य संबंधित मदों में व्यय किया गया है? क्या बाद में किया गया व्यय अत्यधिक है? यदि हां, तो उसके लिए कौन-कौन लोग उत्तरदायी हैं? क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

प्रश्नगत अवधि में संलग्नक के अनुसार सामान क्रय किया गया।

प्रश्नगत अवधि में 16 प्रजातियों की विभिन्न 326 मछलियां क्रय की गई।

तकनीकी अधिकारी के पैतृक विभाग को वापसी के बाद में मछली घर पर किये गये कुल व्यय रु० 1,77,449.20 पै० में से रु० 1,59,998.80 पै० मात्र पुराने मछलीघर के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण पर व्यय किया गया। इनकी वापसी के पश्चात् अब तक एक वर्ष पांच माह में रख-रखाव पर रु० 17,450.40 पै० मात्र व्यय हुआ जोकि पूर्व में रख-रखाव पर हुये व्यय की तुलना में अत्यन्त कम है।

प्रश्न नहीं उठता।

[देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 140 पर]

प्राणी उद्यान, लखनऊ में क्यूरेटर प्राणी उद्यान व सीनियर सफाई इन्चार्ज तथा सुरक्षा प्रभारी के पदों के सृजन सम्बन्धी जानकारी

78—श्री तेजभान सिंह—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राणि उद्यान, लखनऊ में क्यूरेटर प्राणि उद्यान व सीनियर सफाई इन्चार्ज तथा सुरक्षा प्रभारी के पद सृजित है? क्या उक्त पदों का सृजन शासन की अनुमति से कराया गया है? यदि नहीं, तो इन अनियमित पदों के सृजन हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

प्राणि उद्यान, लखनऊ में क्यूरेटर (मछलीघर) का पद सृजित है परन्तु सीनियर सफाई इन्चार्ज तथा सुरक्षा प्रभारी का कोई पद सृजित नहीं है।

क्यूरेटर (मछलीघर) का पद शासन की अनुमति से सृजित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में रुदौली क्षेत्र में स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज की छात्राओं के अनुपात में अध्यापन हेतु शिक्षिकाओं की नियुक्ति की मांग

79—श्री रामदेव आचार्य—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, रुदौली जनपद–फैजाबाद की छात्राओं के अध्यापन हेतु छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षिकाओं की नियुक्ति है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या छात्राओं के बैठने हेतु पर्याप्त कमरे तथा उपकरण उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ स्थित विधायक निवासों में विधायकों की सुविधा हेतु जलपान गृहों एवं दुकानों का आवंटन

80—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ स्थित विधायक निवास एक, दो एवं छः के परिसर में बड़ी संख्या में जलपान गृह, पी० सी० ओ०, फोटो स्टेट, रेडीमेड कपड़े तथा नाई की दुकानें संस्थापित की गयी हैं? क्या कतिपय लोगों ने पक्का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है? यदि हां, तो किस शासनादेश के तहत इन दुकानदारों को विधायक निवास परिसर आवंटित कर दिया गया? विधायक निवास एक, दो एवं छः के गेट के अन्दर सड़क के दोनों ओर काबिज दुकानदारों से कितना किराया शासन को प्राप्त हो रहा है? क्या सरकार उक्त सभी स्थानों से कब्जादारों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

माननीय विधायकों की सुविधा हेतु सीमित संख्या में दुकानें आवंटित की गयी हैं। दुकानों का आवंटन समय-समय पर प्राप्त उच्चादेशों के अनुपालन में किया गया है।

12,682 रुपये की धनराशि प्रतिमाह किराये के रूप में प्राप्त हो रही है। प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ में ब्लाक आसपुर देवसरा के नवीन स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं की जांच की मांग

81—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या ख—2 नं—380581, दिनांक 7-7-97 पर ब्लाक आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ के नवीन स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं के जांच के आदेश अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा को दिये गये थे? यदि हां, तो उसकी जांच करायी गयी है? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा इस संबंध में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद-फैजाबाद के ब्लाक रुदौली स्थित रोजागांव कन्या जूनियर हाईस्कूल के नये भवन निर्माण का मामला

82—श्री रामदेव आचार्य—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के ब्लाक रुदौली स्थित रोजागांव कन्या जूनियर हाईस्कूल के नये भवन का निर्माण घटिया सामग्री द्वारा प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अलग नम्बर में कराया जा रहा था, जो मा० उक्त न्यायालय ने रोक दिया है? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि किस अध्यापक को इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है? क्या इसके पूर्व इस अध्यापक को चार अन्य स्कूल भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी द्वारा दी गयी थी? यदि हां, तो उन विद्यालयों के नाम क्या है? क्या उक्त भवन पूर्ण रूप से निर्मित हो गये हैं? यदि नहीं, तो उक्त अध्यापक को नये भवन निर्माण की जिम्मेदारी किस आधार पर दी गई?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला-चम्पावत में हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी द्वारा स्थापित डिटरजेन्ट बनाने के उद्योग में रोजगार प्राप्त बेरोजगार युवकों के संबंध में जानकारी

83—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जिला-चम्पावत में हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी द्वारी डिटरजेन्ट बनाने का उद्योग स्थापित कर दिया है? यदि हां, तो कितने स्थानीय बेरोजगार युवकों को इसमें रोजगार दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद–बांदा की तहसील सदर में निषादों के नाम कथित फर्जी पट्टे कराने वाले माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

84—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में निषादों के नाम फर्जी पट्टे कराकर बालू खनन करने वाले माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने जा रही है? यदि हां, तो जनपद-बांदा में तहसील सदर, बांदा में वर्ष 1997-98 में कुल कितने माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? कार्यवाही कब तक की जायेगी?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद-फतेहपुर में कुछ संदेहास्पद मामले प्रकाश मे आये हैं जिन पर जिला प्रशासन द्वारा तत्काल कार्यवाही की गयी है।

जनपद-बांदा में पट्टाधारकों की जमीन पर किसी माफिया द्वारा खनन किये जाने का कोई मामला प्रकाश मे नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित राजकीय कालोनी, सीतापुर रोड योजना, टाईप–3 सेक्टर डी के अध्यासियों हेतु गैराज आवंटित किये जाने की मांग

85—श्री महराज सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित राजकीय कालोनी, सीतापुर रोड योजना, टाईप–3 सेक्टर डी के अध्यासियों के लिये गैराज भी निर्मित कराये गये हैं? यदि हां, तो क्या वह गैराज अध्यासियों को आवंटित हैं? क्या उनसे गैराज का किराया लिया जा रहा है? यदि आवंटित नहीं हैं तो क्यों? इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी कौन हैं? क्या सरकार बतायेंगी कि इससे शासन को कुल कितनी हानि हुई? इसके लिये उत्तरदाई अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या यह गैराज नियमानुसार अध्यासियों को आवंटित कर दिये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

लखनऊ विकास प्राधिकरण की ''सीतापुर रोड आवासीय योजना'' से राज्य सम्पत्ति विभाग ने आवासीय भवन क्रय किये थे। बाद में प्राधिकरण द्वारा बिना राज्य सम्पत्ति विभाग की सहमति के 60 स्कूटर गैराजों का निर्माण किया गया है, जिन्हें विभाग द्वारा क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है।

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अभी तक लखनऊ विकास प्राधिकरण से गैराज धन की व्यवस्था न हो पाने के कारण क्रय नहीं किये जा सके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

गैराज का क्रय हो जाने पर निर्भर करेगा।

श्री इरशाद हुसैन, सेवा निवृत्त सीनियर सहायक अध्यापक, बेसिक विद्यालय—रैथा चिनहट, लखनऊ के वेतन आदि के बकाये का भुगतान

86—श्री अफजाल अहमद—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इरशाद हुसैन, सेवा निवृत्त सीनियर सहायक अध्यापक, बेसिक विद्यालय—रैथा चिनहट, लखनऊ का पत्र जो वर्ष 1986 से वेतन निर्धारण एवं बकाये एरियर भुगतान विषयक दिनांक 12-9-97 को मुख्य मंत्री, लोक शिकायत में प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या लोक शिकायत के पत्रांक 3257/1997/9(110)/97 लो०शि०–5, दिनांक 20-10-97 द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को कार्यवाही हेतु भेजा गया था? यदि हां, तो क्या इनके वेतन निर्धारण एवं बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? विलम्ब के लिये दोषी कौन है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अम्बेडकर नगर की विधान सभा क्षेत्र–जहांगीरगंज में विभिन्न अधूरे पड़े मार्गों को पूरा कराये जानें की मांग

87—श्री भीम प्रसाद सोनकर—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज, जिला अम्बेडकर नगर पदुमपुर से गढ़वल, रामनगर से नेवरी अवशेष मार्ग, जहांगीरगंज से नेवरी होते हुए बकड़ा पुल तक अवशेष मार्ग तथा हसवर से मकरही होते चौहड़ा घाट तक मार्ग काफी दिनों से अधूरा पड़ा है? इन मार्गों को कब तक पिच करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जिला अम्बेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर से साबितपुर तक प्रस्तावित सड़क के पिच मार्ग बनवाने की मांग

88—श्री भीम प्रसाद सोनकर—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज, जिला अम्बेडकर नगर के राजे सुल्तानपुर से साबितपुर तक प्रस्तावित सड़क कब तक पिच मार्ग बन जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण मार्ग निर्माण की स्वीकृति सम्प्रति सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला की विभिन्न सड़कों के पुनर्निर्माण एवं कुछ मार्गों पर नवीन सड़कों के निर्माण की मांग

89—श्री अब्दुल मन्नान—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सन्डीला में वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में किन-किन सड़कों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे? क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में स्वीकृत कतिपय मार्गों पर मिट्टी डाल कर छोड़ दिया गया तथा कुछ सड़कों पर निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? अवशेष मार्गों का कार्य तथा नवीन सड़कों का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

स्वीकृत कार्यों की सूची संलग्न है।

जी हां।

पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किए जा सके।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 143 पर)

कोटवा हजारीगंज मार्ग, ब्लाक–सिंहपुर जनपद–रायबरेली में गिट्टी के कार्य में की गयी अनियमितताओं संबंधी कथित शिकायती-पत्र

90—डा० मुस्लिम—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोटवा हजारीगंज मार्ग, ब्लाक सिंहपुर जनपद–रायबरेली में मिट्टी तथा गिट्टी के कार्य कराने में की गई अनियमितताओं की जांच कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र फरवरी, 1998 में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं की जांच क्या सरकार द्वारा कराई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उसमें दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

संदर्भित पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्वाचन क्षेत्र तिलोई-रायबरेली के विभिन्न मार्गों का निर्माण कार्य कराने में की गयी अनियमितताओं की जांच

91—डा० मुस्लिम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निर्वाचन क्षेत्र तिलोई-रायबरेली के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों के निर्माण कार्य कराने में की गई अनियमितताओं की जांच कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र मार्च, 1998 में प्रभारी मंत्री, श्री रघुबर दयाल वर्मा को दिया गया था, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त मार्गों में की गई अनियमितताओं के संबंध में सरकार द्वारा जांच कराई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

संदर्भित पत्र प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बछरांवा में तिलेडा से हलोर रोड पर सड़क निर्माण के पश्चात् असहन-जगतपुर के निकट महराजगंज ड्रेन पर पुल का निर्माण पूर्ण कराये जाने की मांग

92—श्री श्याम सुन्दर —

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बछरांवा में तिलेडा से हलोर रोड पर सड़क का निर्माण लेपन स्तर तक का कार्य विगत 2 वर्ष पहले पूर्ण हो गया परन्तु असहन-जगतपुर के पास महराजगंज ड्रेन पर पुल का निर्माण अब तक नहीं कराया गया? यदि हां, तो क्यों? पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम हिलालमऊ को मुंशीगंज-हसनगंज मार्ग से जोड़ने की मांग

93—श्री कृपा शंकर सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबूलाल कुरील, सदस्य विधान सभा, सफीपुर, उन्नाव के पत्र, दिनांक 20-4-97 पर अम्बेडकर ग्राम हिलालमऊ को मुन्शीगंज-हसनगंज मार्ग से जोड़ने की स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्य स्वीकृत नहीं है।

लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, द्वारा वर्ष 1991 में चयनित प्रवर वर्ग सहायकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात् उक्त पद पर स्थायी करने की मांग

94—श्री कृपा शंकर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लोक सेवा आयोग उ०प्र० द्वारा चयनित 1991 के कितने प्रवर वर्ग सहायकों को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा गया है? परिवीक्षा अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त उक्त पद पर स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं? इन प्रवर वर्ग सहायकों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा?

श्री कल्याण सिंह—

वर्ष 1991 के 214 प्रवर वर्ग सहायकों को एक वर्ष की परिवीक्षा पर रखा गया था। जिन प्रवर वर्ग सहायकों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो गई है उनके स्थायीकरण हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण कर लिये जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जा रही है। शाखाओं से सूचना प्राप्त हो जाने पर पात्र कर्मियों को प्रवर वर्ग सहायक के पद पर स्थायी कर दिया जायेगा।

95—श्री अफजाल अहमद—

[4 थे गुरुवार में अता० प्र० सं० 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अवर वर्ग सहायक एवं प्रवर वर्ग सहायक के रिक्त पद एवं अधिसंख्य पदों का विवरण

96—श्री गोमती यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० सचिवालय में अवर वर्ग सहायक और प्रवर सहायक के कितने पद सृजित हैं एवं वर्तमान समय में इन पदों पर सीधे एवं विभागीय अभ्यर्थियों का कितना कोटा निर्धारित है? वर्तमान समय में अवर वर्ग सहायक एवं प्रवर वर्ग सहायक के सृजित पदों पर विभागीय कोटे के अन्तर्गत कितने अभ्यर्थी नियमित रूप से एवं कितने स्थानापन्न रूप से कार्यरत हैं? वर्तमान समय में अवर वर्ग सहायक एवं प्रवर वर्ग सहायक के कितने पद रिक्त हैं तथा कितने पद अधिसंख्य हैं?

श्री कल्याण सिंह —

उ० प्र० सचिवालय में अवर वर्ग सहायक एवं प्रवर वर्ग सहायक के क्रमशः 886 एवं 1435 सृजित पद हैं। उ०प्र० सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारिवर्ग सेवा नियमावली, 1942 के अनुसार प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती का कोटा क्रमशः 33 प्रतिशत एवं 67 प्रतिशत है, विशेष परिस्थितियों में प्रोन्नति कोटे को 50 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में विभागीय एवं सीधी भर्ती का अनुपातिक कोटा 50-50 प्रतिशत है जिसे विशेष परिस्थितियों में 60 प्रतिशत तक विभागीय पदोन्नति के संदर्भ में बढ़ाया जा सकता है। अवर वर्ग सहायक संवर्ग में विभागीय प्रोन्नति हेतु 80 प्रतिशत तक रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा तथा शेष रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का प्राविधान है।

अवर वर्ग सहायक संवर्ग में विभागीय कोटे के अन्तर्गत 765 सहायक नियमित रूप से एवं 22 सहायक स्थानापन्न रूप से कार्यरत है। प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में विभागीय कोटे के अन्तर्गत 284 सहायक विनियमित रूप से तथा 532 सहायक स्थानापन्न रूप से कार्यरत हैं।

अवर वर्ग सहायक संवर्ग में कोई रिक्ति नहीं है एवं 383 अधिसंख्यक पद है। प्रवर वर्ग सहायक संवर्ग में 37 पद रिक्त है एवं 390 अधिसंख्य पद है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच आदेश

97—श्री उबैदुर्रहमान —

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनौपचारिक बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर द्वारा विकास खण्ड श्रीदत्तगंज, गैड़ास बुजुर्ग उतरौला में किये गये भ्रष्टाचार की जांच विषयक पत्र विधायक प्रकोष्ठ सं०–एम—4/81/10/गोण्डा/97, दिनांक 27-9-97 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या जांच के लिये आदेश जारी किया गया है? जांचोपरान्त दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल —

कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार मा० सदस्य विधान सभा का पत्र, दिनांक 27-9-97 प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु मा० सदस्य विधान सभा का अनुस्मारक पत्र दिनांक 5-12-97 प्राप्त हुआ है।

जी हां, जांच के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

जांच कार्यवाही गतिमान है।

जनपद शाहजहांपुर में शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जिला योजनान्तर्गत खोले जाने वाले नवीन बेसिक प्राइमरी स्कूलों के प्रस्तावों का अनुपालन

98—श्री चेतराम —

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में दिनांक 18-4-98 को आहूत की गयी शिक्षा सलाहकार समिति द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जिला योजनान्तर्गत खोले जाने वाले नवीन पूर्व मा० एवं बेसिक प्राइमरी स्कूलों के प्रस्ताव क्षेत्रीय विधायकों द्वारा दिये गये? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्तावों का अनुपालन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल —

दिनांक 18-4-98 को जिला बेसिक शिक्षा समिति की आहूत बैठक में क्षेत्रीय विधायकों द्वारा प्रस्ताव दिये गये थे।

जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा 12 विकास खण्डों में 23 पूर्व माध्यमिक विद्यालय (उच्च प्राथमिक) खोलने का निर्णय लिया गया। समिति ने प्राथमिक विद्यालय खोलने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया था।

प्राप्त प्रस्तावों का अनुपालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट महाकाली मंदिर और गुफा तथा जनपद चम्पावत के "रीठा साहिब" को पर्यटन मानचित्र में स्थान

99—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा —

क्या पर्यटन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट महाकाली मन्दिर और गुफा, जनपद चम्पावत के पर्यटक स्थल देबीधुरा तथा प्रसिद्ध सिक्ख धार्मिक मान्यताओं का केन्द्र स्थान "रीठा साहिब" को प्रदेश पर्यटन मानचित्र में विशेष स्थान प्रदान करते हुये आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त स्थानों का पर्यटन विकास कब से प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र —

जी हां।

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट पाताल भुवनेश्वर गुफा का सौन्दर्यीकरण कराया जा रहा है। जनपद चम्पावत के "रीठा साहिब" में 30 शैयाओं के रैनबसेरा, सुलभ शौचालय का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर में गोण्डा उतरौला मार्ग पर स्थित गुमड़ी घाट के पुल के अनुरक्षण कार्य सम्बन्धी जानकारी

100—श्री उबैदुर्रहमान —

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत गोण्डा उतरौला मार्ग पर स्थित गुमड़ी घाट के पुल का अनुरक्षण कार्य वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 व 1996-97 में कराया गया है? अनुरक्षण कार्य के लिये कितना धन स्वीकृत हुआ था? क्या स्वीकृत धनराशि का सही उपयोग हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार स्थलीय निरीक्षण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र —

जी नहीं, वर्ष 95-96 व 96-97 में विशेष मरम्मत का कार्य कराया गया है।

वर्ष 95-96 में 4.00 लाख स्वीकृत हुआ था।

जी हां।

जी हां।

जनपद गोण्डा के श्रीदत्तगंज, गैड़ासबुजुर्ग व उतरौला के मार्ग निर्माणों की जांच की मांग

101—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र पंचायत श्रीदत्तगंज, गैड़ासबुजुर्ग, उतरौला के मार्ग निर्माणों की जांच हेतु प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर उ० प्र० शासन ने जिलाधिकारी गोण्डा को विधायक प्रकोष्ठ पत्र सं०–एम–4/35-5/गोण्डा/97, दिनांक 21-1-97 के माध्यम से जांच का आदेश दिया गया है? क्या जांच आदेश का पालन जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा किया गया है? क्या जांच पूर्ण करा ली गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या जांच आख्या से अवगत कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? जांच कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री कलराज मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलरामपुर में उतरौला क्षेत्र में मधुपुर सादुल्लानगर मार्ग पर स्थित पायल सेतु परमल डी के स्लीपर के क्रय एवं भुगतान के सम्बन्ध में आडिट आपत्ति

102—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में सथित क्षेत्र उतरौला में मधुपुर सादुल्लानगर मार्ग पर स्थित पायल सेतु परमल डी के स्लीपर क्रय करने में विभाग द्वारा स्वीकृत दर से अधिक का भुगतान कई वर्ष बाद 1995-96 में किया गया है? क्या आडिट में अधिक भुगतान हेतु महालेखाकार इलाहाबाद द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज करायी गयी है? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जांच कराई जा रही है।

जी हां।

अधीक्षण अभियन्ता गोण्डा वृत्त लोक निर्माण विभाग गोण्डा मुख्यालय फैजाबाद के पत्र दिनांक 4-2-97 द्वारा आपत्ति का उत्तर महालेखाकार इलाहाबाद को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में लोक निर्माण विभाग (पी०डब्ल्यू०डी०) के मार्ग निर्माण कार्यों की जांच

103—श्री उबैदुर्रहमान—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग (पी०डब्ल्यू०डी०) के मार्ग निर्माण कार्यों की जांच हेतु प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र उ०प्र० शासन ने जिला अधिकारी गोण्डा को विधायक प्रकोष्ठ पत्र सं०–एम–4/34/गोण्डा/97/27-1-97 के माध्यम से जांच का आदेश दिया है? क्या जांच आदेश का पालन हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है? विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र —

जी हां।

जांच क्रमित है।

जांच आख्या प्रतीक्षित है।

जांच आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मैनपुरी के ग्राम अपूरपुर ब्लाक बेवर में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य रोके जाने के संबंध में जानकारी

104—श्री राम औतार शाक्य—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2-9-97 के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी द्वारा अपने पत्रांक 4616/6/97-98 दिनांक 2-9-97 के क्रम में ग्राम अपूरपुर ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी में प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य रोके जाने का आदेश सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बेवर (मैनपुरी) को किया था? यदि हां, तो उक्त विद्यालय के निर्माण के लिये बी०एस०ए० मैनपुरी द्वारा बाद में चैक क्यों काट दिया गया? क्या यह सही है कि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बेवर (मैनपुरी) ने अपनी आख्या में उपरोक्त ग्राम अपूरपुर के पास ग्राम दुर्गापुर ब्लाक सुल्तानगंज, मैनपुरी में 300 मीटर की ही दूरी पर पहले से प्राथमिक विद्यालय का बन्द होना दर्शाया है? यदि हां, तो क्या ग्राम अपूरपुर का प्राथमिक विद्यालय निरस्त किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मैनपुरी ग्राम शिवपालपुर, तोलकपुर, उमरीहार ब्लाक सुल्तानगंज के प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति

105—श्री राम औतार शाक्य—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बी०एस०ए० मैनपुरी द्वारा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानगंज (मैनपुरी) को लिखे अपने पत्रांक संख्या 4613/14/97-98 दिनांक 2-9-97 के क्रम में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2-9-97 के आधार पर ग्राम शिवपालपुर, तोलकपुर, उमरीहार ब्लाक सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी के प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य रोक दिया था? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों के भवन क्यों और कैसे बनाये गये? क्या यह सच है कि उक्त विद्यालय भवनों के निर्माण के पूर्व व दौरान जिला शिक्षा समिति का अनुमोदन नहीं कराया गया? यदि हां, तो नियम विरुद्ध विद्यालय भवनों के निर्माण के लिये दोषी कौन हैं? क्या उस अधिकारी से पूर्ण धन वसूली की कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जी हां।

असेवित होने की स्थिति में जिलाधिकारी मैनपुरी के अनुमोदन से बनाये गये।

जी हां

शासनादेश सं० 325/15-5-97-313/96 दिनांक 22-1-97 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिलाधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी द्वारा विद्यालयों के निर्माण में शासनादेशों का अनुपालन

106—राम औतार शाक्य —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण व प्राथमिक विद्यालयों के गलत तरीके से निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या वी०आई०पी० 1321/15-5-97—188/97 एवं 1322/51-5-97-188-97, दिनांक 24 अक्टूबर, 1997 के क्रम में जिलाधिकारी, मैनपुरी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी द्वारा उक्त शासनादेशों के अनुपालन में कब कब और क्या क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों? क्या दोनों शासनादेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी अथवा शासनादेश के अनुसार किसी अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल —

शासनादेश संख्या—1322/15-5-97—188/97, दिनांक 24 अक्टूबर, 97 के क्रम में विकास खण्ड, सुल्तानगंज के ग्राम लहरा विकास खण्ड, बेवर के ग्राम नगला केहरी में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराये गये। शासनादेश संख्या—1321/15-5-97—188/97, दिनांक 24-10-97 के क्रम में डा० स्वामी सच्चिदानन्द हरि साक्षी तथा माननीय विधायक श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि के प्रस्ताव के आधार पर जिलाधिकारी, मैनपुरी की स्वीकृति के पश्चात् उमरीहार, तोलकपुर, अपूरपुर, शिवपालपुर, वीरपुर तथा नगला राधे में विद्यालयों की स्थापना की गई तथा ग्राम अपूरपुर के प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण माननीय विधायक श्री राम औतार शाक्य की शिकायत के आधार पर रोक दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में सर्वेक्षण के उपरान्त नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना पर रोक

107—श्री राम औतार शाक्य —

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2-9-97 के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी द्वारा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानगंज (मैनपुरी) को लिखे अपने पत्रांक 4611/97-98, दिनांक 2-9-97 के क्रम में ग्राम फकैता मौजा सुल्तानगंज, ग्राम–भोजपुर व बगलाहिम्मत मौजा–बलारपुर के सभी ब्लाक सुल्तानगंज, जनपद मैनपुरी प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सच है कि उक्त प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण का अनुमोदन जिला शिक्षा समिति की बैठक दिनांक 4-3-1997 में किया गया था? क्या सरकार उक्त तीनों विद्यालयों के निर्माण का निर्देश जिलाधिकारी/मैनपुरी/बी०एस०ए०, मैनपुरी को देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल —

जिला बेसिक शिक्षा समिति के अनुमोदन के पश्चात् पुनः कराये गये सर्वेक्षण में प्रश्नगत ग्रामों के सेवित पाये जाने पर इनमें नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना नहीं की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में स्थित मेसर्स "एम" इंजीनियरिंग वर्कस, 6 पेपर मिल कालोनी चौराहा, निशातगंज में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विद्युत अनुरक्षण खण्ड–2 में किये गये कार्यों के भुगतान की मांग

108—श्री सीताराम निषाद —

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि मेसर्स "एम" इंजीनियरिंग वर्कस, 6 पेपर मिल कालोनी चौराहा, निशातगंज, लखनऊ को लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विद्युत अनुरक्षण खण्ड–2 लखनऊ में विगत वर्ष 1995-96 में किये गये कार्यों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र —

कोई भुगतान देय होना नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

लोक निर्माण अनुभाग 8 द्वारा जारी शासनादेश सं० 341/23-8-98, दिनांक 27-2-98 के अन्तर्गत उठाये गये मुद्दों पर की गयी कार्यवाही

109—श्री सीताराम निषाद —

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण अनुभाग 8 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 341/23-8-98, दिनांक 27-2-98 द्वारा किन-किन मुद्दों को उठाया गया है तथा उन पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी? क्या इसी संबंध में श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा का मार्च/अप्रैल, 1997 में कोई पत्र प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर अब तक बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र —

संदर्भित शासनादेश में निम्न बिन्दु उठाये गये हैं :–

बिन्दु संख्या–(1)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1998 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित श्री तेजभान सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 29 का उत्तरालेख्य शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

बिन्दु संख्या–(2)

विलम्ब के लिये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाये।

उक्त बिन्दुओं पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई है।

उक्त प्रश्न विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के चौथे मंगलवार हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के रूप में निर्धारित हुआ, जिसका उत्तर दे दिया गया है।

विलम्ब के लिये उत्तरदायी पाये गये कर्मियों को सचेत कर दिया गया है।

जी हां।

पत्र में निम्नलिखित विन्दु उठाये गये हैं :–

(1) सहायक लेखाकारों को अब तक 1400 रुपये से 2600 का उच्च वेतनमान न दिया जाना।

(2) लगभग 19 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा के बाद भी तकनीकी कर्मचारियों की भांति समयमान वेतनमान/चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान का न दिया जाना।

(3) लगभग 19 वर्षो की उत्कृष्ट सेवा के बाद भी एक भी पदोन्नति का न दिया जाना।

सहायक लेखाकारों की पदोन्नति लेखाकार के पद पर होती है। विगत वर्षों में लेखाकार के 29 पदों पर सहायक लेखाकारों की पदोन्नति की गई है। वेतन पुनरीक्षण का प्रस्ताव निगम के पत्र दिनांक 23-12-97 द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्यालय राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ द्वारा अपनी इकाइयों को दिये गये आवश्यक निर्देश

109—(अ) श्री सीताराम निषाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम में व्यापक पैमाने पर हो रही गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में निगम मुख्यालय के परिपत्र संख्या 5727 एवं 5728, दिनांक 6-6-95 में वर्णित बिन्दु क्या हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

अ–निगम के परिपत्र संख्या 5727 में निगम के कार्यकारी मैनुअल के प्रस्तर 158 से 170 जो खपत विवरण बनाने से संबंधित है, का कठोरता से अनुपालन के निर्देश दिये गये थे। परिपत्र–5728 में कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से अधिक व्यय न किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश निगम की इकाइयों को परिपालन हेतु भेजे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में भगवानपुर के निकट सौलानी नदी पर पुल के निर्माण की मांग

110—श्री राम सिंह सैनी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरिद्वार में भगवानपुर के पास सौलानी नदी पर क्या पुल निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड सीतापुर में की जा रही अनियमितताओं सम्बन्धी श्री संजीव गुप्ता के शिकायती पत्र पर जांच

111—श्री ओम प्रकाश गुप्त—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय मार्ग खण्ड सीतापुर बाई-पास के डिवाइडर में पीला ईंट लगाकर सम्पूर्ण सड़क में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है ? क्या दिनांक 9-12-97 को राष्ट्रीय मार्ग खण्ड में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री संजीव गुप्ता का शिकायती-पत्र मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, उ० प्र०, लखनऊ को दिया गया, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि जांच नहीं हुई तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

।—श्री संजीव गुप्ता का तद्विषयक शिकायती पत्र मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ।

जाँच क्रमित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर के राष्ट्रीय मार्ग में टेण्डरों के वितरण में की गयी धांधली सम्बन्धी कथित शिकायती-पत्र

112—श्री ओम प्रकाश गुप्त—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 4-8-97 को राजीव कुमार गुप्ता ठेकेदार द्वारा इस आशय का भेजा गया तार उन्हें व प्रमुख अभियन्ता लो० नि० वि०, उ० प्र०, लखनऊ को प्राप्त हुआ है कि राष्ट्रीय मार्ग सीतापुर में टेण्डर वितरित नहीं किये गये ? यदि हाँ, तो क्या उक्त खण्ड में टेण्डरों में की गयी धांधली की जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सीतापुर के राष्ट्रीय मार्ग खण्ड के अभियन्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी द्वारा जाँच

113—श्री ओम प्रकाश गुप्त—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 2-6-97 को या इसके आस-पास उन्हें श्रीमती गौरी देवी, सदस्य, विधान सभा का कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ जिसमें राष्ट्रीय मार्ग

खण्ड, सीतापुर के अभियन्ताओं पर गम्भीर आरोप लगाये गये हैं तथा स्थानान्तरण कर जाँच की मांग की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी है ? तो उसका परिणाम क्या है ? क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, सीतापुर के अभियन्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप संबंधी प्रार्थना-पत्र पर आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने 19-1-98 को जिलाधिकारी, सीतापुर को अपने स्तर से जांच कराने के आदेश दिया था ? यदि हां, तो जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट क्या है ? उस आधार पर दोषी अभियन्ताओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ ।

टी० ए० सी० द्वारा जाँच क्रमित है ।

जी हाँ ।

जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा जॉच क्रमित है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल खुइलन धाम, शिवरा देवी मंदिर, कल्याणी मंदिर, हाजी हजरत शाह की मजार का सौन्दर्यीकरण की मांग

114—श्री चन्द्र नाथ सिंह —

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल खुइलनधाम, शिवरा देवी मन्दिर, कल्याणी मन्दिर एवं हाजी हजरत शाह की मजार के सौन्दर्यीकरण तथा स्थल विकास एवं नवीनीकरण के मामले सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र —

खुइलन धाम के स्थानीय पर्यटन विकास हेतु वर्ष 1997-98 में जिला योजना के अन्तर्गत रुपया 4.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। वर्ष 1998-99 की जिला योजना के अन्तर्गत जिला अनुश्रवण समिति द्वारा खुइलन धाम, शिवरा देवी मन्दिर एवं कल्याणी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु योजनायें अनुमोदित की गयी है। शेष स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में कोई मामला शासन के विचाराधीन नहीं है।

इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

115—श्री मुरलीधर —

[4थे बुधवार में अता० प्रं० सं० 189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ में सम्पर्क मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में जानकारी

116—श्री चन्द्र नाथ सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में वर्ष 1996-97 एवं वर्ष 1997-98 मरम्मत हेतु कौन-कौन से सम्पर्क मार्ग चयनित किये गये ? इस कार्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? क्या यह सही है कि सड़कों की मरम्मत न कराकर धन लिया गया? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कलराज मिश्र—

जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 1996-97, 1997-98 में मरम्मत (नवीनीकरण) हेतु चयनित सम्पर्क मार्गों की सूची संलग्न है।

जनपद की समस्त सड़कों की सामान्य मरम्मत के लिये वर्ष 1996-97 में रु० 20.07 लाख तथा वर्ष 1997-98 में रु० 68.61 लाख की धनराशि आवंटित की गई।

जांच कराई जा रही है। जांच परिणाम पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

[देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 145 पर]

मुख्य लेखाधिकारी शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा शासकीय विद्यालयों के एल० टी० शिक्षकों के प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य करने की शर्तें

117—श्री राजीव कुमार सिंह—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य लेखाधिकारी शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद के अ० शा० पत्रांक राज०/लेखा/4909/93-94, दिनांक 6-1-94 के अनुसार शासकीय विद्यालयों के एल० टी० शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य करने की क्या शर्तें है? क्या यह सत्य है कि उप शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल ने अपने आदेश संख्या प्रबन्ध/143/93-94, दिनांक 4-2-94 द्वारा कुछ शिक्षकों को उक्त पत्र के अनुपालन में प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य किया है? क्या राजकीय इण्टर कालेज, बहराइच के कुछ एल० टी० शिक्षकों ने 25-9-97 के प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति हेतु आवेदन दिया है? यदि हां, तो इनके नाम क्या है? क्या इन्हें प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद में राजकीय कन्या इण्टर कालेज, गौहनिया तथा राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सलोनिया के भवन निर्माण तथा उक्त विद्यालयों में शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने की जानकारी

118—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में राजकीय कन्या इण्टर कालेज, गौहनिया तथा राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सलोनिया के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अभी तक शिक्षा सत्र प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? सरकार जुलाई, 1998 के सत्र से इन विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक छात्राओं के प्रवेश प्रारम्भ करा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

जी हां।

शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

कक्षा–9, 10 में प्रवेश प्रारम्भ हो चुका है। कक्षा 11–12 का संचालन जनपद फैजाबाद में परिव्यय (जिला योजना) उपलब्ध न होने के कारण सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर के जाखलौन क्षेत्र में वन रेंज के अन्तर्गत आने वाले कथित खनन कार्य।

119—श्री रामतेज यादव एडवोकेट—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद ललितपुर के जाखलौन क्षेत्र के कुछ खनन कार्य जो वन रेन्ज के अन्तर्गत आते हैं उसे बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो वन रेन्ज के अन्तर्गत कितनी खदाने वर्तमान में संचालित है? उसे बन्द न करने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि जो खदानें वन रेंज से काफी दूरी पर थी उन्हें भी बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है? उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करायेगी? क्या ऐसी खदानों को बन्द किये जाने का मानक निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों और उन्हें कब तक बन्द कर दिया जायेगा?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद ललितपुर के जाखलौन क्षेत्र के वन रेंज के अन्तर्गत कोई खनन कार्य न तो पूर्व में चल रहा था और नहीं वर्तमान में चल रहा है। इस लिए खनन कार्य बन्द किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

उक्त पट्टे ऐसी भूमि पर स्थित पाये गये जो वन स्वरूप थी अतः मा० सर्वोच्च न्यायालय के गोडावर्मन थिरूमुल्कपाद बनाम यूनियन आफ इंडिया नामक मुकदमें में निर्गत आदेश दिनांक 12-12-96 का अनुपालन करते हुए खनन रोक दिया गया है।

प्रथम दृष्टया प्रश्नगत खनन मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित है अतः इसे बन्द करने के लिए अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वनों की शब्दकोषीय परिभाषा के बारे में मा० सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण प्राप्त करने की कार्यवाही वन विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा० सर्वोच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के पश्चात तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मथुरा के ग्राम जोधपुर, ब्लाक फरह के लिंक मार्ग के निर्माण सम्बन्धी कथित पत्र पर कृत कार्यवाही।

120—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के ग्राम जोधपुर, ब्लाक फरह के लिंक मार्ग के निर्माण के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि० को०/एन–3/7385/मथुरा/98, दिनांक 24-1-98 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण के यहां प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र —

उपलब्ध आलेखानुसार प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में कछोना से बाण एवं परौली के मध्य सईं नदी पर पुल निर्माण की मांग

121—डा० धर्मज्ञ मिश्र —

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कछोना से बाण एवं परौली के मध्य सई नदी पर पुल निर्माण के लिये क्षेत्रीय जनता लगातार मांग करते हुये क्रमिक अनशन एवं आन्दोलन कर रही है? क्या यह सही है कि इस पुल के निर्माण से संबंधित आगणन अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, हरदोई द्वारा 6 जून, 1997 को अधीक्षण अभियन्ता, 31 वां वृत्त, लखनऊ को स्वीकृति हेतु भेजा गया था? यदि हां, तो क्या उस पर स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हां, तो कब तक पुल का निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र —

जी हाँ।

जी नहीं, आगणन अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव हरदोई वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव को प्रेषित किया गया था।

अभी उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड, मल्लावां के ग्राम बेरिया नजीरपुर एवं पूरनमऊ तथा विकास खण्ड, माधौगंज के ग्राम शहबदा में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना।

122—डा० धर्मज्ञ मिश्र —

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड, मल्लावां के ग्राम बेरिया नजीरपुर एवं पूरनमऊ तथा विकास खण्ड, माधौगंज का ग्राम शहबदा असेवित ग्राम नहीं घोषित है जबकि इन ग्रामों के इर्द-गिर्द पांच कि० मी० के अन्दर कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं है जिससे प्राथमिक शिक्षा के उपरान्त छात्रों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है? क्या सरकार उक्त ग्रामों को असेवित सूची में शामिल कर जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल —

जी हाँ।

ग्राम पूरनमऊ को असेवित की सूची में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा समिति को प्रस्तुत कर दिया गया है।

जिला योजनान्तर्गत धनराशि के उपलब्ध होने पर विद्यालय की स्थापना की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर के जाखलौन क्षेत्र की वन रेन्ज में चल रही खदानों को बन्द करने हेतु जांच समिति का गठन।

123—श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के जाखलौन क्षेत्र की वन रेन्ज में चल रही खदानों को बन्द करने हेतु 1997-98 में एक जांच समिति गठित की गयी थी? यदि हां, तो जांच समिति के सदस्य कौन-कौन से अधिकारी थे? क्या यह सही है कि उक्त समिति के सदस्यों के संबंधियों के नाम से कुछ खदानें जो वन रेन्ज के अन्तर्गत अब भी चल रही हैं, उसे बन्द नहीं किया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी तथा वन रेंज से दूरी पर बन्द की गई खदानों को पुनः चालू करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

जी हाँ।

जिलाधिकारी, ललितपुर द्वारा जाँच समिति का गठन निम्नवत् किया गया था:—

1—परगनाधिकारी, सदर।

2—क्षेत्राधिकारी, पुलिस सदर।

3—एस०डी०औ०, गहरौनी।

जाखलौन वन क्षेत्र में कोई खदान कार्य नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के मुंसिफ न्यायालय, नगर के भवन निर्माण का कार्य निर्माण निगम द्वारा प्रारम्भ किये जाने की मांग।

124—श्री श्रीराम पाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के नगर जालौन के मुंसिफ न्यायालय के भवन निर्माण हेतु निर्माण निगम को धनराशि उपलब्ध करायी गयी है? क्या यह सच है कि लंबे समय तक निर्माण निगम द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने से मजदूरी की दरों व निर्माण सामग्री में मूल्य वृद्धि होने के कारण आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य में देरी करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा रिवाइज आगणन के आधार पर धनराशि आवंटित कराकर निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराया जायेगा?

श्री कलराज मिश्र—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में सड़कों व पुलों के निर्माण हेतु स्वीकृत कथित रूप में धन की स्वीकृति

125—श्री श्रीराम पाल —

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 के लिये जनपद जालौन में सड़कों व पुलों के निर्माण हेतु 560 लाख रुपये की एस० एन० डी० स्वीकृत की गयी है? यदि हां, तो क्या जनपद की चारों विधान सभा क्षेत्रों में समान धनराशि के कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृत न करके जनपद स्तर पर 60 लाख रुपया एक ही विधान सभा क्षेत्र को आवंटित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता को दूर कर उपलब्ध धनराशि का समान बंटवारा करके कार्य स्वीकृत कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र —

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के खण्ड विकास, महेबा में ग्राम गुडा खास एवं ग्राम शेखपुर गुडा के सम्पर्क मार्ग को पक्के कराये जाने हेतु चयन की प्रक्रिया।

126—श्री श्रीराम पाल —

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के खण्ड विकास, महेबा में वर्ष 1998-99 के लिये पंडित दीन दयाल योजना के अन्तर्गत ग्राम गुडा खास व ग्राम शेखपुर गुडा के सम्पर्क मार्ग पक्के कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर चयन किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव शासन स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र —

अभी कार्यों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अन्तर्गत जारी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्य कर रहे कुल निगमों की संख्या एवं उनके हानि-लाभ में चल रहे आंकड़ों का विवरण।

127—श्री अम्बरीष कुमार —

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने निगम हैं? कितने निगम लाभ में चल रहे हैं तथा वह उनमें लगी पूंजी का कितने प्रतिशत है? कितने निगम कितने घाटे में चल रहे हैं?

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री जय नारायण तिवारी) —

प्रदेश में कुल 50 मुख्य उद्यम कार्य कर रहे हैं।

वर्ष 96-97 के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर कुल 27 निगम वर्ष 96-97 में लाभ में रहे हैं। इन उद्यमों में वर्ष 96-97 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार की विनियोजित चुकता अंशपूंजी की तुलना में शुद्ध लाभ 11.4 प्रतिशत है।

वर्ष 96-97 के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर 23 निगमों में वर्ष 96-97 में रु० 681.61 करोड़ की हानि हुई है।

जनपद हरिद्वार के लोक निर्माण विभाग द्वारा रजिस्टर्ड आथराइज्ड डीलर के अतिरिक्त स्थानीय फर्मों से ट्रकों/जीपों के टायर ट्यूब क्रय किये जाने का प्रकरण

128—श्री राम सिंह सैनी —

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994-95 से माह अप्रैल, 1998 तक सेतु निर्माण इकाई, हरिद्वार मेसर्स डनलप इण्डिया (रजिस्टर्ड आथराईज्ड डीलर) के अतिरिक्त किन-किन फर्मों से ट्रकों/जीपों के टायर-ट्यूब क्रय किये गये हैं? क्या यह सही है कि लोकल फर्मों के टायर-ट्यूब की आपूर्ति दरें मेसर्स डनलप इण्डिया से अधिक है? यदि हां, तो इस प्रकार कितनी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार ऐसी खरीदारी के लिये उप परियोजना प्रबन्ध एवं सहायक लेखाधिकारी सेतु निर्माण इकाई, हरिद्वार के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र —

हरिद्वार इकाई द्वारा उक्त अवधि में डनलप इण्डिया के अधिकृत विक्रेता के अतिरिक्त मे० रबीन्द्रा मोटर्स से 5 अदद ट्यूब क्रय किये गये हैं।

जी हां।

अधिकृत विक्रेता के पास टायर के ट्यूब उपलब्ध न होने के कारण ही 4 वर्षों में केवल 5 ट्यूब मे० रबीन्द्रा मोटर्स से क्रय किये गये जिसके कारण रु० 1711.25 अधिक व्यय हुआ।

टायर के ट्यूब की आपूर्ति कार्यहित में की गयी। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार

हरिद्वार में सांग सेतु, रायपुर की बीम कथित रूप में टेढ़ी होने के पश्चात् पुल के निर्माण की मांग।

129—श्री राम सिंह सैनी —

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि सेतु निर्माण इकाई हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 1997-98 में पूर्ण किये गये सांग सेतु, रायपुर की कोई बीम टेढ़ी किये जाने पर डेकिंग वर्क पूरा करने के पश्चात् इस पुल का निर्माण किया गया है? क्या इस पुल का निरीक्षण अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेष द्वारा किये जाने के पश्चात् ही सेतु निगम को पुल के निर्माण के विरुद्ध भुगतान किये गये हैं? क्या बीम के टेढ़ी होने पर सेतु की गुणवत्ता प्रभावित होगी? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी, उप परियोजना प्रबन्धक सेतु निगम के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री कलराज मिश्र —

वर्ष 1997-98 में पूर्ण किये गये सांग सेतु, रायपुर की कोई भी बीम टेढ़ी नहीं हुई है।

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश द्वारा समय-समय पर सेतु का निरीक्षण किया जाता रहा है और सेतु निगम को भुगतान समय-समय पर होता रहा है।

चूंकि बीम टेढ़ी नहीं हुई है, अतः गुणवत्ता प्रभावित होने का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सेतु निर्माण इकाई, हरिद्वार की केन्द्रीय कार्यशाला, यान्त्रिक से अन्य सेतुओं हेतु स्पेयर पार्ट्स नियमानुसार निर्गमित किये जाने के सम्बन्ध में।

130—श्री राम सिंह सैनी—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि सेतु निर्माण इकाई, हरिद्वार की केन्द्रीय कार्यशाला यांत्रिक से वित्तीय वर्ष 1995-96 (माह मार्च, 1996) में अन्य सेतुओं हेतु क्या कोई स्पेयर पाट्र्स निर्गमित किये गये हैं? क्या इन्हें निर्गमित साईटों के फार्म–5 में दर्शाया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

131—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

[6ठे शुक्रवार के अता० प्र० सं०-76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

132—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

[7वें शुक्रवार में अता० प्र० सं०-132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जालौन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ग्राम बावई व मूसमरिया के भवन निर्माण हेतु जिला योजना से लोक निर्माण विभाग, उरई को प्राप्त धनराशि।

133—श्री श्रीराम पाल—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ग्राम बावई व मूसमरिया के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 की जिला योजना से लोक निर्माण विभाग, उरई को धनराशि प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

धनराशि निर्माण एजेन्सी, लोक निर्माण विभाग, उरई को जून, 1998 में प्राप्त करा दी गयी है।

श्री सुरेश सिंह, पूर्व प्रधानाध्यापक, प्राथमिक पाठशाला, रामपुर कटरा शिक्षा क्षेत्र सिरौली गौसपुर, जिला बाराबंकी के विरुद्ध शिकायती पत्र

134—श्री गंगा प्रसाद पुष्कर—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम उजागर सिंह, प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला, रामपुर कटरा, शिक्षा क्षेत्र सिरौली गौसपुर, जिला बाराबंकी के प्रार्थना-पत्र के साथ श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 9-3-98 जो श्री सुरेश सिंह, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, प्राथमिक पाठशाला, रामपुर कटरा, शिक्षा क्षेत्र-सिरौली गौसपुर, जिला-बाराबंकी के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जांच के संबंध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त कार्यवाही कब तक की जायेगी?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जालौन में ग्राम सिरसाकलार, भदेख मार्ग से ग्राम टिकरी मुस्तकिल तक पक्के रोड के निर्माण हेतु विभागीय निर्माण इकाई, उरई को प्रदान की गयी धनराशि से पुलियों का निर्माण एवं लेपन का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

135—श्री श्रीराम पाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में ग्राम सिरसाकलार, भदेख मार्ग से ग्राम टिकरी मुस्तकिल तक पक्के रोड के निर्माण हेतु विभागीय निर्माण इकाई, उरई को 15 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी सोलिंग के बाद पुलियों का निर्माण एवं लेपन का कार्य न कराकर सरकारी धनराशि हड़प ली गयी है? यदि हां, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करते हुये अवशेष कार्य पूरा कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र–

जी नहीं।

जी हां।

जांच तथा अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, जौनपुर को फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों की जांच से सम्बन्धित स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा दी गयी रिपोर्ट में प्रधानाचार्य के बयान की मांग

136—श्री अफजाल अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद की स्थानीय अभिसूचना ईकाई ने 17-6-97 को जिलाधिकारी, जौनपुर को फर्जी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के बारे में जांच आख्या सौंपी है? क्या शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का बयान भी संलग्न कर प्रेषित किया गया है? यदि हां, तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों के बारे में प्राचार्य के बयान क्या हैं? क्या प्राचार्य का बयान नहीं लिया गया है? यदि नहीं तो क्यों?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर —

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जौनपुर में महन्त श्री राम आसरे दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मधुबन नगर के कर्मचारी/अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत फर्जी शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्रों की जांच

137—श्री अफजाल अहमद —

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में महन्त श्री राम आसरे दास पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मधुबन नगर लपरी जौनपुर में कर्मचारी/अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र किस विद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किये गये हैं? क्या उनका सत्यापन मूलप्रति से किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि अनेक कर्मचारियों के प्रमाण पत्र फर्जी हैं? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल —

जांच की जा रही।

जांच आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही के आदेश दे दिए गये हैं।

जनपद लखनऊ में स्थित प्राणि उद्यान के पूर्व निदेशक का स्थानान्तरण

138—श्री तेज भान सिंह —

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राणि उद्यान, लखनऊ के पूर्व निदेशक को कई माननीय विधायकों की शिकायत के उपरान्त वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया था? क्या उन्हें पुनः उसी स्थान पर पदस्थ कर दिया गया है? क्या यह सही है कि प्राणि उद्यान, लखनऊ तथा अवध वन प्रभाग में भारी घोटालों के परिप्रेक्ष्य में चल रही जांच प्रभावित होगी? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें लखनऊ से दूर पदस्थ करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुबर दयाल वर्मा —

जी नहीं।
सामान्य अवधि से अधिक अवधि पूर्ण करने के आधार पर स्थानान्तरित किया गया।
जी नहीं।
जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में सिकदरपुर सरोली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की मांग

139—श्री दीपक कुमार —

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की नीति के अनुसार असेवित ब्लाक सिकदरपुर सरोली, जनपद उन्नाव में राजकीय उच्चतर माध्यमिक, विद्यालय सरोली में खोले जाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त विद्यालय का निर्माण प्रस्तावित ग्राम में कब से प्रारम्भ कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह–

जी हाँ ।

चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में जिला योजना में परिव्यय/प्राविधान न होने के कारण वर्तमान में विद्यालय स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद वाराणसी के ग्राम सीरं गोवर्धनपुर, जिला योजना से मंजूर लिंक मार्ग के कार्य की शिकायत पर जाँच

140—श्री चन्द्र नाथ सिंह,
श्री रिफाकत हुसैन तथा
श्री इकबाल महमूद —

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी जनपद के ग्राम सीर गोवर्धनपुर में सरकार के निर्देशन पर जिला योजना से मंजूर लिंक मार्ग को प्रान्तीय खण्ड द्वारा बनाया जा रहा है ? क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड वाराणसी ने अपने पत्र सं०–338, दिनांक 14-8-97 एवं पत्र सं०–1678, दिनांक 8-9-97 द्वारा इस लिंक मार्ग को 31 अक्टूबर, 97 तक अवश्य निर्मित कर देने का आदेश सहायक एवं अवर अभियन्ता को दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त लिंक मार्ग आज तक नहीं तैयार किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी मुख्य अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, वाराणसी को निलम्बित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कलराज मिश्र–

जी हाँ ।

जी हाँ ।

जी हाँ ।

जाँच कराई जा रही है ।

जांच परिणाम पर निर्भर है ।

141—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया,
कु० रेवती रमण सिंह,
डा० अशोक बाजपेई तथा
श्री जगदीश सिंह राणा —

[5वें बुधवार में अता० प्र० सं० 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई में श्रीमती विद्यादेवी समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित किंगसन वेलफेयर इंगलिश स्कूल में कुल छात्रों की संख्या एवं प्राप्त धनराशि

142—श्री तेजभान सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती विद्यादेवी समाज कल्याण समिति, हरदोई द्वारा किंगसन वेलफेयर इंगलिश स्कूल संचालित किया जा रहा है ? उक्त स्कूल में कुल छात्रों की संख्या क्या है ? क्या यह सही है कि वहां छात्रों की उपस्थित नगण्य होने के बावजूद भी छात्रवृत्ति प्राप्त की जा रही है ? वर्ष 1996-97 तथा 97-98 में छात्रवृत्ति की कुल कितनी

धनराशि उक्त संस्था को प्राप्त हुई ? क्या सरकार पूरे तथ्यों की जांच कराकर शासकीय धन का दुरूपयोग करने वाली संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हाँ ।

छात्र-संख्या 304 है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1996-97 में रु० 11952.00 एवं वर्ष 97-98 में रु० 13032.00 की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त हुयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के तहसील सदर, बांदा के ग्राम पैलानी में कथित रूप में बालू खनन हेतु भूमिधर कास्तकारों को परमीशन

143—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के तहसील सदर, बांदा के ग्राम पैलानी में वर्ष 1994 में माह जनवरी में बालू खनन हेतु कुल कितने भूमिधर कास्तकारों के नाम तीन माह के लिए परमीशन प्रदान किये गये थे ? क्या परमीशन धारकों द्वारा अवैध एम० एम०–II का प्रयोग कर राजस्व का नुकसान किया था ? क्या इसकी जांच प्रभारी अधिकारी, खनन द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे ? क्या जांच की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद बांदा के तहसील सदर के ग्राम पैलानी में वर्ष 1994 के माह जनवरी में बालू खनन हेतु केई भी खनन परमिट भूमिधरी काश्तकारों के नाम स्वीकृत/निर्गत नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के तहसील सदर में निषादों को बालू खनन के स्वीकृत पट्टे

144—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद—

क्या सरकार कृपया बातायेगी कि जनपद बांदा के तहसील सदर में कुल कितने निषादों को वर्ष 1997 में बालू खनन के पट्टे किये गये? क्या बालू खनन के लिए पट्टे न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर निषादों के हितों की रक्षा की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद बांदा की तहसील सदर में वर्ष 1997 में तीन निषादों को बालू के खनन पट्टे स्वीकृत किये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर क्षेत्र में स्थित डी० मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल को शासन द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गयी धनराशि

145—श्री राम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट आर० डी० मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल ए, 1391/इन्दिरा नगर, लखनऊ को वर्ष 1995 से वर्ष 1998 तक कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में शासन द्वारा प्रदान की गयी है ? वर्षवार कितनी-कितनी छात्रवृत्ति छात्रों में वितरित की गयी ? क्या यह सही है कि छात्रवृत्ति वितरण में अनियमिततायें बरती गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर स्कूल के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

रु० 4,092.00 की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गयी है।

वर्ष 1996-97 में अनुसूचित जाति के छात्रों को रु० 2,160.00 तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को रु० 432.00 वितरित किया गया। वर्ष 1997-98 में अल्प संख्यक छात्रों को रु० 1500.00 की धनराशि वितरित की गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

146—श्री राम नक्षत्र—

[4थे वुधवार में अता०प्र०सं० 194 में स्थानान्तरित]

श्रीमती सरोजनी विष्ट, सहायक अध्यापिका, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, नैनीताल का जनहित में स्थानान्तरण।

147—श्री बाबू लाल कुशवाहा—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, नैनीताल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत श्रीमती सरोजनी विष्ट का स्थानान्तरण वर्ष 1995 में बिना उनकी सहमति के पारस्परिक स्थानान्तरण (म्युचअल ट्रांसफर) अधिकारियों द्वारा जानबूझकर कन्या विद्यालय, किच्छा कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि इस संबंध में उनके द्वारा अधिकारियों को वर्ष 1995 से ही अनेकों प्रार्थना-पत्र दिये गये परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी? क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी तथा श्रीमती विष्ट को पुनः राजकीय कन्या इंटर कालेज, नैनीताल वापस करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह —'

श्रीमती सरोजनी विष्ट, प्रवक्ता (नागरिक शास्त्र) राजकीय कन्या इण्टर कालेज, नैनीताल को राजकीय कन्या इण्टर कालेज, किच्छा (नैनीताल) तथा श्रीमती कनक लता शाह, प्रवक्ता (नागरिक शास्त्र) राजकीय कन्या इण्टर कालेज, किच्छा (नैनीताल) को राजकीय कन्या इण्टर कालेज, नैनीताल जनहित में स्थानान्तरित किया गया था।

नियमानुसार कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, काशी, गढ़वाल, रूहेलखण्ड (बरेली), (अवध), (फैजाबाद), प्रमुख नगरों में स्थापित विश्वविद्यालयों के नामों में परिवर्तन

148—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा —

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के कतिपय प्रमुख नगर आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, काशी, गढ़वाल, रुहेलखण्ड (वरेली), (अवध), (फैजाबाद) जो कि भारतीय सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत साम्प्रदायिक सद्भाव एवं स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रमुख केन्द्र रहे हैं? क्या इन्हीं नगरों में स्थापित विश्वविद्यालयों का नाम बदल कर राजनेताओं एवं व्यक्ति विशेष के नाम पर कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार विश्वविद्यालयों के बदले गये नाम पूर्वतः करने हेतु कोई नियम बनायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर —

जी हां। इन विश्वविद्यालयों के नाम देश के महान व्यक्तियों के नाम पर रखे गये हैं।

विश्वविद्यालयों के बदले गये नाम पूर्ववत् करने हेतु कोई नियम बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में वर्तमान समय में उर्दू एवं हिन्दी पुनरीक्षक, अनुवादक, स्क्राइवर तथा उर्दू टंकक के रिक्त पदों पर कार्यवाही

149—श्री इलम सिंह —

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में भाषा विभाग के वर्तमान समय में उर्दू एवं हिन्दी पुनरीक्षक, अनुवादक, स्क्राइवर तथा उर्दू टंकक के अलग-अलग कितने पद रिक्त हैं? क्या यह सही है कि उक्त पदों पर नियुक्तियां न होने के कारण कार्य बाधित हो रहा है? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह —

उत्तर प्रदेश सचिवालय के भाषा विभाग में वर्तमान समय में हिन्दी एवं उर्दू पुनरीक्षक, अनुवादक, स्क्राइवर एवं उर्दू टंकक के रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् है :–

पदनाम	रिक्त पद
पुनरीक्षक (हिन्दी)	5
पुनरीक्षक (उर्दू)	5
अनुवादक (हिन्दी)	1
अनुवादक (उर्दू)	3
स्क्राइवर	4
टंकक (उर्दू)	2

जी हां।

रिक्त पदों के भरने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में भाषा विज्ञान में कार्यरत पुनरीक्षक (उर्दू) के विनियमितीकरण एवं स्थायीकरण की मांग

150—श्री इलम सिंह —

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के भाषा विभाग में कार्यरत पुनरीक्षक जिनको लगभग 12-13 वर्ष कार्य करते हो गया है, उनका विनियमितीकरण एवं स्थायीकरण अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? उनका विनियमितीकरण कर स्थायी कब तक कर दिया जायेगा?

श्री कल्याण सिंह —

जी हां। भाषा विभाग में पुनरीक्षक (उर्दू) के पद पर एक कर्मी दिनांक 18–8–85 से तथा एक कर्मी दिनांक 28–12–87 से स्थानापन्न रूप से कार्यरत है।

पुनरीक्षक (उर्दू) के पोषक संवर्ग अनुवादक (उर्दू) की ज्येष्ठता सम्बन्धी प्रकरण मा० उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में विवादित होने के कारण इनका विनियमितीकरण एवं स्थायीकरण नहीं किया जा सका। अब अनुवादक (उर्दू) की ज्येष्ठता सूची अप्रैल, 98 में प्रख्यापित कर दी गई है और इनके नियमित चयन एवं स्थायीकरण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

पंचम वेतन आयोग की संस्तुति पर भाषा विभाग में अनुवादक पद तथा उससे उच्च प्रोन्नत पद पुनरीक्षक का वेतनमान एक समान किये जाने की मांग

151—श्री इलम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पंचम वेतन आयोग द्वारा संस्तुति के आधार पर भाषा विभाग में अनुवादक पद तथा उससे उच्च प्रोन्नत पद पुनरीक्षक का वेतनमान एक समान रु० 5500-9000 कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या इस विसंगति को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

वेतन समिति को अंतिम संस्तुतियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। इस संबंध में वेतन समिति की अंतिम संस्तुतियां प्राप्त होने पर शासन द्वारा यथासमय निर्णय लिया जाएगा।

उ० प्र० सचिवालय के भाषा विभाग में अनुभाग अधिकारी के स्वीकृत पदों का विवरण एवं रिक्त पदों पर प्रोन्नति करने की मांग

152—श्री इलम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में भाषा विभाग में कितने अनुभाग अधिकारी के पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद गत चार वर्षों से रिक्त हैं? क्या यह सही है कि

विभाग द्वारा रिक्त पदों पर अब तक प्रोन्नति नहीं की गयी हैं? यदि हां, तो क्यों? विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री कल्याण सिंह—

वर्तमान में भाषा विभाग में अनुभाग अधिकारी के 08 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 04 पद गत चार वर्षों से रिक्त हैं।

जी हां। उ० प्र० सचिवालय भाषा विभाग अधिकारी सेवा नियमावली, 1989 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु स्थायी पुनरीक्षक ही पात्र हैं। स्थायी पुनरीक्षक उपलब्ध न होने के कारण भाषा विभाग में अनुभाग अधिकारी के रिक्त पदों पर प्रोन्नतियां नहीं की जा सकी हैं।

नगर क्षेत्र सीतापुर के परिषदीय शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन विकल्प में परिवर्तन

153—श्री रमेश राही—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं०–4724/15–5–91–204/89 शिक्षा अनुभाग–5, दिनांक 3 दिसम्बर, 1991 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल एवं नगर परिषद् के अधीन कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन विकल्प परिवर्तन की जो सुविधा दी गई थी जिसके आधार पर नगर क्षेत्र, सीतापुर के परिषदीय 51 शिक्षकों तथा 22 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने पेंशन विकल्प बदल दिया है? यदि हां, तो क्यों? क्या इन अध्यापकों/कर्मचारियों के अंशदान विभाग द्वारा वापस ले लिया गया है, क्या भविष्य निधि पर नई ब्याज दर अप्रैल, 92 से दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

51 शिक्षक तथा 20 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने पेंशन विकल्प परिवर्तित किया है।

शासनादेश संख्या—4724/15–5–91–204/98, दिनांक 3 दिसम्बर, 1991 में प्राविधान था।

जी हां।

जी हां।

शासनादेश संख्या—4724/15-5-98-204/89, दिनांक 3 दिसम्बर, 1991 के प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त विकल्प पत्र के आधार पर इनका अंशदान माह मार्च, 92 से संकलित धनराशि से घटाने के पश्चात् दिनांक 1-4-92 से नई ब्याज दर लागू की गई है।

154—श्री श्यामदेव राय चौधरी—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मैनपुरी में भोगांव क्षेत्र में कतिपय पक्की सड़कों का निर्माण कराने की माँग

155—श्री राम औतार शाक्य—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 1-4-97 को प्रश्नकर्ता द्वारा निर्वाचन क्षेत्र, भोगांव, जनपद मैनपुरी में कतिपय पक्की सड़कों के निर्माण कराये जाने के संबंध में पत्र सचिव, लो० निं० वि०, श्री गर्ग को दिया था जिसको पत्रांक 1664 के अनुसार विशेष सचिव, लो० नि० वि० को भेजा गया? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ। पत्र के साथ प्राप्त प्रस्ताव को परीक्षण हेतु प्रमुख अभियन्ता, लो० नि० वि०, उ० प्र० को भेज दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख अभियन्ता, लो० नि० विभाग, लखनऊ को कतिपय सड़कों के निर्माण की प्रगति के संबंध में पत्र

156—श्री राम औतार शाक्य—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, लो० नि० वि०, उ० प्र०, लखनऊ को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 9-6-98 को प्रदत्त पत्र सं०—अ 188025, 188024, 188023 जो कतिपय सड़कों के निर्माण करवाने के संबंध में थे, प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उसमें किन-किन सड़कों का विवरण है और उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या सरकार उक्त संदर्भित सड़कें पेण्टिग स्तर तक बनवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हाँ।

इन पत्रों में अंकित सड़कों का विवरण निम्न प्रकार है: पत्रांक—188025

1—जीती मार्ग नवीगंज के पास से न० सुदामा व छोटा नगला सुदामा तक।

2—वीलो मार्ग से जीती मार्ग छाछा तक वाया न० दीया।

3—नगला हरीसिंह से गोबिन्दपुर तक।

4—जोगा महमूदिया मार्ग से नगला बहोरी।

5—अहिरवा से रामनगर तक।

6—भोता मार्ग हजारा से मटैरा अकबपुर गनू: वाया सुल्तानपुर।

7—सलेमपुर पढीना मार्ग से गपचरियापुर वाया किरकिच।

पत्रांक–188024

1—''हन्नूखेडा से लहरा तक'' छूटा शेष भाग

2—''जीती मार्ग जोगा से महमूदिया तक'' छूटा शेष भाग।

पत्रांक—188023

1—बहोरा से जल्लापुर खटहहया वाया गंगरवाला।

इन सड़कों के प्रस्ताव बनाने के सम्बन्ध में परीक्षण किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार से सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत गठित लेखा संगठन में लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति लाभ एवं स्थायीकरण की माँग

157—श्री राम हर्ष सिंह—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बे० शि० के अन्तर्गत गठित लेखा संगठन में विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश सं०—6180/15-5-196/86, दिनांक 7 अगस्त, 86 एवं शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ० प्र०, इलाहाबाद के पत्रांक 41124-407, दिनांक 15-12-86 के निर्देशानुसार कितने लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गयी थी? क्या उक्त लेखा परीक्षकों को स्थायी किया गया और उन्हें शासनादेश सं०–4073/15-2-94-27/59-88 पी० सी०, दिनांक 13-6-95 के अनुसार 80-20 प्र० श० सूत्र के अन्तर्गत प्रोन्नति का लाभ अनुमन्य कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत नियुक्त लेखा परीक्षकों के स्थायीकरण और उक्त शासनादेशानुसार 80-20 प्र० श० के अन्तर्गत लाभ देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

जी हाँ।

विशेष व्यवस्था में वर्ष 86 से 91 तक 34 लेखा परीक्षक कार्यरत हैं। विशेष व्यवस्था में वर्ष 86 से 91 तक 34 लेखा परीक्षकों की नियुक्तियां की गयी थी।

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत इनका विनियमितीकरण सम्भव नहीं है। इसलिये इनको प्रश्न में उल्लिखित लाभ प्राप्त नहीं हुए।

शेष प्रश्न नहीं उठते।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड, टाट पट्टी आदि की व्यवस्था हेतु किये गये व्यय के अतिरिक्त धनराशि की मांग

158—श्री राजधारी—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994–95, 1995–96, 1996–97 में प्राथमिक विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड, टाट पट्टी की व्यवस्था एवं अन्य मदों में कितना-कितना धन व्यय किया गया? क्या यह सही है कि जो धनराशि शासन द्वारा व्यय की गयी है पर्याप्त नहीं है? यदि हां, तो क्या शासन इस कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करेगा?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

159—श्री दीपक कुमार—

[6ठे बुधवार में अता० प्र० सं० 155 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद वाराणसी में रामनगर में स्थित राजकीय राधा किशोरी कन्या इण्टर कालेज में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

160—श्री छब्बू पटेल—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय राधा किशोरी कन्या इण्टर कालेज, रामनगर, जनपद वाराणसी में तीन वर्ष से प्रधानाचार्या का पद रिक्त है जिससे उक्त विद्यालय में पठन-पाठन की व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल रही है? यदि हां, तो प्रधानाचार्या की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

राजकीय राधा किशोरी कन्या इण्टर कालेज, रामनगर, जनपद वाराणसी में प्रधानाचार्या का पद 25 मार्च, 1996 से रिक्त है। पठन-पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाये जाने हेतु स्थानीय व्यवस्था के तहत विद्यालय की वरिष्ठतम् प्रवक्ता को प्रधानाचार्या के पद के दायित्वों का निर्वहन सौंपा गया है।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर प्रधानाचार्या की नियुक्ति कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में स्थित यमुनोत्री के विकास हेतु व्यय किये गये धन एवं विकास हेतु योजना

161—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में स्थित यमुनोत्री के विकास के लिये वर्ष 1997–98 में कितना धन व्यय किया गया है? क्या तीर्थ स्थल यमुनोत्री के विकास के लिये कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर निम्नांकित योजनाओं के लिए वर्ष 1997–98 में रुपये 54.56 लाख व्यय किया गया है।

1—जनता यात्री निवास, बड़कोट।

2—जनता यात्री निवास, जानकीचट्टी।

3—गंगोत्री–यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर पेयजल आपूर्ति।

4—फलचट्टी, हनुमानचट्टी, यमुनोत्री में प्रिख–फेब्रीकेटेड हट्स का निर्माण।

जी हां। गंगोत्री–यमुनोत्री मार्ग पर चिनियाली सोड, चम्बा, हुण्डा, हर्षिल, बड़कोट, अंजनीसैण, लम्बगांव, जाखनीधार एवं नैनबाग में रैनबसेरा के निर्माण के लिए रु० 100.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त "गंगोत्री–यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं का विस्तार" की निम्न योजना है :–

1—जनता यात्री निवासों का निर्माण ।

2—रैनबसेरा, सहशुलभ शौचालयों का निर्माण।

3—लागहट्स का निर्माण।

4—प्रशाधन (सुलभ शौचालयों का निर्माण)

5—पार्किंग स्थल/बस स्टेशनों का निर्माण।

6—फास्टफूड सैण्टर्स का निर्माण।

7—माडर्न रिसेप्शन सैण्टर का निर्माण ।

8—पेयजल आपूर्ति।

9—रैन शेल्टर्स का निर्माण।

10—पैदल मार्ग का सुधार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक तरवा में दो कि० मी० की पिच सड़क मेहनाजपुर–तरवा मार्ग से बनगांव तक का निर्माण कार्य

162—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1996–97 में तरवा ब्लाक जनपद आजमगढ़ में स्वीकृत दो कि० मी० की पिच सड़क मेहनाजपुर-तरवा मार्ग से बनगांव तक का निर्माण पूर्ण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो 1996–97 में उक्त कार्य के लिए अवमुक्त धन का उपयोग अब तक न किये जाने के लिए दोषी कौन हैं? सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा।

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

कोई नहीं।

माह 6/98 में लेपन स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

जनपद मथुरा के बलदेव क्षेत्र में स्थित रा० का० उ० मा० विद्यालय की अध्यापिका कुमारी कटोरी देवी के देयों का भुगतान

163—श्री चेतराम—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमारी कटोरी देवी, अध्यापिका, रा० का० उ० मा० विद्यालय, बलदेव, मथुरा की नौकरी पर बहाली एवं अन्य देयों के भुगतान के आदेश हुए थे? क्या उनके समस्त देयों का भुगतान हो गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

कुमारी कटोरी देवी को रु० 3.25 लाख का भुगतान विवेकाधीन कोष से किया जा चुका है तथा उन्हें दो वर्ष की पुनर्नियुक्ति का लाभ भी दिया गया था। उनका कोई अवशेष भुगतान लम्बित नहीं है।

जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में पूर्व निर्मित डामर सड़क की मरम्मत

164—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में 20 वर्ष पूर्व डामर सड़क बनवाई गई थी जिनकी संख्या 18 है? यदि हां, तो अब तक उक्त मार्गों की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई है? कब तक मरम्मत करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

लेपित स्तर तक निर्मित सड़कों की संख्या–16 है।

सामान्य अनुरक्षण/मरम्मत का कार्य कराया गया है।

उपरोक्तानुसार

165—डा० धर्मज्ञ मिश्र—

[दिनांक 7–7–98 को अता० प्र० सं० 94 द्वारा उत्तरित।]

एल० टी०/बी० एड० उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों द्वारा दी गई एक वर्षीय बी० टी० सी० पत्राचार परीक्षा का घोषित परिणाम

166—श्री संजय सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ के पत्रांक स० शि० नि० (प्रशि०)/1153–1403/95–96, दिनांक 24–6–95 के अनुसार एल० टी०/बी० एड० उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों ने डायट हापुड़ (गाजियाबाद) से नवम्बर, 96 में एक वर्षीय बी० टी० सी० पत्राचार की परीक्षा दी थी? यदि हां, तो क्या लगभग डेढ़ वर्ष बीतने पर भी उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया? यदि हां, तो उक्त परीक्षा का परिणाम कब घोषित किया जायेगा? परीक्षा परिणाम घोषित होने में विलम्ब का कारण क्या है?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हां।

दिनांक 6 फरवरी, 1998 को परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

167—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

[6 ठे बुधवार में आत० प्र० सं० 156 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्रीमती बीना देवी, सहायक अध्यापिका, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सरदारनगर, गोरखपुर के सहायक अध्यापिका सी० टी० ग्रेड के पद पर कार्यरत होने की अवधि के सम्बन्ध में जानकारी

168—श्री शिव सिंह चक—

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित अता० प्र० सं०—54 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अध्यापिका श्रीमती बीना देवी, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सरदार नगर, गोरखपुर में सहायक अध्यापिका सी० टी० ग्रेड के पद पर किस दिनांक से कार्यरत हैं?

डा० नैपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, तेतरी बाजार, सिद्धार्थनगर के कार्यवाहक प्रधानाचार्या के स्थानान्तरण का निरस्तीकरण

169—मो० मुकीम—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज तेतरी बाजार, जनपद सिद्धार्थनगर के कार्यवाहक प्रधानाचार्या का स्थानान्तरण दिनांक 16-5-98 को सिद्धार्थनगर जनपद से राजकीय कन्या इण्टर कालेज चितबड़ागांव जनपद बलिया हो गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त कार्यवाहक प्रधानाचार्या को तत्काल कार्यमुक्त करने हेतु संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती, मण्डल बस्ती द्वारा दिनांक 8-6-98 एवं 10-6-98 को जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर को आदेश दिया है? यदि हां, तो क्या उक्त प्रधानाचार्या को कार्यमुक्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इसके लिये दोषीजनों के विरुद्ध सरकारे कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

जी हां।

जी हाँ।

जी नहीं।

स्थानान्तरण आदेश नि–2/521/98-99, दिनांक 17-7-98 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में प्राइमरी पाठशाला तथा जूनियर हाईस्कूल में रिक्त पदों को भरने हेतु कथित परीक्षा के रद्द किये जाने की जानकारी

170—श्री चन्द्र नाथ सिंह—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में प्राइमरी पाठशाला तथा जूनियर हाई स्कूल में रिक्त पदों को भरने के लिये किसी प्रकार की परीक्षा वर्ष 1996-97 में हुई थी? यदि हां, तो उक्त परीक्षा को रद्द क्यों कर दिया गया?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र में अधूरी पड़ी सड़कों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने की मांग

171—श्री बी० आर० वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं विधान सभा क्षेत्र में अधूरी पड़ी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने हेतु शासन कोई कदम उठायेगा? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

172—श्री मुराद लारी—

[7 वे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

173—श्री राम नरेश यादव—

[7 वे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

174—श्री सत्य प्रकाश सोनकर—

[4 थे गुरूवार में अता० प्र० सं०–129 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला गोण्डा में स्थित प्राइमरी पाठशाला बनघुसरा के सेवा निवृत्त प्राधानाध्यापक श्री नरसिंह बहादुर सिंह के अन्तिम देयों के भुगतान

175—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री नरसिंह बहादुर सिंह, प्राइमरी पाठशाला बनघुसरा, जिला गोण्डा से प्रधानाध्यापक के पद से वर्ष 1990 में सेवा निवृत्त हुये थे? यदि हां, तो उनके किन-किन अंतिम देयों का भुगतान कर दिया गया है? किन देयों का भुगतान करना अभी बाकी है? बाकी देयों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

जी हाँ।

पी० एफ०, पेंशन, बीमा का भुगतान किया जा चुका है।

कोई भी अन्तिम देयक अवशेष नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा सचिव को स्मिथ इण्टर कालेज आजमगढ़, के सम्बन्ध में दिये गये पत्र पर आज्ञा की मांग

176—श्री राम प्यारे—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 26-9-97 को माध्यमिक शिक्षा सचिव को स्मिथ इण्टर कालेज अजमतगढ़, आजमगढ़ के संबंध में पत्र दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह —

जी हां।

पत्र पर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से आख्या मांगी गई थी जो अभी अपेक्षित है।

इंजीनियरिंग अनुदेशकों को उनकी दीर्घकालीन सेवा की पृष्ठभूमि में सेलेक्शन ग्रेड की जारी सुविधा

177— श्री दद्दू प्रसाद —

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 3309/18 प्र० शि० 2-30 (ई०)/ई-डी० 74, दिनांक 25-11-88 के अनुसार कितने इंजीनियरिंग अनुदेशकों को सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा प्रदान की गयी थी? कितने अनुदेशकों का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-9-93 के परिप्रेक्ष्य में उक्त सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा वापस ली गयी? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि सेलेक्शन ग्रेड प्राप्त इंजीनियरिंग अनुदेशकों में मात्र एक को छोड़कर सभी की सुविधायें यथावत् जारी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनुदेशकों को भी उनकी दीर्घकालीन सेवा को देखते हुए एकल पद मानते हुए सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा पूर्ववत् जारी रखने का आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर —

41 अनुदेशकों को सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा अनुमन्य की गयी। मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-9-93 के परिप्रेक्ष्य में 15 इंजीनियरिंग अनुदेशकों से पूर्व में प्रदान की गयी सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा वापस ली गयी है।

जी नहीं।

वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शासनादेश संख्या–1107/16–प्रा० शि०–2–30 (ईडी)/74 दिनांक 25-5-95 के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड की पात्रता श्रेणी में आने वाले अनुदेशकों की सेलेक्शन ग्रेड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एकल पद को उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति

178—श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी'' —

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अनेक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानक शिक्षकों एवं छात्रों के अनुपात के अनुसार शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई है? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं? निर्धारित मानक के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति न करने के प्रति कौन उत्तरदायी है? कब तक सभी रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती कर दी जायेगी?

श्री रवीन्द्र शुक्ल —

जनपद पौड़ी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 323 अभ्यर्थियों की नियुक्ति सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति/पदोन्नति नियमित रूप से की जाती है।

जनपद भदोही में बी० टी० सी० अध्यापकों के आभाव की पूर्ति बी० एड० के अध्यापकों से करने की मांग

179—श्री गोरख नाथ पाण्डेय—

क्या सरकार को जानकारी है कि भदोही जनपद में बी० टी० सी० अध्यापकों की कमी के कारण उनकी पूर्ति बी० एड० के अध्यापकों से करने हेतु मा० उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसे अभी तक अमल में नहीं लाया गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त आदेश का कब तक कार्यान्वयन होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सिद्धार्थनगर में श्री कृष्ण करुणाकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सकारपार में कार्यरत शिक्षकों की आरक्षण के अनुसार नियुक्ति की जानकारी की मांग

180—श्री लालमणि प्रसाद—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सिद्धार्थनगर जनपद में श्री कृष्ण करुणाकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सकारपार में कौन-कौन से अध्यापक कार्यरत हैं? क्या इस विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति आरक्षण रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति के पश्चात न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की सुविधा

181—श्री रमेश राही—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लो० नि० विभाग द्वारा विगत वर्षों में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को तृतीय श्रेणी में नियुक्ति करने के बाद न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट पास करने के लिये तीन वर्ष का समय दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति को अन्य विभागों में भी लागू करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कलराज मिश्र—

जी हां।

जी नहीं।

इस प्रकार की छूट शासन की नीति से आच्छादित नहीं है।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के विभिन्न विभागों में की गई नियुक्ति तथा भविष्य में आरक्षण सुनिश्चित करने का आश्वासन

182—श्री चेतराम—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में वर्ष 1984 में कितने प्रवक्ता, सहायक आचार्य, सह आचार्य तथा बिना भुगतान के प्रवक्ता अंशकालीन

प्रवक्ता एवं अन्य चिकित्सक नियुक्त किये गये? उनमें से कितने अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के थे? क्या चयन समितियों में उक्त वर्ग के अधिकारी थे? क्या भविष्य में कोटा पूरा होने तक उक्त वर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति समयबद्ध तरीके से करायेंगे? क्या सरकार शासनादेशों के अनुसार चयन समितियों में आरक्षित वर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करायेगी एवं आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में विभिन्न विभागों के लिये वर्ष 1984 में 23 प्रवक्ताओं (सहायक आचार्यों) की नियुक्ति की गयी थी तथा पांच प्रवक्ता रीडर (सह-आचार्य) पद पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रोन्नत किये गये थे। इस वर्ष अवैतनिक प्रवक्ता अंशकालिक प्रवक्ता तथा अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गयी थी। उपरोक्त शिक्षकों में अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षक नहीं हैं। एक शिक्षक अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। प्रत्येक चयन समिति में हर वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये शासन के स्थायी आदेश हैं।

भविष्य में नियुक्तियों में आरक्षण अधिनियम का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उत्तरांचल में रा० उ० मा० विद्यालय, इण्टर कालेजों में शिक्षकों के कुल रिक्त पदों को भरने की मांग

183—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल में रा०उ०मा० विद्यालय, इण्टर कालेजों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो जिलेवार किन-किन रा०उ०मा० विद्यालयों, इण्टर कालेजों में एल०टी० ग्रेड प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं? क्या सभी रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्तियां होंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

भूमि संरक्षण विभाग द्वारा बाराबंकी के विकास खण्ड निंदूरा में सिंचाई करने हेतु निर्मित नालियों का संतोषजनक कार्य।

184—श्री हरदेव सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर भूमि संरक्षण विभाग द्वारा जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड निंदूरा में सिंचाई करने हेतु नाली का निर्माण 1997-98 में कराया गया है? क्या यह सही है कि गुणवत्ता की कमी के कारण नालियां टूट गयी हैं? क्या सरकार इन नालियों में लगाये गये सामानों की गुणवत्ता की जांच कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मण्डलेश्वर सिंह—

जी नहीं। बल्कि भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग की भूमि संरक्षण इकाई बक्शी का तालाब स्थापित बाराबंकी द्वारा ब्लाक निंदूरा में सिंचाई नाली का निर्माण वर्ष 1997-98 में कराया गया है।

गुणवत्ता की कमी के कारण नालियां टूटी नहीं है।

जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्नगत कार्य सम्बन्धित जल प्रबन्ध समितियों की देखरेख में कराये गये हैं और वे सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

उत्तरांचल में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता/प्रधानाचार्य/एल०टी० सहायक अध्यापक, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद तत्काल सृजित किये जाने की मांग।

185—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के स्वीकृत विषयों हेतु प्रवक्ता/प्रधानाचार्य/एल० टी० सहायक अध्यापक, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद सृजित का प्रकरण शिक्षा, निदेशालय एवं शासन में लम्बित पड़े हैं? क्या शासन उत्तरांचल में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सभी श्रेणियों के पदों का तत्काल सृजन करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

जी हां।

बजट में किये गये प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में मानक के अनुसार पदों का सृजन किया जायेगा।

शीघ्र

प्रश्न नहीं उठता।

गढ़वाल मण्डल में प्रशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त वर्गों की मान्यता के फलस्वरूप शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पद सृजित करने की मांग

186—श्री भारत सिंह रावत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में प्रशासकीय सहायता प्राप्त कितने माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें नवीन मान्यता अथवा अतिरिक्त वर्गों की मान्यता के फलस्वरूप अभी तक शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पद सृजित नहीं हुए हैं? इन सभी संस्थाओं में अभी तक पद सृजन न हो पाने के क्या कारण हैं? क्या सरकार बतायेगी कि कब तक उक्त प्रकार की सभी संस्थाओं में अपेक्षित पद सृजित कर दिये जायेंगे?

डा० नैपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मान्यता प्राप्त तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में पदों के सृजन का प्रकरण

187—श्री भारत सिंह रावत—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि विशिष्ट प्राविधानों के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में वित्त सहित पद सृजन का स्पष्ट प्राविधान होने पर भी शिक्षा विभाग द्वारा पद सृजन के प्रकरणों को लम्बित रखा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? कब तक उक्त पदों को सृजित करा दिया जायेगा?

डा० नैपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा के तहसील सदर के ग्राम पैलाने में बालू खनन हेतु भूमिधर कास्तकारों को दी गयी कथित परमीशन

188—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद —

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के तहसील सदर के ग्राम पैलाने में वर्ष 1994 में माह जनवरी-फरवरी में बालू खनन हेतु कुल कितने भूमिधर कास्तकारों के नाम तीन माह के लिये परमीशन दी गयी थी? क्या परमीशन धारकों द्वारा अवैध एम० एम०–11 का प्रयोग कर राजस्व का नुकसान किया था? क्या इसकी जांच प्रभारी अधिकारी खनन द्वारा की गयी थी? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं? क्या जांच में दोषी पाये गये लोगों से राजस्व की वसूली की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह —

जनपद बांदा के तहसील सदर बांदा के ग्राम पैलाने में वर्ष 1994 के माह जनवरी-फरवरी में बालू खनन हेतु कोई भी खनन परमिट भूमिधरी काश्तकारों के नाम स्वीकृत/निर्गत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में स्थित विद्या मंदिर इण्टर कालेज मिल्कीपुर के सहायक अध्यापक श्री चन्द्र भानु पाण्डेय के कथित अवशेष देय धनराशि के भुगतान का मामला

189—श्री मुराद लारी —

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र भानु पाण्डेय, सहायक अध्यापक विद्या मंदिर इण्टर कालेज, मिल्कीपुर, फैजाबाद के दिनांक 12-9-87 से फरवरी, 1993 तक के चयन वेतनमान से सम्बन्धित अवशेष देयक रुपये 7094.00 का भुगतान लम्बित है? क्या उनकी पदोन्नति सी०टी० ग्रेड से एल० टी० ग्रेड में प्रोन्नति का मामला विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त श्री पाण्डेय के अवशेष देयकों का भुगतान शीघ्र कराने तथा उनको प्रस्तावित प्रोन्नति प्रदान करने हेतु आदेशित करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह —

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन सिंह नयाल, पूर्व प्रमुख एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत, कोट (गढ़वाल) द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी गढ़वाल को भेजे गये पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

190—श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी'' —

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी गढ़वाल को संबोधित एवं शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित मदन सिंह नयाल, पूर्व प्रमुख एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत, कोट (गढ़वाल) का पत्रांक तैडी/13–शिक्षा/97-98, दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 प्राप्त हुआ है? पत्र में उठाये गये बिन्दु क्या-क्या हैं? उनके निराकरण हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० नैपाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

(शोर)

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

(जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है के नारे लगाये गये)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग स्थान ग्रहण करें।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 21 जुलाई, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई। प्रथम सूचना श्री बाबू लाल की है, दूसरी सूचना श्री दद्दू प्रसाद, तीसरी सूचना श्री रमेश राही, चौथी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, पांचवी सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, छठी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सातवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की हैं।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रतीक्षा सूची में श्री मुरलीधर एवं श्री सतीश जतारिया की सूचनाएं थीं।

श्री राजपाल सिंह, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री राम विशुन आजाद, श्री राम औतार मिश्र, श्री राम ललित चौधरी, श्री अजय कुमार पोइया, श्री हरदेव सिंह, श्री अफ़जाल अहमद, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री राम नरेश यादव, श्री तेजभान सिंह, श्री उदयराज यादव, श्री लालजी वर्मा, श्री विजयपाल सिंह, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री बिन्दु लाल, श्री श्रीरामपाल, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य एवं श्री आर०के० चौधरी की सूचनायें अस्वीकार की गयी।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्रान्तर्गत गवन्त नाला की सफाई हेतु स्वीकृत धन के दुरुपयोग की जांच कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू लाल—

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व की एक अति महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहूंगा कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा गवन्स नाला की सफाई के लिये 12 लाख रुपये तथा वेस्ट्रन डिप्रेसन ड्रेन के लिये 31 लाख रुपये

जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये थे। जिससे हेड से टेल तक सिल्ट सफाई का कार्य हो सके। बेडवार सिल्ट सफाई के लिये कार्य स्वीकृत हुआ था किन्तु सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मानक के अनुसार सफाई नहीं कराई। सफाई के नाम पर केवल जलकुम्भी ही निकाली गई जो कि शासन की नीतियों के खिलाफ और जनता की गाढ़ी कमाई पर खुलेआम डाका है।

अतः आप से अनुरोध करूंगा कि उक्त नालों के सफाई कार्य की जांच कराने की कृपा करें तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित करने हेतु सरकार को निर्देश देने की कृपा करें। जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा।]

जिला झांसी के मौजा रुद्र पंचमहल में राजस्व परिषद् के आदेश का पालन कराने एवं अवैध निर्माण हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद —

[महोदय, मौजा रुद्र पंचमहल, परगना व तहसील व जिला झांसी में गाटा संख्या–461 मि० व 469 मि० व 471 में श्री सूरज सिंह, पुत्र गरीबे, निवासी नई बस्ती, झांसी के नाम 3.290 हे० भूमि थी चूंकि श्री सूरज सिंह अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। अतः कुछ लोगों ने इनकी भूमि हड़पनी चाही तथा विभिन्न अदालतों में श्री सूरज सिंह, पुत्र गरीबे के विरुद्ध वाद दायर कर दिया अपर जिलाधिकारी, झांसी, अपर आयुक्त, झांसी, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णयों के पश्चात् राजस्व परिषद्, लखनऊ के यहां सुनवायी हुई तत्पश्चात् राजस्व परिषद् लखनऊ की बेंच ने दिनांक 4-2-93 को अंतिम निर्णय सुनाया।

माननीय राजस्व परिषद्, लखनऊ के निर्णय दिनांक 4-2-93 को खतौनी में अंकित हो जाना चाहिये था परन्तु उप जिलाधिकारी, झांसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण माननीय राजस्व परिषद, लखनऊ के उपरोक्त निर्णय को खतौनी में नहीं अंकित कर रहे हैं।

अतः शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट, झांसी को स्पष्ट रूप से निर्देशित करें कि वह नियमानुसार माननीय राजस्व परिषद्, लखनऊ के आदेश दिनांक 4-2-93 को खतौनी में अंकित करें तथा उपरोक्त भूमि से अवैध निर्माण हटवायें।]

जनपद सीतापुर के हरगांव क्षेत्रान्तर्गत जलभराव की समस्या के निदान हेतु नाली बनवाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश राही —

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र, हरगांव, जनपद सीतापुर की ओर दिलाना चाहता हूं। नगर पंचायत हरगांव के मुख्य मार्ग जो कि जनपद सीतापुर से लखीमपुर को जाता है। मार्ग धसने के कारण सड़क को लगभग चार फिट ऊंचा किया गया था, जिसके कारण बरसात का पानी मकानों के अन्दर भर जाता है। टाउन की स्थित जल भराव के कारण दयनीय हो गई है परन्तु आज दिनांक तक लोक निर्माण विभाग द्वारा पानी निकास के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की है, न ही पक्की नाली का निर्माण कार्य कराया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनहित को ध्यान में रखकर अविलम्ब पक्की नाली का निर्माण कराया जाय जिससे विभिन्न प्रकार की होने वाली बीमारियों को रोका जा सके तथा जन भावनाओं को ध्यान में रखकर सरकार को निर्देश देवें कि यथाशीघ्र नाली का निर्माण कराया जाय।

नोट – [ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

मान्यवर मैं पुनः आप के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल नाली बनाये जाने के आदेश सरकार को देने का कष्ट करेंगे।]

मेरठ के मेडिकल कालेज अस्पताल की व्यवस्था में सुधार की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी —

[महोदय, मेरठ मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल में शासन की मंशा तथा उपलब्ध कराये गये संसाधनों के अनुरूप गरीब व मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है।

बार्डों व शौचालयों की दशा खराब है, अजीब-सी दुर्गन्ध रहती है तथा सीवर चोक है। प्रकाश की व्यवस्था भी अंधेरे का पर्यायवाची बनी है। बहिरंग कक्ष में सीनियर डाक्टर उपलब्ध ही नहीं है।

शासन को तत्काल प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रभावी रोक की व्यवस्था करनी चाहिये। औषधि/उपचार/शल्य क्रिया व्यवस्था की उपलब्धता औसत दर्जे से नीचे है।

मैं इस सूचना के माध्यम से शासन से जनहित में प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा में स्वच्छकार मुक्ति योजना में कथित घोटालों की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र पाल निषाद—

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा में स्वच्छकार मुक्ति योजना का दुरुपयोग कर हजारों जमादार परिवारों के साथ धोखाधड़ी करके उनके घर जमीन नीलाम कराने में एक गिरोह सक्रिय है जो अब तक कई लाख का गबन कर चुका है, जिसमें जिला समाज कल्याण कार्यालय सहयोगी है। उक्त गिरोह के विरुद्ध भागीरथ वर्मा ने दिनांक 6-5-1997 को मु०अ०सं० 213/97 धारा–504, 506 आई०पी०सी० व अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत थाना कोतवाली नगर में अभियोग भी पंजीकृत कराया था। स्वच्छकार मुक्ति योजना में घोटालों की जांच की मांग को लेकर शहर बांदा निवासी राम चन्द्र बाल्मीकी ने जिलाधिकारी कार्यालय में आत्मदाह किया था किन्तु न तो उस गिरोह का सफाया हो सका और न ही घोटालों में रोक लग पाई है। धोखाधड़ी का एक और उदाहरण तब प्रकाश में आया जब विकास खण्ड महुआ के गांव नौहाई में जमावरों को वसूली आदेश घुमाया गया जब कि उनको आज तक पैसा नहीं मिला। उक्त योजना में हुए पूरे जनपद में हुए घोटालों की व्यापक उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की जाती है ताकि शहीद राम चन्द्र बाल्मीकी काण्ड की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।]

चतुर्थ दशम मण्डल सिंचाई कार्य आजमगढ़ में रिक्त सींच पर्यवेक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

[महोदय, इस लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत चतुर्थ दशम मण्डल सिंचाई कार्य आजमगढ़ में जिलेदार के पद स्वीकृत होते हुए भी पद रिक्त रखे गयें हैं। जब कि वहां सींच पर्यवेक्षक की ट्रेनिंग प्राप्त किये अभ्यर्थी लगभग दस

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्षों से बिना पद स्थापना के पड़े हुए हैं। जिससे ट्रेनिंग युक्त होते हुए भी बेरोज़गार पड़े हुए हैं। जिसमें विभाग की कार्यदक्षता पर भी बुरा असर पड़ रहा है तथा कार्य भी प्रभावित होता है।

अतः उक्त लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से आपसे मांग करता हूं कि सरकार जिलेदार पद पर प्रोन्नत के फलस्वरूप रिक्त सींच पर्यवेक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाय जिससे ट्रेनिंग शुदा लोगों का उपयोग हो सके।]

प्रदेश में सहकारी शीतगृहों एवं प्राइवेट शीतगृहों में वर्ष 1997-98 में आलू सड़ जाने के कारण प्रभावित किसानों को मुआवजा दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवधेश प्रसाद—

[महोदय, विगत दिनों में समूचे उ०प्र० में आलू जो सहकारी शीतगृहों में और प्राइवेट शीतगृहों में किसानों ने भण्डारण किया था, अधिकांश आलू सड़ गया। किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस मामले की शासन स्तर से जांच भी हुई है और सरकार की तरफ से समूचे उ०प्र० में किसानों को आश्वासन दिया गया कि इसका मुआवजा किसानों को मिलेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश की 33 सहकारी शीतगृहों में किसानों का वर्ष 1997-98 में शत प्रतिशत आलू सड़ गया था। आज तक किसान को एक पैसा नहीं मिला है। यही हाल प्राइवेट शीतगृहों की है। मेरे जनपद फैजाबाद में मेरे क्षेत्र सोहावल में सहकारी शीतगृह खिरौनी सोहावल ब्लाक में स्थित है वर्ष 1997-98 में इस शीतगृह में किसानों का 70 हजार बोरा सड़ गया। सड़े हुये आलू से पूरे क्षेत्र में एक विषाक्त वातावरण पैदा हुआ था। मैंने स्वयं इसी आदरणीय सदन में इस लोक महत्व के सवाल को उठाया था। शासन की तरफ से किसानों को क्षतिपूर्ति देने का वादा किया गया था और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की बात कही गई थी। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।

महोदय यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। सदन के संज्ञान में लाकर शासन से पुनः मांग करता हूं कि जो किसानों का आलू सड़ा है, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। किसान हतोत्साहित हुआ है। परिणामस्वरूप आलू का उत्पादन घटा है। आज आलू 12 रुपये बिक रहा है क्षतिपूर्ति देने की मांग करता हूं।]

नेता विरोधी दल को उनकी गरिमा के अनुकूल आवास उपलब्ध कराये जाने की मांग

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री उदयराज यादव—

नेता विपक्ष को बंगला मिलना चाहिए। आज इस बात का निर्णय हो जाना चाहिए।

(माननीय नेता विपक्ष वेल में आकर बैठ गये)

(वेल में आये हुए कई माननीय सदस्य पीठ की तरफ बढ़ने लगे)

श्री अधिष्ठाता—

मैं सदन को 12.45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 12 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 12 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 1 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है। 1 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 1 बजकर 15 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है। 1 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 1 बजकर 45 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है। 1 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है। 2 बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 2 बजकर 15 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है। 2 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है। 2 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अम्बिका चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सदन अव्यवस्थित था और एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस सदन के सम्मुख था। इस सरकार की संवेदनहीनता इस सीमा तक है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष को डेढ़ वर्षों के बाद भी आवास उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इनको ऐसा आवास दिया गया है। जिसकी छत टपकती है, आगे-पीछे गंदगी रहती है, बिलकुल बेकार है, इसी से इनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था इस सदन में। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप व्यवस्था दें कि आपके निर्देश के बावजूद अभी तक सरकार की ओर से कोई बात नहीं आई है। अगर माननीय नेता विरोधी दल को उनकी गरिमा के अनुरूप आवास उपलब्ध नहीं कराया जायेगा तो बाकी के प्रश्नों पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं कि तत्काल नेता विरोधी दल के आवास का मामला हल हो जाये इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने की कृपा करें।

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, कदाचित यह पहली बार हुआ उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, आज नेता प्रतिपक्ष को मकान के लिए सदन की फर्श पर जाना पड़ा। यह बड़े दुख की बात है कि पिछले डेढ़ वर्ष से उनके पास मकान नहीं है कम से कम इस राजधानी में भविष्य में जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री के लिए उसी तरह नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर का इयरमार्क होना चाहिए।

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)—

मान्यवर, चौधरी जी ने कहा कि यह सरकार संवेदनहीन है नेता विरोधी दल के बारे में जिस तरह से विचार करके मकान का आवंटन करना चाहिए था नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार केवल संवेदनशील ही नहीं, नेता विरोधी दल की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मकान का आवंटन किया जाये जैसा आपने निर्देश दिया था। मैंने उसे सहर्ष स्वीकार भी किया था लेकिन उसके बावजूद भी सदन को अव्यवस्थित कर दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि जो भी नेता विरोधी दल ने और सभी लोगों ने अपेक्षा की है। उसे अपेक्षा के अनुरूप 48 घंटे के अन्दर नेता विरोधी दल को उनकी गरिमा के अनुरूप उनको मकान आवंटित कर दिया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, मकान आवंटित नहीं, मकान उपलब्ध करा दिया जायेगा।

श्री कलराज मिश्र—

मान्यवर, आपने निर्देश दिया है कि शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाय। मैं उसी शब्द का प्रयोग करते हुए कर रहा हूं शीघ्र शब्द हटाकर, 48 घंटे के अन्दर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

श्री राम नक्षत्र—

मान्यवर, मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला है मेरे ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, मैं आपको सुनूंगा।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री श्यामददेव राय चौधरी—

मान्यवर, इस सदन में यह देखने में आ रहा है कि 3-4 महीने पहले के जो भी सवाल आ रहे हैं। एजेंडे में आने के बाद उसमें यह आ रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है या स्थगित हो गया है । वह उत्तर के लिए प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आज मेरा एक सवाल सूचना के संबंध में नत्थी "ग" में नम्बर एक पर था। आपने पुकारा भी था लेकिन जो संबंधित मा० मंत्री उत्तर देने वाले थे। वह अवकाश पर थे, तो आपने कहा मैं सुनिश्चित करूंगा कि प्रश्न का उत्तर दिलवा दूं और दूसरा नत्थी "घ" का तीसरा प्रश्न था इसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूं यह दिनांक 28-4-98 को विभाग को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 28-5, 28-6 और आज 21-7 इस प्रकार पौने 3 महीने हो गये, यह प्रश्न सी०ए०जी० की रिपोर्ट से संबंधित था और इसको आज फिर स्थानान्तरित कर दिया गया। यह जो अनियमितता है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका जो पहला प्रश्न है, उस प्रश्न के सन्दर्भ में मैंने जब आपका नाम लिया नत्थी (ग) प्रश्न संख्या–1, तो उस समय मैंने बताया कि माननीय मंत्री जी मुझसे अनुमति लेकर गये है, क्योंकि काउन्सिल में भी उनका सवाल लगा हुआ था, उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही वहां प्रश्नकाल समाप्त होगा, वह यहां आ जायेगें, और वह आये भी और खड़े भी हुये लेकिन उस समय सदन की परिस्थितियाँ ऐसी थीं, जिसमें उत्तर देने के लिये कुछ पाना संभव नहीं था। माननीय मंत्री जी तैयारी से आये थे और उन्हें उत्तर देने से कोई गुरेज भी नहीं था।

श्री श्याम देव राय चौधरी—

मान्यवर, मुझे 4 टर्म हो गया, लेकिन ऐसा मैंने पहली बार देखा जब मा० मंत्री बीच में अवकाश लेकर चले गये यह अनुचित है।

श्री अधिष्ठाता—

मुझसे अनुमति लेकर गये थे। दूसरा प्रश्न जो आपने किया है, उससे मैं सहमत हूँ।

श्री जगदम्बिका पाल—

क्या मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं था, मंत्री जी चले गये तो उत्तर तो दिया जा सकता था।

श्री अधिष्ठाता—

मुझसे अनुमति लेकर गये थे, इसलिये आपके प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है।

माननीय चौधरी साहब ने जो बात उठाई है, उससे सभी लोग सहमत होंगे। मैं अधिकारियों को निर्देश देता हूँ कि ऐसे प्रश्न, जिन पर तत्काल उत्तर उपलब्ध है, सूचना एकत्र की जा रही है या स्थानान्तरित किये जाने की टेन्डेन्सी ठीक नहीं है।

श्री राम नक्षत्र सदस्य विधान सभा पर प्राण घातक हमला किये जाने की सूचना तथा उनकी सुरक्षा की मांग

श्री राम नक्षत्र—

मान्यवर, 19 तारीख की रात में गोरखनाथ एक्सप्रेस द्वारा लखनऊ से गोरखपुर के लिये, ए०सी०-2 के अपनी आरक्षित सीट पर बैठा था, मेरी ऊपर की सीट थी। इतने में 4 नौजवान, जो शराब के नशे में धुत थे, अपने हाथ में रिवाल्वर लिये कंपार्टमेंट में घुसे और मुझे गेट की तरफ इशारा करके बुलाये। हमारा शैडो बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है, वह समझ गया कि कुछ मामला गंभीर है, वह हमको जाने नहीं दिया, वह लोग हमारे शैडो के पास आ गये और वहीं पर मैं भी था, कहा कि तुम लोग बहुत गुन्डागर्दी करते हो, बहुत हंगामा मचाते हो, तो शैडो ने कहा कि हम लोग तो कुछ भी नहीं करते और पुनः हमारा शैडो हमारे सामने खड़ा हो गया, उन लोगों ने हमें भद्दी-भद्दी गालियां दीं, हमारे विधायक जो भाजपा के हैं, श्री दीपलाल भारती को भी दीं, वे थे भी नहीं उन्होंने जो गालियां मां-बहन की दीं, उन्हें हम यहां नहीं कह सकते .....

श्री अधिष्ठाता—

आपने कोई सूचना दी है, यह तो 19 तारीख की घटना है।

श्री प्रमोद कुमार—

यह विधायक पर आप बीती है, रिवाल्वर लेकर डराया धमकाया गया है, आप नियमों का सहारा लेकर कृपया इसको स्थगित न करें, यह चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, विधायकों की गरिमा का प्रश्न है इस पर मैं चाहूँगा कि सभी विधायक एक हों।

श्री अधिष्ठाता —

आपको आदत पड़ गई है, बीच में बिना अनुमति के बोलने की, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। माननीय सदस्य योग्य हैं, वह स्वयं अपनी बात कह लेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम नक्षत्र—

हमारे पांव पकड़ कर खींचने लगे, मेरा कुरता फट गया, कई लोग थे...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अगर आप सूचना दिये होते, मैं निश्चित रुप से आप को सुनता। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। आप लिखकर दे दिये होते।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, आप मुझे दो मिनट का समय दें दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने राम नक्षत्र को बोलने के लिये कहा है।

श्री राम नक्षत्र—

तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे कपड़े फाड़ दिये, मेरे शैडों को झापड़ लगाये, कई जगह पर मारा। लेकिन मेरे शैडों ने बड़ी समझदारी के साथ काम लिया और अगर वह समझदारी के साथ काम न लिये होता, तो वह मुझे मार कर चले गये होते। मैं मान्यवर, केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ। मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मान्यवर, मैं जनता के सवालों को लेकर लड़ता रहता हूँ। मेरी इसमें किसी से व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह सुनियोजित षडयंत्र है, हमे मार डालने का षडयंत्र था। शैडों की समझदारी से मैं बच गया। उन्होंने कहा कि विधान सभा में हंगामा करते हो, हंगामा मंचाते हो, तो मैं कहना चाहता हूँ, श्री राम नक्षत्र गरीबी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता है और उस पर कातिलाना हमला हुआ है, मेरे ऊपर हुआ है, तो यही स्थिति दूसरे विधायकों पर भी आ सकती है। अगर विधायकों के साथ इस प्रकार का सलूक किया जायेगा, तो विधायक आगे केवल इस विधान सभा में आयेगा और हस्ताक्षर करके चला जायेगा। मान्यवर, मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाये और इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था विधायकों की की जाये जिससे इसकी पुनरावृत्ति न हो। मान्यवर, हमारी सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इस तरह की घटनायें विधायकों के साथ हो रही हैं, समाज की परीक्षा कम्पार्टमेन्ट में हो गयी डर के मारे लोग बोले नहीं जो बोले वह भी गाली सुने अब सरकार की परीक्षा है यदि सरकार फेल हो गयी तब इस सरकार को एक दिन भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उन लोगों ने मेरे ऊपर प्राण घातक हमले किये हैं, हमारी सुरक्षा की गारन्टी सुनिश्चित की जाये।

* पंजीयन मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

जो तथ्य आपके माध्यम से आये हैं, उन को मैं देख लूंगा और जो भी कार्यवाही संभव होगी, की जायेगी।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न (क्रमागत)

श्री राम प्यारे—

मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पीठ का निर्देश था कि सवालों का उत्तर सही आना चाहिए और अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिये।....*

मान्यवर, मेरा एक सवाल था, क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 26–9–97 को माध्यमिक शिक्षा, सचिव को स्मिथ इण्टर कालेज, अजमतगढ़ आजमगढ़ के संबंधित पत्र दिया था?

श्री अधिष्ठाता—

कृपया प्रश्न संख्या बताएं।

श्री राम प्यारे—

मान्यवर, आज ही का प्रश्न संख्या–176 उसके आगे पूछा है यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी यदि नहीं तो क्यों? मान्यवर, इसमें स्पष्ट है कि एक साल पत्र लिखे हुए हो गए। सत्र के शुरू में जवाब आया कि आख्या मांगी गयी है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया गया और आठवें मंगलवार हेतु स्थगित किया गया। आज जब जवाब आया तो उसमें लिखा है, "जी हां,"।

श्री अधिष्ठाता—

इसको सुसंगत नियमों में लिखकर दे दीजिए नियमावली में इसके लिए रेमिडी हैं।

श्री राम प्यारे—

मान्यवर, फिर आगे इसके कहा है कि पत्र पर (निदेशक) माध्यमिक शिक्षा से आख्या मांगी गयी थी जो अभी अपेक्षित है। मान्यवर इसमें तथ्य छिपाया जा रहा है जरा मुझे सुन लीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने कहा कि सुसंगत नियम नियमावली में है उसमें लिखकर दीजिए। (व्यवधान) आप समय का दुरुपयोग कर रहे है।

श्री राम प्यारे—

मेरी बात सुन तो लीजिए, जिससे सारी बाते सदन के सामने आ जाएंगी कि क्यों निदेशक जवाब नहीं दे रहे है? भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का कार्य हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। जब सुसंगत नियम है और आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो लिखकर दे दीजिए।

श्री राम प्यारे—

मान्यवर, आप इस आसन से संरक्षण नहीं देगें, तो मा० सदस्यों के सम्मान की रक्षा कैसे होगी?

श्री अधिष्ठाता—

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। सुसंगत नियम है नियमावली में उसमें लिखकर दे दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, अब सिर्फ दो दिन बचे हैं, आपकी पीठ से जो निर्देश हुआ है, कम से कम दो बार स्पष्ट निर्देश हुआ है। मा० अधिष्ठाता और मा० अध्यक्ष जी द्वारा कि प्रश्नों के उत्तर देने में जानबूझ कर गड़बड़ी की जा रही है। आज भी मा० श्याम देव राय चौधरी और डा० बाजपेयी ने ऐसे ही सवाल उठाए थे। सदस्यों के अधिकारों का आप संरक्षण दें, जनता के हितों को दृष्टि में रखते हुए यहां सवाल किए जाते हैं और हमारी समस्याओं का निराकरण आप को करना चाहिए और हमें सुनना चाहिए। प्रश्न काल समाप्त होते ही आज सदन स्थगित हो गया, इसलिए वह अब उठ रहें है।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने व्यवस्था दे दी, इसके लिए नियमावली में सुसंगत नियम है। जिसमें आप लिखकर दे दीजिए। (व्यवधान) मैं प्रश्न के संदर्भ में भाषण देने की अनुमति नहीं दूंगा। मैने निर्देश दे दिया। (व्यवधान)

श्री राम प्यारे—

आप एक मिनट सुन लीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

मैं नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दूंगा मैंने प्रश्न भी सुन लिया और व्यवस्था भी दे दी। आपने प्रश्न को पढ़ा और उत्तर भी पढ़ दिया। आपसे अपेक्षा है, उसके लिए सुसंगत नियम है।

यदि आप प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो जो सुसंगत नियम हैं उनके अन्दर लिखकर दे दीजिए।

श्री राम प्यारे—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

यह अंकित नहीं किया जाएगा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री श्रीराम पाल—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

इस संबंध में कोई बात अंकित नहीं की जायेगी। मेरा निवेदन है कि आज लगभग दो घंटे अपरिहार्य कारणों से स्थगन होता रहा, आज बहुत से महत्वपूर्ण विभागों के बजट हैं और एजेन्डा का बहुत सा कार्य पड़ा है।

* डा० धर्मज्ञ मिश्र—

अपरिहार्य कारणों से नहीं बहुत महत्वपूर्ण मामला था।

श्री अधिष्ठाता—

अपरिहार्य का मतलब वही होता है। मेरा निवेदन है कि अगर उत्तर ठीक नहीं आया है, तो नियमावली में उसका उपचार है, अगर इस पर बहस शुरू हो जायेगी, तो सदन की कार्यवाही अन्त तक चलती रहेगी। बहुत से विद्वान और वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं प्रश्न काल में सभी माननीय सदस्यों की जिज्ञासा शान्त हो गयी हो, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा।

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी आप ने कहा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत लिखकर दे दें। हम आपके निर्देशों को शिरोधार्य करते हैं। सरकार एक वर्ष से इस प्रश्न का जबाव नहीं दे सकी है।

[× × ×]

नोट–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपको सरकार को निर्देश देना चाहिए था, का हम आपकी पीठ का आदर करते हैं। आपके आदेश का आदर करते हैं। अब इस प्रश्न का जबाव आया है कि आख्या मंगायी गयी है। वर्ष 1997 से 1998 हो गया और एक वर्ष में आख्या नहीं आयी, तो आपको कम से कम यह सोचना चाहिए था कि नियमावली के अन्तर्गत जो अधिकार हमको है और आपको है, उसके अनुसार सरकार इस प्रश्न का उत्तर आज दे? आपको सरकार को निर्देश देना चाहिए।..

हम तो विपक्ष के लोग हैं, सरकार को तमाम तरह के प्रिविलेज हैं। सरकार को आप निर्देश दीजिए कि इस सवाल का जबाव आवश्यक रूप से कल इसी सदन में दे।

श्री अधिष्ठाता—

अभी माननीय सदस्य के उठने के पहले प्रश्नों के संदर्भ में ही श्री श्यामदेव चौधरी के व्यवस्था का प्रश्न सुनने के बाद, मैंने विना उनका नाम लिये कहा कि प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में शासन की तरफ से गम्भीरता होनी चाहिए। इसमें सारी बात आ गयी। हर बार नये तरीके से कहने का प्रश्न उठता है। जब एक बार व्यवस्था दी जा चुकी है तो मेरे पास इसके सिवा और कोई उत्तर नहीं था कि आप सुसंगत नियमों में लिखकर दे दीजिए।

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, चौधरी साहब, श्री राम नक्षत्र जी और श्री राम प्यारे जी की व्यवस्थाएं अलग-अलग थीं। मान्यवर, एक वर्ष से प्रतीक्षित रिपोर्ट कल सदन में रखी जाये, इस प्रकार के निर्देश सरकार को दें।

श्री अधिष्ठाता—

मैं इस प्रकार के निर्देश देने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ कि यह आख्या देने की बात है। मैंने माननीय सदस्यों के प्रश्नों के बारे में निर्देश दे दिया है।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

बाजपेयी जी मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ, आप बैठे।

* श्री श्रीराम पाल—

मान्यवर, आज की कार्यसूची के प्रश्न संख्या–51 का उत्तर नहीं दिया गया है जबकि मैंने यह प्रश्न ढाई महीने पहले पूछा था और आज यह उत्तर आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं नहीं जानता कि आप कौन सा प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन कभी-कभी सूचना एकत्र करनी भी पड़ती है, अगले सत्र में उत्तर आ जायेगा, कृपया बिराजें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी मेरा निवेदन है कि सूचनाओं एवं प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाये जा रहे हैं। कृपया अधिकारियों को निर्देश दें कि ठीक समय पर प्रश्नों के उत्तर आयें, सूचना एकत्र करने वाली बात नहीं आनी चाहिए। माननीय सदस्य ने जो उठाया है, एक वर्ष का मामला है। आप इन्हें हतोत्साहित करें।

श्री राम नक्षत्र सदस्य, विधान सभा पर प्राणघातक हमला किये जाने की सूचना तथा उनकी सुरक्षा की मांग (क्रमागत)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

माननीय अधिष्ठाता जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्री राम नक्षत्र ने जिस घटना का जिक्र किया उससे संबंधित एक बात कहकर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। राम नक्षत्र जी ने जिस घटना का जिक्र किया और जो उन पर प्राण-घातक हमला रेल के डिब्बे में हुआ, उस पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आश्वासन दिया। मैं यह प्रतीक्षा कर रहा था कि इस पर आप अपनी पीठ से कोई व्यवस्था देंगे, पीठ से कोई व्यवस्था नहीं दी गयी, मैं इस बात की प्रतीक्षा में था कि आपकी व्यवस्था सदस्य की सुरक्षा बढ़ाने की या घटना की जांच कराने के मुत्तलिक अवश्य आयेगी। मैं इस बात की प्रतीक्षा में बैठा था कि संसदीय कार्य मंत्री जी के बाद आप अपनी व्यवस्था देंगे। इस गम्भीर विषय पर संसदीय कार्यमंत्री जी ने जिस ढंग से उत्तर दिया यह दुख की बात है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार श्री राम नक्षत्र जी की सुरक्षा के प्रति गम्भीर है, तो जिन वजहों से हमला हुआ है, उसकी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सदन को गारण्टी दे कि वह इसकी जांच कराएंगे व भविष्य में उन पर पुनः हमला न हो इसके लिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी व किसी भी माननीय सदस्य के साथ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो यह भी आश्वासन दिया जाए। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपनी बात कह दी है। उसके बाद अगर उनका उत्तर संतोषजनक न होता, तो मैं अपनी व्यवस्था देता।

वर्तमान सत्र में विभिन्न नियमों के अन्तर्गत दी जा रही सूचनाओं पर मा० सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर होने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 21–7–98 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की।

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी—

मान्यवर, वर्तमान उपवेशन में यह देखने में आ रहा है कि कई माननीय सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षरों से सूचनाएं आ रही हैं और एक-एक माननीय सदस्य के हस्ताक्षर से दो-दो सूचनाएं आ जाती है। तो माननीय सदस्यों से यह पूछा जाता है कि आपके हस्ताक्षर हैं या किसी दूसरे के इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में जो फर्जी हस्ताक्षरों से सूचनाएं आ रही हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाएं। इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

वर्तमान सत्र में कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें फर्जी हस्ताक्षरों से सूचना दी गई[1] हैं। इस का समाधान करने की दिशा में शीघ्र निर्णय लिया जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रत्येक वर्ष में सदन के 90 दिन के उपवेशन होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता—

दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की है।

* * श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, मैंने संविधान के अनुच्छेद 174 का उल्लेख किया है। इसके तहत विधान सभा का सत्र बुलाया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के अध्याय 4 में नियम 14 को देखें। अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पहले यह जितनी अनुदान मांगे होती थी पहले 95 अनुदान मांगे थी अब 94 अनुदान मांगे हैं। इन 94 अनुदान मांगों पर जितने उपवेशन बुलाए जाते हैं और उसमें सामान्य बजट पर पांच दिन चर्चा होती है सामान्य बजट पर पांच दिन चर्चा के बाद यह 94 अनुदान मांगे रह जाती हैं इनमें कुछ ऐसी मांगे हैं जिन पर विवाद नहीं होता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 1950 में इसके उपवेशन 90 दिन से ज्यादा हुए। 1954 में और हुए। उसके बाद जैसे समय बढ़ता जाता है उपवेशन की संख्या घटती जाती है। आज की परिस्थिति में जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का जम्बोजेट मंत्रिमण्डल है, इसमें 94–95 मंत्री है व अनुदान मांगे 94 हैं मैं आपका ध्यान नियमावली के बारे में दिलाना चाहता हूँ कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है कि आवश्यक रूप से यह 90 दिन के उपवेशन हों। इसकी व्यवस्था की जाए। वैसे भी 24 दिन का प्राविधान है। आज बजट को चारा मशीन की तरह काटा जा रहा है। 14-14 अनुदान माँगों को एक दिन में रखा जा रहा है, जिसके कारण सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के माननीय सदस्यों को आलोचना, समालोचना तथा सुझाव रखने का अवसर नहीं मिलता है और साथ ही क्षेत्र की जनता ने जिस कार्य के लिए चुनकर भेजा है, उन दायित्वों का निर्वहन सही तरह से नहीं हो पाता है। इसलिये मान्यवर, अधिक से अधिक विधायकों के अधिकारों की रक्षा हो सके, इस नियमावली में परिवर्तन किया जाय कि 90 दिन का उपवेशन आवश्यक रूप से रखा जाय और दो से अधिक अनुदान मांगें एक उपवेशन में न रखी जायें।

श्री अधिष्ठाता—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-14 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में विधान सभा के साधारणतया 3 अधिवेशन और 90 दिनों के उपवेशन होने के प्राविधान हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 90 दिन के उपवेशन होने की बाध्यता नहीं है। सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि सदन के 3 अधिवेशन और अधिक से अधिक उपवेशन हों।

दिनांक 16 जुलाई, 1998 को शुन्य काल में श्री ददू प्रसाद की सूचना पर मा० अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था के सम्बंध में औचित्य का प्रश्न

श्री ददू प्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता जी, 16 जुलाई, 1998 को शून्य प्रहर में यह सवाल उठाया था और आपकी पीठ से यह निर्देश दिया गया था कि इस सूचना को दूसरे नियमों में दे दिया जाय। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने स्वीकार भी किया था कि श्री राम किशोर व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है, वह पुलिस का मुखबिर है परन्तु आज तक उसकी जिन्दगी का क्या हुआ और वह कहाँ है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नही किया ।

इसका पता नहीं चल पा रहा है? पुलिस इन्सपेक्टर श्री मदन सिंह, कोतवाली कर्वी उसे घर से पकड़ कर लाये थे, उसे बंद करके कहाँ रखा गया है, इसका पता नहीं है? उसके 30 हजार रुपये भी उठा ले गये इसलिये मान्यवर, आप सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि उस व्यक्ति की जानमाल को खतरा है इसलिये वह जहाँ भी बन्द है, उसे सुरक्षा प्रदान की जाय। क्योंकि कर्वी पुलिस कहती है कि उसे छोड़ दिया गया है जबकि प्रक्रिया है कि जब किसी व्यक्ति को बयान लेने के लिए पकड़ा जाता है तो बिना किसी-साक्षी के उसे नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ पर यह भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति का परिवार जो आज तड़फ रहा है, उसे उसके घर वापस भेजने तथा सुरक्षा प्रदान करने हेतु आप सरकार को निर्देशित करें।

श्री अधिष्ठाता—

16 जुलाई, 1998 के उपवेशन में माननीय अध्यक्ष द्वारा यह व्यवस्था दी गई थी कि किसी दूसरे नियम में इसे दे दिया जाय। इस पर आपकी बात सुन ली गई थी उस दिन और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को भी सुन लिया गया था। इस पर सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य कर दिया गया था। अब प्रश्नगत जो सूचना है, उसे माननीय अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है क्योंकि किसी नियम में तो आपने यह मामला नहीं उठाया है। औचित्य का प्रश्न तो यह कहीं से भी अन्तर्ग्रस्त नहीं है, इसलिये इसे अस्वीकार किया जाता है। शेष तीन सूचनायें जो अस्वीकार की गई हैं वह डा० सरजीत सिंह डंग श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना एवं श्री बाबू लाल, तथा श्री मुन्ना चौहान जी की सूचना है। यं तीन सूचनायें नियम 300 में नहीं आती है।

(श्री मुन्ना चौहान के खड़े होने पर)

औचित्य के प्रश्न को उठाने का प्रयास

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। आपकी सूचना नियम–300 में आती ही नहीं है।

श्री मुन्ना चौहान—

आप कृपया करके सुन लें। आप अग्राह्य कर दें। मैं एक बहुत जरूरी पहलू की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

यह नियम–300 में नहीं आती है इसलिये मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। चौहान जी आप तो इतने विद्वान और श्रेष्ठ व्यक्ति हैं।

श्री मुन्ना चौहान—

मान्यवर, आपकी जो व्यवस्था होगी वह शिरोधार्य है। मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद–309, 310, 311 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय चौहान जी आपकी सूचना नियम–300 में नहीं आती। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है फिर भी आप बोल रहे हैं। मुझे बाध्य होकर कहना पड़ेगा कि अंकित न किया जाय।

श्री मुन्ना चौहान—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। अंकित नहीं किया जायेगा।

श्री मुन्ना चौहान—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने निर्देश दे दिया है कि अंकित नहीं किया जायेगा। अगर आप दुराग्रहपूर्वक बोलना चाहते हैं तो बोलें। अगर यह दुराग्रह चलेगा तो सदन चलाने में कठिनाई होगी।

*युवा कल्याण, राज्य मंत्री (श्री अमर मणि)—

मान्यवर, इधर से कहते हैं कि व्यवस्था रखिये और उधर से यह अव्यवस्था फैला रहे हैं।

श्री मुन्ना चौहान—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

इस प्रश्न के सन्दर्भ में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुनूंगा।

श्री मुन्ना चौहान—

नियम–300 में आप किसको सुनेगें। नियम–300 की ग्राह्यता की क्या शर्तें हैं, कृपया बता दें?

श्री अधिष्ठाता—

जो नियम–300 की परिधि में आयेंगी वह ली जायेंगी। नियमावली आपके पास होगी देख लीजिये। मैं पढ़ देता हूँ। औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय (1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निवर्चन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हों। (2) औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा। इस तरह से अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं।

श्री मुन्ना चौहान—

श्रीमन्, मैं कह रहा हूँ कि यह विषय आपके संज्ञान में है। मैंने संविधान के अनुच्छेद 309, 310, 311 का उल्लेख किया है। मैं यह तो नहीं कह रहा कि इसे स्वीकार कर लें। ग्राह्यता पर तो सुन लें। आप कानून के ज्ञाता हैं। संविधान के अन्दर इस बात का उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति तो राष्ट्रद्रोह का दोषी होगा या काम करेगा राष्ट्रद्रोह का तो वह किसी सरकारी या असरकारी सेवा में नहीं लिया जा सकेगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभियन्ता [×××] तो श्रीमन् मेरा प्रश्न है कि ऐसे विद्युत अभियन्ताओं को सरकारी सेवाओं में या अर्ध सरकारी सेवाओं में रहने का क्या औचित्य है? मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने कहा कि यह [×××] है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह कार्यवाही में अंकित है।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अमरमणि–

इस कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

नियम-300 में यह भी प्राविधान है कि अध्यक्ष जी इस बात का विनिश्चय करेंगे यह औचित्य परिधि में आता है या नहीं? जब मैंने कह दिया नियम–300 में नहीं आता तो क्या आपका विचार प्रकट करना उचित है? आप जैसे विद्वान सदस्य को यह शोभा नहीं देता है। मद संख्या–3 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (1997–98) का प्रथम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन)

*श्री केशव मेहरा—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (1997–98) का प्रथम प्रतिवेदन (कार्यान्वयन), जो बेसिक शिक्षा विभाग एवं राज्य सम्पत्ति विभाग से सम्बन्धित संस्तुतियों के कार्यान्वयन की दिशा में शासन द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में है प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या–5 में कुछ नहीं है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के बारे में संसदीय कार्यमंत्री द्वारा गलत उत्तर दिये जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार द्वारा दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना

* श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मैं लिखित सूचना दे रहा हूँ और मौखिक सूचना भी दे रहा हूँ। मौखिक सूचना देने का अधिकार मुझे नियमों में है मैं लिखित सूचना भी दे रहा हूँ इसको इधर-उधर नहीं किया जा सकेगा।

मान्यवर, कल संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना जबाव देते वक्त गलत तथ्य सदन को बताए, सदन को गुमराह किया, सदन का विशेषाधिकार भंग किया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा कहा गया कि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के बारे में कोई जांच लम्बित नहीं है जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वर्तमान राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, के सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं।

(व्यवधान)

पंजीयन मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, आपने क्या बोलने की अनुमति दी है?

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

श्री अधिष्ठाता—

माननीय प्रमोद कुमार जी आपने लिखित सूचना दे दी है हम इसका परीक्षण करा लेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार—

[× × ×]

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, बगैर आपकी अनुमति के जो बोलेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं बनाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

बगैर मेरी अनुमति के जो भी बोलेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री प्रमोद कुमार—

[× × ×]

डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के 5 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौड़)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 की मद (×v) के अनुसार विधान सभा के 5 सदस्यों का निर्वाचन करें।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग–7 की मद (XV) के अनुसार विधान सभा के 5 सदस्यों का निर्वाचन करें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, मेरा एक सवाल है। आपकी अनुज्ञा से प्रमोद कुमार जी ने सूचना दी।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी अनुमति से नहीं दी है।

* श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, आप तो विद्वान हैं और नियमों के ज्ञाता हैं। इस सदन में एक ही पगड़ी है जो शोभायमान करती है और आजादी के आन्दोलन में सबसे बड़ी भूमिका रही है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ.....

नोट–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय शाक्य जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी दायीं तरफ भी देख लें वहां पर भी एक पगड़ी दिख जायेगी।

श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, आपकी अनुमति से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। प्रमोद कुमार जी जब खड़े हुए तो आपने अनुज्ञा दी।

श्री अधिष्ठाता—

न तो उन्होंने अनुज्ञा ली है और न ही मैंने दी है। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, मैं भी आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। मान्यवर, जो संसदीय कार्य मंत्री जी इस समय हैं जब वह विधायक थे तब उन्होंने [× × ×] के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठ जायें।

(कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं)

आज दिनांक 21–7–98 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्न सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

*श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, आज तो 10 सूचनाओं पर सुनने के लिए कहा गया था।

श्री अधिष्ठाता—

वैसे तो पांच सूचनाओं पर सुना जाता है लेकिन आज 10 सूचनाओं पर हम सुनेंगे और सभी को इसमें अवसर मिलेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की मंशा के अनुरूप छठीं पंचवर्षीय योजना सन् 80 से 85 में स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान के तहत अपने कुल बजट परिव्यय में अनुसूचित जाति, जन-जाति की जनसंख्या के अनुपात में धनराशि के मात्राकरण व्यय सुनिश्चित किया था। उसको जनवरी, 98 में इस सरकार ने बन्द कर दिया। भारत के संविधान की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में यह अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पा रहा था और सन् 80 से लेकर 96 तक मात्र 9 प्रतिशत से लेकर के 14 प्रतिशत के बीच में ही रहा जिसको देखते हुए तत्कालीन राज्यपाल श्री मोतीलाल बोरा जी के कार्यकाल में उसको भारत सरकार की मंशा के अनुरूप जनसंख्या के मुताबिक मात्राकरण सुनिश्चित करने के

नोट–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए इसमें संशोधन किया गया। वह संशोधित प्रारूप भारत सरकार के लिए भेजा गया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि अनुसूचित जाति, जन-जाति की जो जनसंख्या है, उसके मुताबिक इस राज्य में कुल बजट के परिव्यय का 21 प्रतिशत और 0.12 प्रतिशत तय करने का निश्चय किया गया है। भारत सरकार ने प्रारूप को बहुत ही सराहा तत्कालीन प्रधानमंत्री, समाज कल्याण मंत्री ने इसको सराहते हुए यह भी कहा कि भारत के अन्य प्रदेशों में इसको कार्यान्वित कराने का भी काम करेंगे।

मान्यवर, इस परिपेक्ष्य में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ केवल संदर्भ के रूप में आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ जिसमें भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने इसको 29 जनवरी, 1996 को इसकी प्रशंसा में लेटर भेजा था। इसी तरह से 15 नवम्बर, 1995 को तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री श्री सीताराम केशरी ने इस कार्य के लिए बधाई देते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कहा कि इसको हम भारत के अन्य प्रदेशों में लागू करेंगे। यह पत्र भेजा था। इसी क्रम में तत्कालीन कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री श्री बलराम यादव जी थे। उन्होंने पत्र भेजा था। मान्यवर, 1996–97 में पहली बार भारत सरकार के मंशा के अनुरूप इस नियम का कार्यान्वयन किया गया स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या के मुताबित कुल परिव्यय का उनको परिव्यय सुनिश्चित किया गया। मान्यवर, मैं दृष्टान्त के रूप में यह बताना चाहता हूँ कि उस समय यहां उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी थीं। वर्ष 1996 में यहां कुल परिव्यय था 6773.3 करोड़ और कुल व्यय हुआ 5621.00 करोड़ ।

श्री अधिष्ठाता—

आप आसन ग्रहण करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनें।

श्री अधिष्ठाता—

अब कुछ अंकित नहीं किया जायेगा। समय का अनुशासन सबको करना पड़ेगा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री आर० के० चौधरी—

मान्यवर, मेरा समय इन्हें दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय वह ले चुके हैं।

श्री लालजी वर्मा—

मान्यवर, परम्परा रही है कि जब किसी दल का नेता बोलता है, तो उसको विशेष अवसर दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य, मैंने प्रारम्भ में आपसे निवेदन कर दिया कि आज अगर सब माननीय सदस्य दो-दो मिनट बोलेंगे, तो भी ज्यादा समय लगने वाला है अगर सभी माननीय सदस्य अपना समय

देने के लिए तैयार हैं, तो आप 2 मिनट और बोल लें अभी तक आप 10 मिनट बोल चुके हैं और 5 सदस्यों का समय ले चुके हैं।

मैं इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं दूंगा।

*श्री बी० आर० वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता जी, आप जिस विषय पर ग्राह्यता पर सुन रहे थे, वह विषय इस प्रदेश की 25 प्रतिशत जनसंख्या से जुड़ा प्रश्न है, उनके आर्थिक उन्नयन, उनके सामाजिक उन्नयन, उनके शैक्षणिक उन्नयन के लिए भारत सरकार की भी चिन्ता थी कि प्रदेश सरकार ने क्या किया, आज उन लोगों को उससे वंचित किया जा रहा है....

श्री अधिष्ठाता—

आपका भी इस सूचना पर हस्ताक्षर है, जब आपका मौका आयेगा, तब बोलियेगा। मैं इस विषय के महत्व को कम करके नहीं आंक रहा हूँ, मैं तो समय के अनुशासन की बात कर रहा हूँ।

श्री बी० आर० वर्मा—

ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर नेता बहुजन समाज पार्टी बोल रहे हों और आप उन्हें 2 मिनट का समय दें तो कैसे चल पायेगा? आप 5 की जगह 4 को बुलवा दीजिए। जितने घण्टे कार्यवाही चल रही है, उसमें जितना बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बनता है, उससे एक घण्टा कम हमें मौका दें लेकिन यदि हमें मौका नहीं मिलेगा तो हम फिर मजबूर हैं और सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग नहीं कर पायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

अगर सभी माननीय सदस्य अपने-अपने प्रश्नों के लिये इसी तरह करेंगे, सभी के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। आज जो विशेष परिस्थिति है, आज 6–7 विभागों का बजट है, नियम 56 की 13 सूचनायें हैं, हर सूचना पर 7–7, 8–8 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, इस व्यवहारिक कठिनाई को आप समझें और मेरा सहयोग करें। पन्द्रह मिनट बहस में चला गया और 10 मिनट माननीय मौर्य जी बोल चुके हैं, मैं दो मिनट और दे रहा हूँ लेकिन इसके बाद बाकी सदस्यों को समय नहीं दूंगा।

* श्री लालजी वर्मा—

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारे दल के नेता बोल रहे हों और उनको अवसर नहीं मिलेगा, तो हम लोगों की मजबूरी होगी, हमारे नेता को अपनी बात कहने का पूरा अवसर दें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मौर्य जी, अपनी बात दो मिनट में कह दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं इसकी ग्राह्यता के परिपेक्ष्य में निवेदन कर रहा था कि सन् 1996-97 में राज्य का कुल आयोजनागत परिव्यय 6,774.03 करोड़ रुपये था और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यय 5,611.00 करोड़ रुपये था और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मात्राकृत 1,420.00 करोड़ रुपये और व्यय 1,243.00 करोड़ रुपये था और राज्य की कुल आयोजनागत परिव्यय और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मात्राकृत का प्रतिशत 20.96 और राज्य के कुल आयोजनागत व्यय और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान्ट के अन्तर्गत व्यय का प्रतिशत 22.15 है। वर्ष 1997-98 में राज्य का कुल आयोजनागत परिव्यय 7080.00 करोड़ रुपये और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मात्राकृत 1484.00 करोड़ रुपये हैं और इनका प्रतिशत 20.96 है।

मान्यवर, भारत सरकार द्वारा उक्त प्रारूप को एक माडल के रूप में स्वीकार करते हुए अन्य प्रदेशों को भी इसी के अनुरूप योजना तैयार करने के निर्देश दिये गये, लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिनांक 12 जनवरी, 1998 को एक शासनादेश संख्या 17/2एम०(4)/95-65 जो राज्य योजना आयोग से जारी हुआ है, के द्वारा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, इस शासनादेश में उल्लेख है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान के संबंध में सचिव नियोजन के समसंख्यक पत्र दिनांक 16 अक्तूबर, 1995 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को सम्यक विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 16 अक्तूबर, 1995 से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मात्राकरण का कार्य किया जायेगा। नियोजन विभाग द्वारा अनिवार्यतः विभागों से परामर्श करते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या के अनुपात में अपेक्षित मात्राकरण सुनिश्चित करते हुए निर्धारित मात्राकरण के अनुरूप इन उप योजनाओं में व्यय किये जाने की व्यवस्था कराई जायेगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को इस योजना से बहुत सुविधा थी, लेकिन इस गैर संवदेनशील सरकार ने जो गरीबों की रहनुमाई करने का ढोंग करती है उनके कल्याण के लिए बनी योजनाओं को हमेशा-हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक व्यक्ति का मामला नहीं है। यह एक जिले का मामला नहीं है और किसी क्षेत्र विशेष का मामला नहीं है बल्कि 22 प्रतिशत गरीब लोगों का मामला है। इसलिए जो योजना 12 जनवरी, 1998 के पहले थी, उसको फिर से सुनिश्चित किया जाय। जो भी सरकार आती है। वह अनुसूचित जाति और अनु० जनजाति के लोगों को लाभ पहुँचाने का काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढोंग किया है।

मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो दलितों पर ऑसू बहाती है। उस सरकार को इस योजना को पुनः लागू करना चाहिए और यह लोक महत्व का विषय है और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर कम से कम 2 घंटे की चर्चा करा दी जाय जिससे मामला बिल्कुल साफ हो सके और मैं यह भी कहना चाहता हूँ। अभी जो व्यवधान हुआ और मैं बैठ गया। मैं बहुत ही अनुशासित हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को हानि पहुँचाने का काम किया है और शोषण करने का काम किया है। स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान को खत्म कर अनु० जाति और अनु० जनजाति के हितों पर कुठाराघात ही नहीं बल्कि यह उनके गर्दन पर तलवार चलाया है जो बहुत ही निन्दनीय है। इसलिए मान्यवर, इस पर चर्चा कराया जाना अति आवश्यक है।

श्री दद्दू प्रसाद—

मान्यवर, श्री बी० आर० वर्मा को सुन लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं किसी को नहीं सुनूंगा। आपके नेता ने 15 मिनट का समय ले लिया है।

श्री लाल जी वर्मा—

5 में से 3 को तो सुन लें। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया स्थान ग्रहण करें, मैंने कोई अनुमति नहीं दी। (व्यवधान) ''यू कैन नाट कीप दा हाउस एवरेनशम। (व्यवधान)'' इसी लिए मैंने कहा था कि दो-दो मिनट में अपने विचार प्रकट कर लें, इसके बाद मैं अब किसी माननीय सदस्य को अवसर नहीं दूँगा। यह समझ लीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

इसमें मेरा करबद्ध निवेदन है, इस तरह का [×××] न करें, पॉच में से 2-3 माननीय सदस्यों को बोलने दें।

श्री अधिष्ठाता—

इस प्रकार सदन चलना मुश्किल हो जायेगा। अब मैं समय नहीं दूंगा मैंने व्यवस्था दे दी है अगर यही चलता रहा तो आगे भी यही स्थिति बनती रहेगी। अब समाज कल्याण मंत्री जी को सुन लीजिए (व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर सुने जाने के सम्बंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री बी० आर० वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आज जब से यह चल रहा है इतने उपवेशन हुए हैं, जिन मा० सदस्यों के हस्ताक्षर कार्य स्थगन प्रस्ताव पर होते हैं उसमें से अधिकांश को सुना जाता रहा है। ऐसी भी आपकी उदारता रही है और पीठ की उदारता रही है कि जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं भी किए होते हैं, उनको भी ग्राह्यता पर सुना गया है।

आज मान्यवर, समझ में नहीं आता है, आपकों समय की व्यवस्था हो सकती है लेकिन हम लोगों से बार बार आग्रह करने पर भी नहीं सुना जा रहा है। पाँच सदस्यों में से सभी को नहीं तो दो-तीन को सुन लीजिए, उसे भी नहीं माना जा रहा है इसलिए मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाना पड़ा है, या फिर आप नियम बना दीजिए कि चाहे पॉच सदस्यों के हस्ताक्षर हो या पचास के हों, केवल एक सदस्य को सुना जायेगा नहीं तो हमारे साथ इस तरह का भेद-भाव क्यों हो रहा है? मेरे जैसे व्यक्ति को तकलीफ हो रही है और व्यवस्था का प्रश्न उठाना पड़ रहा है। जब यहाँ परम्परा रही है कि जिन सदस्यों के दस्तखत नहीं हैं उनकों भी उदारतापूर्वक सुनने की कृपा की है, तो मेरे जैसे अकिंचन व्यक्ति से कौन सा गुनाह हो गया है कि सुनने के लिए 10 मिनट का समय भी नहीं दे रहे हैं, 10 मिनट नहीं तो पाँच मिनट का और समय दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी व्यवस्था सुन लीजिए। मैंने नियम–56 में ग्राह्यता पर सुनने के लिए प्रारम्भ में ही कहां था, 13 सूचनाएं सुनने के लिए स्वीकार हुई हैं, एक-एक सूचना पर 10-10 और 12-12 मा० सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और आज ही छः, सात विभागों के बजट है इसलिए मैंने निवेदन किया कि दो-दो मिनट में अपनी बात कह लें, तो 10 मिनट का समय मा० मौर्य जी ने पहले ले लिया और पॉच मिनट बाद में ले लिये, तो इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देना चाहता हूँ, मा० वर्मा जी, कोई

नोट–[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भेद भाव का प्रश्न नहीं है इसका विचार भी नहीं है, आज यही परम्परा चलती रही तो आगे फिर सिरदर्द बनने वाला है, आपके नेता ने सारी बातें महत्वपूर्ण बाते कह ली हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

यह महत्वपूर्ण विषय है और आप माननीय सदस्यों को मौका नहीं दे रहे हैं। क्या नाराजगी है, अगर नाराजगी है तो क्षमा मांग लूँगा। 2-2 मिनट हमारे साथियों को मौका दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

मैं गलत परंपरा नहीं डालना चाहता।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

*श्री लालजी वर्मा—

मान्यवर, जो परंपरा रही है उसके अनुसार आप चलेंगे तो हमें एतराज नहीं है लेकिन अगर आप हमारे साथ अन्याय होगा तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। हमारे साथ न्याय हो रहा है ऐसा दिखायी पड़ना चाहिये। आपने हमेशा एक सूचना पर कई कई लोगों को सुना है।

श्री अधिष्ठाता—

आज विशेष परिस्थिति है।

श्री लालजी वर्मा—

5 माननीय सदस्यों में से 3 सदस्य बोलना चाहते हैं आप उदारता का परिचय दे दें ताकि हमारे साथियों को दिखायी पड़े कि न्याय हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

अगर आप यह वचन दें कि 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे तो मैं 2 सदस्यों को बोलने का अवसर दे दूँगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

*श्री श्रीरामपाल—

मान्यवर, नियम 56 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के बारे में जो चर्चा माननीय मौर्या जी ने रखी है मान्यवर, वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और प्रदेश की 25 फीसदी जनता से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार से स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत जो धनराशि आती है, उसके लिये भारत सरकार ने टिप्पणी की है कि बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां स्पेशल कम्पोनेंट की धनराशि पूरी की पूरी नहीं खर्च हो रही है। मान्यवर, 16-10-95 को एक शासनादेश जारी हुआ कि कुल बजट में 21 फीसदी मात्राकृत किया जायगा और समाज कल्याण/नियोजन प्रकोष्ठ पृथक से बनाकर इस धनराशि का आबंटन समाज कल्याण प्रकोष्ठ को दिया जायगा कि कौन-कौन से कार्यों में यह खर्च की जायगी। इससे नियोजन विभाग का सम्बन्ध नहीं रहेगा और इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये चाहे वह दूकानें बनाने की योजना हो चाहे स्वच्छकार विमुक्ति योजना हो और तमाम जो योजनायें चल रही हैं, उसमें यह धन खर्च किया जायेगा, जो योजनायें मान्यवर, चल रही हैं उसमें अधिकतम धनराशि केवल 14 फीसदी से ज्यादा नहीं खर्च हुई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जबकि 21 फीसदी होता है । 12-1-98 को वर्तमान सरकार ने एक लाइन के आर्डर से समाप्त कर दिया है, तो यह सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितों की पूर्णतया विरोधी है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप स्थान ग्रहण करें । माननीय मौर्य जी, क्या इस प्रकार से सदन चलाने में सहयोग देंगे। दूसरे माननीय सदस्य आपके दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दें ।

*श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरा आपसे पहले ही नम्र निवेदन है कि उदारतापूर्वक मेरी बात को सुनने की कृपा करियेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आप दो मिनट में ही अपनी बात कह दीजिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात नहीं कह पाऊँगा । बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप कृपा कर सुन लें । आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की हालत पूरे देश में क्या है, इस बात की गम्भीरता को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद-46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुर्वल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि के लिए नीति निर्देशक सिद्धान्त बनाया है, उसी के तहत भारत सरकार लगातार प्रयास करती रही कि इस तरह के जो वजट और संसाधन उपलब्ध हैं, उससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के आर्थिक रूप में अभिवृद्धि की जाये, उन्नयन की जाये ताकि वह समाज में अन्य उन्नत वर्गों के बराबर आ सकें ।

एक समुन्नत प्रदेश तभी बनेगा जब हर वर्ग बराबरी के आधार पर आगे बढ़ेगा । जो ज्यादा पिछड़े और सताये हुए लोग हैं । यह व्यवस्था रहते हुए कि लिंग और जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा, अनुच्छेद 15 (4) और 16(4) जोड़ने पड़े थे और विशेष प्राविधान इन सताये हुये लोगों के लिए किया गया था । उसी के तहत अभी तक जो योजनायें हुई उन योजनाओं में जो भारत सरकार ने वर्ष 1980 में निर्णय लिया । इस तरह से उनका जो योजनागत परिव्यय है । उसकी मात्रागत कर दिया जाए । जितनी जनसंख्या अनुसूचित जाति/ जनजाति की बनती है । मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ । उत्तर प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना में (1980-88) उसमें योजनागत परिव्यय था उसका मात्र 7.96 प्रतिशत खर्च हो पाया । सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए 10.38 प्रतिशत खर्च हो पाया और वार्षिक योजना 1990-91 में मात्र 11.29 प्रतिशत खर्च हो पाया । वार्षिक योजना 1991-92 में 9.12 प्रतिशत खर्च हो पाया ।

इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को योजना बनाने का मौका मिला । इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 14.4 प्रतिशत खर्च हो पाया । अभी तक जो भी सरकारें आती रही हैं, वह सरकारें अनुसूचित जाति/जनजाति के उन्नयन के लिए काम करती रही । कृषि योग्य भूमि जो उत्तर प्रदेश में है, उसकी मात्रा अनुसूचित जाति/जनजाति के पास मात्र 9 प्रतिशत जमीन है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और साक्षरता दर जो उत्तर प्रदेश की है। उसमें महिला का प्रतिशत 10.69 है और पुरुष का प्रतिशत 26.89 है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री वी० आर० वर्मा–

इनका नौकरियों में ए-क्लास की नौकरियां 7.64 प्रतिशत है । बी-क्लास की नौकरियों में 9.71 प्रतिशत है । सी-क्लास में 15.35 प्रतिशत है । डी-क्लास में 20.56 प्रतिशत है । जबकि आरक्षण लागू है उसके वावजूद इनके स्थानों को नहीं भरा जा सका । इन चीजों पर सम्यक् विचार करने के उपरान्त भारत सरकार ने एक गाइडलाइन वर्ष 1980 में दी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप मुझे बाध्य कर रहे हैं कि मैं कहूँ कि इसके आगे अंकित न किया जाए ।

श्री बी० आर० वर्मा–

अभी तक जितनी सरकारें आई हैं सभी ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण का ढिंढोरा पीटा है । उनके लिए घड़ियाली आंसू बहाती रही । वर्ष 1995 में पहली सरकार बनी जिसने निर्णय लिया, 16 अक्टूबर, 1995 को कि जितनी अनुसूचित जातियों/जनजातियों की जनसंख्या है जो भारत सरकार की मंशा थी। उसके अनुसार प्लान बनाया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

इसके आगे अंकित नहीं किया जाएगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

[× × ×]

*समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्री हरीश चन्द्र "हरीश जी")––

मान्यवर, मैं सुन रहा था और मुझे अपनी बात कहने का अवसर भी मिला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विषय में जो भ्रम है। उसके निवारण के लिये सूचना देने की आवश्यकता है। माननीय विधायक जी ने जो सूचना दी है, मैं कृपा पूर्वक कहना चाहता हूं कि उनके मन में जानकारी की कमी थी या उनको भ्रम था, तो उसका निवारण मैं करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 21.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोग हैं। वर्तमान सरकार उनके हितों की रक्षा करने के लिये प्रतिबद्ध है। उनकी सुविधाओं और अन्य लाभों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है अपितु बढ़ोत्तरी ही की गई है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। 16 अक्टूबर, 1995 के शासनादेश के द्वारा सरकार ने इन गरीबों के लिये एक प्लान बनाया था। क्या 12 जनवरी, 1998

नोट-[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस शासनादेश को निरस्त कर दिया है कि नहीं किया है?

श्री हरीशचन्द्र "हरीश जी"

कटौती न कभी की थी और न कभी की जायेगी।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर व्यवधान)

मान्यवर, मैं सारी बातों को स्पष्ट कर दूंगा। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि

(श्री लाल जी वर्मा के खड़े होने पर व्यवधान)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो जनसंख्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की है उसके विकास कार्यों में जो परिव्यय है उसके अनुसार उसका मात्राकरण होना चाहिए। यह सरकार प्रतिबद्ध है। मैं इस बात को मानता हूं कि कौन जिम्मेदार है, इसको स्पष्ट होने दिया जाय। मेरे पास वह कागज है जो मौर्या जी के पास था। यह सत्य है कि 80-85 और 92-97 तक की जो भी योजनाएं बनी उसमें मात्राकरण का ध्यान नहीं रखा गया। 9 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक हुआ जबकि 21.5 प्रतिशत होना चाहिए था। यह चार्ट मान्यवर, मैं आपको दे दूंगा। जो प्रमाणित 97-98 का 21.41 प्रतिशत है और उसी तरह से जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है उसमें 21.41 का मात्राकरण निर्धारित है। इसलिये जो उनकी जनसंख्या है उसके अनुसार मात्राकरण का काम 97 से पहले सही नहीं था। वर्ष 1997-98, 98-99 में 21.41 प्रतिशत की मात्राकरण लागू कर दिया गया है।

यह भ्रम पैदा किया जा रहा है कि यह कार्य नियोजन विभाग के द्वारा होता था। आज भी नियोजन विभाग के द्वारा ही मात्राकरण का काम हो रहा है। इसमें जो भ्रम पैदा है। उसको निवारण करने के लिये एक शासनादेश का उल्लेख करना चाहूंगा जो 12 जनवरी, 1998 का है। बीच में एक व्यवस्था बनाने का प्रयत्न हुआ था 21.5 प्रतिशत का मात्राकरण का काम समाज कल्याण विभाग के एक प्रकोष्ठ के द्वारा कराया जायेगा। इस पर विचार होने के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बारे में विचार किया गया और 12 जनवरी, 1998 को यह स्पष्ट किया गया वह इस रूप में है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मात्राकरण का काम करने के लिये 1995 में यह मात्राकरण का काम समाज कल्याण विभाग का एक प्रकोष्ठ है, वह करेगा। इस पर शासन में चर्चा हुई उससे यह हल निकला कि पहले मात्राकरण का काम नियोजन विभाग करता था इसलिये समाज कल्याण विभाग का कोई प्रकोष्ठ न करे, यह कार्य नियोजन विभाग के द्वारा ही होना चाहिए। उसके अनुसार 12 जनवरी, 1998 को ।

मान्यवर, मैं यह पूरा पढ़ देता हूँ ।

रवि शंकर माथुर, मुख्य सचिव ने सबको भेजा है । प्रिय महोदय, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान और ट्रायबल प्लान के सम्बन्ध में सचिव नियोजन के पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 1995 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को सम्यक् विचारोपरान्त तत्काल समाप्त किया जायेगा । इस सम्बन्ध में कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मात्राकरण का काम किया जायेगा । नियोजन विभाग द्वारा परामर्श करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अनुपात में अपेक्षित मात्राकरण सुनिश्चित करते हुए निर्धारित मात्राकरण के अनुरूप इन योजनाओं में व्यय किये जाने की व्यवस्था कराई जायेगी । इस समय नियोजन विभाग द्वारा यह मात्राकरण का काम हो रहा है जैसा कि पहले होता था । मैने सूचना इस बात की दे दी कि 21.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या के अनुसार नियोजन विभाग में मात्राकरण का

काम किया जा रहा है । इसमें किसी प्रकार की कटौती होगी, कोई कमी होगी । इसमें किसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता नहीं है । शंका का निवारण हुआ और भ्रम को दूर कर दिया। सही तथ्य मैने प्रस्तुत कर दिये हैं चर्चा के लिए यह ग्राह्य नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

एक शंका और है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ .....

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा नहीं हो रही है ग्राह्यता पर बात आ चुकी है ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री श्रीराम पाल, श्री आर० के० चौधरी, श्री बी० आर० वर्मा एवं श्री ददूद प्रसाद तथा समाज कल्याण मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि इस सूचना को अग्राह्य करते हुए निरस्त किया जाता है ।

(घोर व्यवधान)

बहुजन समाजवादी पार्टी के कई माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए और रिपोर्ट्स टेबिल पर चढ़ गए और नारे लगाने लगे ।

"कमजोर विरोधी यह सरकार 'नहीं चलेगी', नहीं चलेगी ।"

(समय–4 बजकर, 20 मिनट)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(बहुजन वादी पार्टी के कई सदस्य नारे लगी रहे थे "गुण्डा गर्दी की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ।")

समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा सारी बात आ गई है । कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें । यह उचित नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

मैं सदन को 4.30 तक स्थगित करता हूँ ।

घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 4 बजकर 18 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 4 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया है । 5 बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजकर 15 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 5 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सदन को सूचित किया कि मा० अध्यक्ष के सदन का स्थगन 5 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 5 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारेबाजी करने लगे)

आप लोग कृपया अपने स्थान पर वापस जायें ।

(बहुजन समाज पार्टी के वेल में आये हुये सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, प्रदेश की अनुसूचित जाति, जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उन्नयन के लिए 16 अक्टूबर, 1995 को एक शासनादेश हुआ था, उसमें 21 प्रतिशत धन, उनकी जनसंख्या के अनुपात में रखा गया था। वर्ष 1996-97 तथा 1997-98, इन दोनों वर्षों में इसका अक्षरशः पालन हुआ, इसी विषय पर माननीय सदस्य कार्यस्थगन के माध्यम से यह चाहते हैं कि चर्चा करवा ली जाय, इस पर सदन अव्यवस्थित हुआ, आपकी पीठ से व्यवस्था भी आ गयी।

मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप पुर्नविचार कर लें और चर्चा के लिये स्वीकार कर लें ताकि जो सरकार की नीयत् है वह भी स्पष्ट हो जाय। हम लोग चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सबसे दबे कुचले लोग हैं, जिनको सदियों से सताया गया है, अधिकारों से वंचित रखा गया है, ऐसे लोगों को इस प्रदेश को समुन्नत बनाने के लिये अगली पंक्ति में लाया जाय। जैसे एक खूबसूरत उपवन बनाना है, तो जो फूल उसमें खिलने से रह जाते हैं, उनको भी ऊपर लाकर खिलने का मौका दिया जाता है, तभी वह उपवन अच्छा बनता है। इसलिये इसी प्रकार ऐसे लोगों को विशेष सुविधा देकर आगे बढ़ाया जाय, इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप पुनर्विचार कर लें और चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री हरीश चन्द्र "हरीश जी"–

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में पहले ही कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति की 11.5 प्रतिशत जनसंख्या है, उसकी मात्राकरण में कमी की गई है और न कटौती की गई है, बल्कि सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है, उनके हितों की रक्षा के लिए। प्रश्न यह उठा कि नियोजन विभाग नोडल विभाग बना है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वर्ष 1995 के पहले भी नियोजन नोडल विभाग था और वर्ष 1995-96 के पहले वर्षों में मात्राकरण करने में कुछ कमी रही है, इस बात को माननीय सदस्य ने भी कहा है, यह उस समय की सरकार की कमी थी, इसमें न तो विभाग की कमी थी न प्रक्रिया की कमी थी। आज यह नियोजन विभाग को दिया गया और 21.4 प्रतिशत मात्रा का निर्धारण है, इसको सुनिश्चित किया जाय, यह सूचना देने वाले माननीय विधायकों ने भी उल्लेख किया। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1998-99 में 21.4 प्रतिशत मात्राकरण सुनिश्चित किया गया। मान्यवर, शासनादेश निर्गत है। उसके बारे में कुछ जरूरी बात कही गयी, सभी विभाग 21.5% खर्च सुनिश्चित करें, प्राविधानित करें, इतना स्पष्ट होने के बाद भी मा० विधायक जी ने जो बात रखी है, अब वह लोग इस बात को लेकर जिस तरह की स्थिति पैदा किया है, मैं नहीं समझता हूँ कि कौन सी उनकी शंका है, नियोजन विभाग था, सरकार की गलती थी, जो कहते हैं कि मात्राकरण निर्धारित किया गया है, उसका पालन किया जायगा। अगर परिपालन में गलती है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो बजट बना है 21.5 परसेंट का मात्राकरण सभी विभागों में निर्धारित करके लागू किया जायेगा। अगर सन्देह है, तो मैं कहता हूँ कि यह जो परेशानी उत्पन्न हुई है, वह अकारण उत्पन्न हुई है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह परेशानी अकारण नहीं है । 16 अक्टूबर, 1995 को एक व्यवस्था बनाई गई और श्री हरीश जी ने उसको स्वीकार किया है । अभी भी 21 प्रतिशत खर्च नहीं हुआ । वर्ष 1996-97 और 97-98 में खर्च हो पाया । इसके पहले खर्च नहीं हुआ ।

श्री अधिष्ठाता–

मेरी बात सुन लें, यह आपकी ओर से स्पष्ट हो चुका है और माननीय मंत्री जी की ओर से भी स्पष्ट हो चुका है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

शंका इसलिए है कि उस व्यवस्था के बाद 21 परसेंट खर्च होना शुरू हुआ । 16 अक्टूबर, 1995 के शासनादेश को 12 जनवरी, 1998 से शासनादेश द्वारा समाप्त कर दिया गया । इस शासनादेश में उल्लेख है कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एवं ट्राइबल सब-प्लान के सम्बन्ध में सचिव नियोजन के समसंख्यक पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 1995 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दि० 16 अक्टूबर, 1995 से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मात्राकरण का कार्य किया जायेगा । नियोजन विभाग द्वारा अनिवार्यतः विभागों के परामर्श करते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या के अनुपात में अपेक्षित मात्राकरण सुनिश्चित करते हुए निर्धारित मात्राकरण के अनुरूप इन उप-योजनाओं में व्यय किये जाने की व्यवस्था कराई जायेगी । जो शंका हुई है और उसकी पुष्टि हुई है क्योंकि वर्ष 1998-99 का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, जो जिला प्लान बना है, उसमें 21 प्रतिशत मात्राकृत नहीं किया गया है, उससे हमारी शंका की पुष्टि हुई है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों को सुनने के बाद और माननीय समाज कल्याण मंत्री के सुनने के बाद मैं निर्णय देता हूँ कि इस पर जो भी भ्रान्ति है, उसको देखते हुए चर्चा स्वीकार करता हूँ, आधे घन्टे की चर्चा स्वीकार कर ली है। अब आगे की कार्यवाही बढ़ाता हूँ, और आप सभी से अनुरोध है कि सारी कार्यवाही समय से पूरी हो, बजट की मदें हैं, लम्बा विषय है इसलिए सभी माननीय सदस्यों के विचार आ जायें, आप से अपेक्षा है कि स्वयं अपने को पीठ की भावना के साथ सहयोग करें और दो-दो मिनट में अपनी बात को रखें । ऐसा न हो कि पीठ से बार-बार कहने के बाद भी अपना समय बढ़ाते जायें । आप जानते हैं कि सदन एक-दो दिन का है ।

दूसरी सूचना जो चयनित की गयीं है। उस पर माननीय अफजाल अंसारी के हस्ताक्षर है उनकों पहले सुन लेते है ।

श्री अफजाल अंसारी–

मान्यवर, यह जो सूचना दी गयीं है यह प्रदेश के गाजीपुर के मुहम्मदाबाद तहसील के अन्तर्गत जो भयानक स्थिति उत्पन्न हो गयी है, उसी के सम्बन्ध में है। मान्यवर यह बड़ा गम्भीर मामला है, पिछले कुछ दिनों से लगातार इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति गरीबों में दहशत फैली है. वहाँ लोग डरे हुए है, न जाने किस समय उनको उजाड़ दिया जाएगा और उनको खेतों से बेदखल कर दिया जाएगा ।

कुछ दिन पूर्व से इस प्रकार की घटनाएं हो रहीं है, इस क्षेत्र में मुबारकपुर, सिकन्दरपुर और कल्याणीपुर ऐसे गाँव हैं, जहाँ पर वर्ष 1975 में अनुसूचित जाति के लोगों को कृषि योग्य भूमि का पट्टा दिया गया था और उनकी भूमि धरी भी दर्ज हो गयीं थी । तहसील के तमाम अभिलेखों में उनके नाम दर्ज है, समय-समय पर लेखपाल ने इस बात का इन्द्राज भी किया है और जो पर्चे दिए है उसमें लिखा है कि इसमें धान की फसल बोई गई और इस खेत में ज्वार की फसल बोई गई और इस खेत में गन्ना और मसूर की फसल बोई गई, इसी गांव के बगल में परसा गाँव है, जिसमें उन गरीबों का कब्जा है, जो अनुसूचित जाति के है और परसा के कुछ बलवान कास्तकार उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और अपनी नियत उस जमीन पर रखें हुए है, पहले उन्होंने प्रयास किया कि किसी प्रकार न्यायालय के माध्यम से इसमें उल्झाव पैदा किया जाएं और विवाद पैदा कर कब्जा कर लिया जाए, तो वर्ष 1997 में सिविल जज के कोर्ट में बाद दायर कर दिया कि उन जमीनों पर उन्हें खलिहान करने दिया जाए और उन्होंने न्यायालय में लिखकर दिया कि हम लोग इस जमीन पर खलिहान बनाना चाहते हैं और वहाँ के कुछ अनुसूचित जाति के दबंग लोग हमें रोक रहे हैं ।

अतः वहां के थाने की पुलिस को निर्देशित किया जाय कि उनको वहां से हटाया जाए और खलिहान बनाने में वह सहयोग करें । न्यायालय ने गंभीरता से सुना और निर्णय दिया ।

श्री अधिष्ठाता–

मा० अफजाल साहब समय का भी ध्यान रखें ।

श्री अफजाल अन्सारी–

मान्यवर, इस पर मैं अकेले ही अपनी बात रखूँगा बाकी नहीं बोलेगें ।

श्री अधिष्ठाता–

तब ठीक है ।

श्री अफजाल अंसारी–

न्यायालय ने उनकी प्रार्थना को खारिज कर दिया और कहा कि कोई औचित्य नहीं बनता है । इस पर उन लोगों ने फिर गाँव की पंचायत बुलाई और उसके माध्यम से दबाव डाला कि तुम किधर से निकलोगे, तुम्हारा रास्ता किधर से जाएगा ? हम अपनी मेड़ों से चलने नहीं देगें । इसलिए तुम लिखकर दे दो । जब मान्यवर, यह अनुसूचित जाति के नाम दर्ज है जिस जमीन पर अनुसूचित जाति के लोगों का नाम हो उसको वह बेंच नहीं सकते हैं । उसके लिए जिलाधिकारी से परमीशन लेनी पड़ेगी । जब वह गरीब लोग नहीं माने और उन्होंने इन्कार कर दिया तो, उसका नतीजा यह हुआ कि थाने के लोगों से मिलकर उस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया और गरीब वर्ग के लोग धान की रोपाई कर रहे थे । महिलाएं खेतों पर काम कर रहीं थी, तो एक बड़ी संख्या में लाठी-डन्डा लेकर इन लोगों ने हमला कर दिया । बुरी तरह मारकर कई लोगों को गिरा दिया यहां तक जो महिलायें खेतों में थीं, उनको दौड़ा-दौड़ा कर मारा गया और उनको निर्वस्त्र किया गया लेकिन इस घटना की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी पीड़ित लोग क्षेत्राधिकारी के पास प्रार्थना-पत्र के साथ गये, उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये लेकिन आज तक मुकदमा कायम नहीं हो सका । वहां पर पी० ए० सी० लगा दी गई । पुलिस के लोग कह रहे हैं । खेत में खाट नहीं डालने देंगे, बीज नहीं डालने देंगे, पानी नहीं डालने देंगे । खेत के करीब मत जाओ इस प्रकार से गरीब लोगों को बेदखल करने की कार्यवाही सामंतवादियों और पुलिस की मदद से की जा रही है ।

मान्यवर, सिकन्दरपुर, मुबारकपुर में इस प्रकार की कार्यवाहियां चल रही हैं । मान्यवर, परसा गाँव में दिनांक 12-7-98 को दो व्यक्तियों की जमीन, जिस पर उनका 15 साल से पट्टा था और कब्जा था और वह भूमिधर थे उनको मारपीट कर बेदखल कर दिया गया और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। मान्यवर, भुलई पुत्र जद्दू पासी तथा औतार पुत्र सुख्खन की जमीन पर कब्जा कर लिया गया और उनको बेदखल कर दिया गया । इस मामले की एफ०आई०आर० नहीं लिखी गई ।

मान्यवर, इसी तरह से ग्राम कनुवान, थाना भावंरकोल में सिद्धनाथ की जमीन का आवंटन किया गया था। उसकी जमीन पर भी सामंतवादियों ने उसको मारपीटकर भगा दिया और कब्जा कर लिया । इस मामले की एफ०आई०आर० नहीं लिखी गई । इस खेत में गड़रिया जाति के लोग आबाद थे और भेड़ी पालने के लिए ग्राम समाज की जमीन सुरक्षित की गयी थी । इस पर वह लोग अपनी भेंड़ी रखते थे लेकिन एक व्यक्ति द्वारा एक हफ्ते पहले भेंड़िहारों को मार पीटकर भगा दिया गया और इस जमीन को ईंट बास से घेर कर कब्जाकर लिया गया । इस घटना की सूचना थाना और तहसील को दी गई लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई है। इसी तरह से रेड़मार गांवों में धीरज मल्लाह की जमीन जिस पर वह छप्पर डालकर मवेशी रखता था 12 तारीख को जोगा गाँव के लोगों ने उसको जाकर धमकाया कि तुम्हारे खेत के पास हमारा खेत है। अपने खेत को तुम खाली कर दो। जब वह व्यक्ति इन लोगों के नाजायज प्रस्ताव को नहीं माना तो उसके घर काफी लोग इकठ्ठा होकर गये और मारपीट कर भगा दिया और घर को आग लगा दिया । दिन दहाड़े की घटना है लेकिन एफ०आई०आर० नहीं लिखी गई । इसी तरह से फिरोजपुर गांव में जवाहर राम नाम का व्यक्ति आबाद था। उसकी खसरा-खतौनी की नकल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा, उसमें आबादी दर्ज है, उस आबादी पर से बेदखल करने के लिए दबंग लोगों के द्वारा दवाव बढ़ाया गया, नहीं हटे तो पुलिस ले जाकर झोपड़ियों को फूंकने का प्रयास किया गया।

मान्यवर, यह एक-दो में नहीं कई गांवों में उत्पीड़न जारी है और पूरे क्षेत्र में तनाव फैला हुआ है। सबसे गम्भीर घटना नसीरपुर में हुई है। वर्ष 1994 में दुषाध जाति के 18 परिवारों के नाम आबादी का पट्टा था। वह उस पर आबाद थे, अभी 10-7-98 को 25-30 लोग गये और उसमें से शिववचन पुत्र यमुना राज नारायन, रविशंकर, ओम प्रकाश, हरिशंकर इत्यादि 8 लोगों के घर को पूरी तरह से गिराकर ध्वस्त कर दिया, ट्रैक्कर चलाकर उसे फेंकवा दिया और उसे जोतकर खेत बना दिया गया। मान्यवर, डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर थाना स्थित है, सूचना दी गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, एफ०आई० आर० नहीं लिखी गयी। आज उस क्षेत्र की स्थिति अत्यन्त भयावह है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय अफजाल जी संक्षेप कीजिए।

श्री अफ़जाल अंसारी—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि गाजीपुर के पिछले दिनों के इतिहास से आप परिचित होंगे, इसी तरह की घटनायें उस समय भी हो रही थी जब गाजीपुर में शेरपुर का काण्ड हुआ था, कितनी खतरनाक स्थिति है, किसी भी समय वर्ग संघर्ष हो सकता है। योजनाबद्ध तरीके से अधिकारियों द्वारा जो समर्थन किया गया है। उससे स्थिति खराब हो गयी है, अधिकारियों द्वारा इस प्रकार से सहयोग किया जा रहा है । जैसे सरकार को कोई मिशन हो और उसे अन्जाम देने के लिए जैसे लखनऊ की सड़कों पर बुल्डोजर चल रहा है। उसी प्रकार से गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

क्या लखनऊ की तरह वहां भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है?

श्री अफ़जाल अंसारी —

मान्यवर, अतिक्रमण नहीं लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। मान्यवर, इस विषय को मैं आपके संज्ञान में लाकर निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, रोज जारी है। शेरपुर गांव में रास्ता बन्द कर दिया गया है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, आपके पास इसके सुनने के लिए समय नहीं है। पांच माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है। इस पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लें या सदन की एक कमेटी बना दें, वह जाकर जो घटनायें हुई हैं, उनकी जांच करा ले और जो दोषी अधिकारी हैं, जो कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, उनको दण्डित किया जाये।

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह) —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो सूचना दी गयी है, घटना कब की है, कौन से महीने व तारीख की है तथा किस वर्ष की है, अगर इसका उल्लेख होता तो, सहायता मिल जाती, फिर भी जानकारी करने का प्रयास किया गया है, इसमें एक पक्ष का कहना है कि जमीन उसकी पट्टे की है, दूसरे पक्ष का कहना है कि यह जमीन खलिहान की है। यह बात सही है कि विवाद होने से तनाव है। शांति भंग की आशंका थी और जो अचल सम्पत्ति भी है। उसे धारा 145 में कुर्क कर दिया गया है क्योंकि ऐसी स्थिति में शासन के पास यही एक उपाय था।

दोनो के विरुद्ध 107/16 के तहत कार्यवाही की गई। पुलिस बल वहां तैनात किया। जमीन के बारे में न्यायालय में और जिलाधिकारी की अदालत में वाद चल रहा है।

श्री अफजाल अंसारी —

145 के तहत आज कार्यवाही की गई है।

श्री अधिष्ठाता —

पहले संसदीय कार्यमंत्री जी को सुन तो लें। उन्होंने कहा है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन है। अगर हर वाक्य में आप बोलेंगे तो सदन की कार्यवाही पूरी रात चलती रहेगी।

श्री अफजाल अंसारी —

इस जमीन पर सिविल जज के यहां मुकदमा चल रहा है। इस पर 145 की कार्यवाही हो ही नहीं सकती है।

श्री हुकुम सिंह —

मैं कुछ कहने के लिए खड़ा होता हूँ, तो यह हमें अपनी बात ही नही कहने देते हैं। मैं वकील नहीं हूं कि कानून और संविधान को परिभाषित कर सकूं। जो तथ्यात्मक है उसका उल्लेख किया है। 13-7-98 में इस जमीन के सम्बन्ध में 145 में न्यायालय में कार्यवाही के लिए दोनों के विरुद्ध 107/16 की कार्यवाही हो गई। न्यायालय में है इसलिए 145 नहीं हो सकता है। यह तो कोई वकील ही बता सकता है। जहां-जहां विवाद की बात है वहां-वहां पुलिस सतर्क है। अभी तक किसी प्रकार की क्रोई घटना नहीं हुई है। आगे भी इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा।

श्री अधिष्ठाता —

मैंने इस विषय में श्री अफजाल अंसारी को सुना व संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना। नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुनने के बाद मैं निर्णय दे रहा हूं कि यह ग्राह्यता की परिधि में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अफजाल अंसारी —

आज इस तरह से अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को नंगा करके मारा पीटा गया। इसके बदले 107 की कार्यवाही करा दी गई।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के अनेक माननीय सदस्य मा० अधिष्ठाता के निर्णय के विरुद्ध सदन के वेल में आ गए।)

श्री अधिष्ठाता —

आप लोग अपने-अपने आसन पर जाएं।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए समाजवादी पार्टी के विधायक जोर-जोर से नारे लगा रहे थे–पुलिस के बल पर गुण्डागर्दी नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, यह सरकार निकम्मी है आदि। घोर व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद —

मान्यवर, एक बात आप सुन लीजिये।

श्री अधिष्ठाता —

आप लोग अपने-अपने स्थान पर वापस् जायें।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य वापस अपने-अपने स्थान पर चले गये)

* श्री अवधेश प्रसाद —

मान्यवर, एक बात आप सुन लीजिये

(श्री अमर मणि के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता

माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी आप अलग से कोई बात न जोड़ें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद —

इसलिये आपसे निवेदन है कि इस मामले की गम्भीरता को सुन करके एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर लें। महिलाओं का सवाल है। हम महिलाओं का आदर करते रहे हैं। ''यत्रर्नास्तु पुजयन्ते रमन्ते तत्र देवतः'' महिलाओं का हमेशा आदर हुआ है। मान्यवर, हमे आपकी पीठ से संरक्षण नहीं मिलेगा, तो वह स्थान कौन सा है, जहां हम अपनी व्यथा कहें?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

इस सूचना में अगर किसी महिला के साथ इस तरह के प्रकरण का सन्दर्भ आया हो, तब तो वह सुना जा सकता था। श्री अफजाल जी की सूचना थी उसको मैंने सुना। उसमें उन्होंने कोई इस तरह का उल्लेख नहीं किया है।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

आप लोग खड़े न हों।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

मान्यवर, जब सदस्यों ने सूचना दी है, तो उनको सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने अफजाल जी को पूरा समय दिया और उनको सुना। एक-एक सदस्य बात प्रस्तुत करेंगे तो इसमें घंटों लग जायेंगे।

(कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे)

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर प्रतिवेदक की मेज पर चढ़कर नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। मान्यवर, आपने सूचना को सुना और सुनने के बाद एक व्यवस्था यह दे दी है कि इसको हम अग्राह्य करते हैं इसके बावजूद मान्यवर माननीय विपक्ष के सदस्यगण एक नहीं अनेक खड़े होकर अपनी बात कहते चले जा रहे हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार यह लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मान्यवर, माननीय सदन में दो महिला राइटर लिख रही हैं; यह उनके सिर पर चढ़े जा रहे हैं, उनकी सीट पर चढ़े जा रहे हैं, यह महिलाओं की बेइज्जती नहीं है क्या?

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं।)

(श्री बाबू राम यादव के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

अब इस प्रकरण को आगे न बढ़ायें, यह मेरा आपसे आग्रह है। इस पर निर्णय दिया जा चुका है। अगली सूचना के लिये श्री राम विशुन जी को बुला लिया है। कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री अफजाल जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद इस पर मैंने व्यवस्था दे दी है।

आप लोग बैठें अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अफजाल अंसारी—

मेडिकल रिपोर्ट आप तक पहुंचा दी है।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, आपने दिया है। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

मैंने सूचना को अग्राह्य कर दिया है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए। और नारे लगाने लगे– ''दलित विरोधी यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी,'' ''महिला विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी'')

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपया अपने स्थान पर चले जाएं।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य रिपोर्ट्स टेबिल पर खड़े हो गए)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय रामविशुन आजाद जी आप बोल रहे हैं?

(माननीय रामविशुन आजाद के न बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैं श्री रामविशुन आजाद जी की सूचना अग्राह्य करता हूँ। श्री भोला शंकर मौर्य की सूचना अग्राह्य की जाती है। श्री अम्बरीष कुमार, श्री मुन्ना चौहान तथा कुंवर रेवती रमण सिंह जी की सूचना को अग्राह्य किया जाता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दीपक कुमार, श्री उदय राज यादव की सूचना को अग्राह्य किया जाता है। श्री शिवपाल सिंह यादव, डा० अशोक वाजपेयी, श्री मुश्ताक सोलंकी श्री बाबूराम यादव की सूचना को अग्राह्य किया जाता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजपाल त्यागी, श्री जगदीश सिंह राणा, श्री संजय सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी की सूचना को अग्राह्य किया जाता है। श्री समरपाल सिंह, श्री कौकव हमीद, श्री राजपाल सिंह, श्री विरेन्द्र सिंह की सूचना को अग्राह्य किया जाता है। श्री परवेज हलीम, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री विजेन्द्र आर्य श्री बनारसी दास चांदना की सूचना को अग्राह्य किया जाता है। श्री लालजी वर्मा, श्री अवधेश प्रसाद, श्री ओंकार सिंह यादव, श्री जगदम्बिका पाल की सूचना को अग्राह्य किया जाता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री विजयपाल सिंह यादव की सूचना को अग्राह्य किया जाता है। श्री राम नरेश यादव, श्री फरीद महफूज किदवई, डा० मो० मुस्लिम श्री कैलाश यादव, श्री प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री राजेन्द्र यादव, श्री श्रीराम यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री भोनू, श्री भगवती प्रसाद सागर, श्री राजाराम पाल, श्री सरवर अली खां, श्री कमला प्रसाद रावत, श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री हरदेव सिंह, श्री जगदम्बिका पाल, श्री दद्दू प्रसाद, श्री श्याम किशोर यादव, श्री मुरलीधर, श्री श्रीराम पाल, श्री मूलचन्द्र, श्री राम अचल राजभर, श्री बाबू खाँ, मो०- मुकीम, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री राम सिंह सैनी, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री रामजग, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की सूचनायें अस्वीकार की गई।

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रदेश में अतिवृष्टि के फलस्वरूप आयी बाढ़ सम्बन्धी दिनांक 14 एवं 15 जुलाई, 1998 को दी गयी सूचनाओं पर एक घण्टे की चर्चा, जनपद सिद्धार्थनगर के सिकटा ग्राम में दलित वर्ग के घरों को जलाये तथा लूटे जाने सम्बन्धी दिनांक 30 जून, 1998 को दी गयी एक घण्टे की चर्चा तथा प्रदेश में वर्तमान रबी की फसल के गेहूँ की खरीद के लिये समर्थन मूल्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन।

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या–10-11-12 को स्थगित करते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या—43 परिवहन विभाग

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,68,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए?

श्री अधिष्ठाता—

(कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं? कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं? इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,68,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास), अनुदान संख्या–10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक विकास), अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या–15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या–16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला), अनुदान संख्या–17, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य),

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,07,38,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता—

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं? कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं? इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,07,38,39,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,98,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं। कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,98,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,92,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं? कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं? इसलिए मैं प्रश्न रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,92,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव रखता हूँ कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 कृषि अथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,98,94,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं?

कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे है? इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,98,94,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1999 की समाप्त होने वाले वर्ष के अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 98,02,74,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता—

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं? कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं? इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 98,02,74,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,00,44,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता—

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं? कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं, इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,00,44,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मै आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 10,75,20,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता—

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहें है? कोई भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 10, 75,20,000 रु० से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 21 जुलाई, 1998 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री शिवपाल सिंह यादव की जो जनपद फिरोजाबाद में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा लाखों रुपये की हेराफेरी किये जाने के संबंध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत। दूसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश में मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों से मिश्रित चिकित्सा प्रणाली में चिकित्सा का अधिकार अक्षुण रखने के लिए पृथक पंजीयन रजिस्टर बनाकर पंजीकरण के संबंध में। वक्तव्य हेतु स्वीकृत। तीसरी सूचना श्री ओंकार सिंह यादव की थाना जनपद बदायूँ के कस्बा सहसवान में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। चौथी सूचना श्री लोकपति त्रिपाठी की जनपद सोनभद्र में पत्थरों के खनन का कार्य बन्द हो जाने से बाढ़ नियंत्रण में पत्थरों का अभाव तथा मजदूरों के समक्ष बेरोजगारी से उत्पन्न

स्थिति के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। पाँचवी सूचना श्रीमती माया प्रसाद की जनपद खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पटना सकेयू के पास चौका नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। 6ठी सूचना श्री दीपक कुमार की जनपद उन्नाव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्क बनाने हेतु भूमि आवंटन में जिला प्रशासन द्वारा उदासीनता एवं विद्वेषपूर्ण रवैया अपनाये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। 7वीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की जनपद-गाजियाबाद में धौलाना तथा बराल नालों की सफाई न किये जाने से हो रहे जलभराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। आठवीं सूचना श्री उदयराज यादव की सिंचाई खण्ड उन्नाव के अधिकारियों द्वारा कथित रुप से शासकीय धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। 9वीं सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की जनपद बांदा के जसपुरा विकास खंड के अन्तर्गत गौरीकला से गढिया सम्पर्क मार्ग के निर्माण को पूरा न कराये जाने से जन सामान्य को हो रही अंसुविधाओं के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

10वीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की आर० ए० एल० सी० लखनऊ को विश्वविद्यालय को प्रशासकीय निमंत्रण में लेने तथा डा० ए० के० अग्रवाल वरिष्ठ चिकित्साधिकारी कम रीडर को आर० ए० एल० सी० में प्रोफेसर /निदेशक के पद पर नियुक्त किये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। 11वीं सूचना श्री लालजी वर्मा जनपद अम्बेडकरनगर की नगर परिषद् टांडा में पेयजल सुविधा हेतु दो ओवर हेड टैंक बनाये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, 12वीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल की जनपद गोरखपुर में सहकारिता विभाग में नियुक्त सहकारी निबन्धक द्वारा की जा रही अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। तेरहवीं सूचना श्री मुरलीधर की जनपद फतेहपुर में शाहजादपुर खागा में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण कराये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। चौदहवीं सूचना श्री श्रीरामपाल की प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलों में पशु बीमारियों की रोकथाम हेतु वैक्सीन उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। 15वीं सूचना डा० कौशल किशोर, और श्री विश्वनाथ की होम्योपैथी निदेशालय में प्राचार्यों के ज्येष्ठता निर्धारण व निदेशक के पद पर चयन में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन तथा निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। सोलहवीं सूचना श्री राम ललित चौधरी की प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों द्वारा हड़ताल पर चले जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

सत्रहवीं सूचना श्री सौलत अली एवं श्री इकबाल महमूद की लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित आवासीय कालोनी, कानपुर रोड योजना के सेक्टर-आई में वने एल० आई० जी० भवन संख्या 1385 से 1390 तक के भवनों के सामने जल भराव तथा नालियों की सफाई न किये जाने से सीवर के गंदे पानी के कारण संक्रामक रोगों के फैलने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, अटठारहवीं सूचना श्री श्याम प्रकाश की जनपद हरदोई के थाना कछौना के थानाध्यक्ष द्वारा डा० राजकुमार कुरील तथा भाई सुन्दर लाल को बेइज्जत कर झूठे मुकदमें में फंसाये जाने के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, उन्नीसवीं सूचना श्री राम औतार शाक्य की प्रदेश वित्तीय संकट के बावजूद विभिन्न निगमों द्वारा फिजूलखर्ची किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई है। जिनकी सूचनाएं अस्वीकृत हुई उन मा० सदस्यों के नाम है आचार्य रामदेव वैश्य, श्री यशपाल सिंह चौहान, डा० वकार अहमद शाह, श्री तौफीक अहमद, श्री राम ललित चौधरी, श्री विजय कुमार, श्री बाबूलाल कुशवाहा, श्री सतीश जतारिया, श्री छोटे लाल गंगवार, डा० राम बाबू हरित, श्री विजयपाल सिंह, श्री राम औतार शाक्य, व डा० धर्मज्ञ मिश्र।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मद संख्या 15, 16, 17, 18 19 एवं 20 के संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने जायें।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़े हुए माने गये)

श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के लाखों मजदूरों हेतु स्थानीय राजकीय श्रम कल्याण केन्द्रों को योजनाबद्ध तरीके से बन्द किये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

[श्रम विभाग में श्रमायुक्त संगठन में श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों के सर्वांगीण विकास एवं मनोरंजन हेतु वर्ष 1952 से राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों की स्थापना की गयी थी। सर्वप्रथम 19 केन्द्र खोले गये थे जिसकी संख्या वर्ष 1985 तक बढ़कर 92 हो गई थी। उस समय उपेक्षित श्रम वर्ग के लिए चिकित्सा, खेलकूद एवं मनोरंजन के साधन नहीं थे। उस समय ये श्रम हितकारी केन्द्र संगठित व गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समान रूप से उक्त सुविधायें उपलब्ध करा रहे थे।

कालान्तर में और विशेष रूप से 1990 के उपरान्त समाज में लोगों के रहन-सहन में आये बदलाव–टेलीविजन, रेडियों के प्रचार-प्रसार, सूचना के आदान-प्रदान, खेलकूद, पठन-पाठन एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आये बदलाव के कारण श्रमिकों का बहुत बड़ा वर्ग इन केन्द्रों की गतिविधियों से विमुक्त होने लगा तथा श्रमिकों की रुचि अन्य वैकल्पिक सुविधाओं की ओर से होने के कारण इन केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली गतिविधियां कम हो गई। असंगठित एवं गरीब मजदूर के अपने व अपने को परिवार की रोजी रोटी जुटाने में व्यस्त होने से इन केन्द्रों की क्रियाकिलापों में श्रमिक कम ध्यान देने लगे।

संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 122 एलोपैथिक 11 होम्योपैथिक एवं 11 आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत हैं। श्रमिकों सहित सर्वसाधारण को समस्त चिकित्सा सुविधा स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दी जाती है।

पठन-पाठन हेतु उपलब्ध पुस्तकें, समाचार-पत्र पत्रिकायें वर्तमान में अन्यत्र सुगमता से उपलब्ध होने के कारण केन्द्र में वाचनालय की व्यवस्था अप्रासंगिक हो गई है। नगर महापालिका/नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे पुस्तकालयों में पुस्तकें अधिकता से उपलब्ध होने के कारण पाठक वर्ग वहां जाना ठीक समझते हैं। रेडियों, टेलीविजन आदि की सुविधायें घरों में आसानी से उपलब्ध होने के कारण अधिकांश व्यक्ति जिनमें श्रमिक भी सम्मिलित हैं अपने घरों में ही इस सुविधा का उपभोग करने लगे हैं। सामान्यतः सभी नगरों में मैदान व पार्क की सुविधा, आउटडोर खेलों के लिए नगरमहापालिका द्वारा उपलब्ध है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट कोर्सों के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रदेश में इस समय 75 श्रम हितकारी केन्द्र कार्यरत हैं जिनमें 32 केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं। मकान मालिकों द्वारा भवन की मरम्मत न कराना, भवन को खाली कराने/किराया बढ़ाये जाने के संबंध में न्यायालय में बाद दायर करना–के कारण अधिकांश भवन जीर्ण एवं जर्जर स्थिति में है। ऐसे भवनों में स्थापित केन्द्रों की स्थिति दयनीय है। ऐसी स्थिति में इन भवनों

नोट –[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में श्रम हितकारी केन्द्र चलाना, केन्द्र के स्टाफ एवं यदाकदा उपयोग करने वाले लाभार्थियों के लिए असुरक्षित है।

इन केन्द्रों को चलाने हेतु बजट का अधिकांश हिस्सा वेतन भत्ते आदि के मद में व्यय हो रहा है। इस योजना में लगे स्टाफ के वेतन भत्ते आदि के मद में वर्ष 1995–96 में 5 करोड़ रुपये, 1996–97 में 5.5 करोड़ रुपये एवं 1997–98 में 5.7 करोड़ रुपये लगभग व्यय हुए। जबकि अन्य आनुसांगिक मदों में उक्त वर्षों में क्रमशः 30 लाख रुपये, 24 लाख रुपये एवं 25 लाख रुपये लगभग व्यय हुआ। श्रम हितकारी केन्द्रों के निष्क्रिय एवं अनुपयोगी होने के कारण वर्ष 1992 में 17 केन्द्रों को बन्द कर दिया गया। इसमें लगे अधिकांश स्टाफ को विभाग के रिक्त पदों पर समायोजित किया गया।

यह निर्विवाद है कि पचास-साठ के दशक में जिन उद्देश्यों को लेकर इन केन्द्रों की स्थापना की गई थी। वेतनमान में बदली हुई सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक हो गये हैं। इनके बन्द होने से किसी श्रमिक को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसके विपरीत उनके चलाने में आ रहे व्यय को विभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में जैसे प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करना, औद्योगिक संबंधों को सुधारने, बाल एवं बंधुआ श्रम प्रथा को समाप्त करने आदि में उपयोग में लाया जा सकता है।]

इस प्रकार श्रम हितकारी केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई जा रहीं सुविधायें अब अनेक अन्य विभागों, संगठनों एवं स्कीमों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है और इसके लिए विस्तृत ढांचागत सुविधा उपलब्ध है।

जनपद मथुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड–2 को चौड़ा करने एवं सौन्दर्यीकरण के नाम पर किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं विषयक सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

[जनपद मथुरा में राष्ट्रीय राज मार्ग सं०–2 का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण ओ० ई० सी० एफ० जापान से सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत रु० 125.75 करोड़ लागत से प्रस्तावित है। भूतल परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसार पुरानी दो लेन सड़क का सुदृढ़ीकरण कर सामान्यतः उसी लेबिल पर रखा गया है, जहां यह पूर्व में निर्मित थी जबकि मार्ग के दो लेन को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फर्म मै० स्टूप द्वारा भूतल परिवहन मंत्रालय के स्वीकृत मानकों के अनुसार परिकल्पित किया गया है जिसके कारण पुरानी व नई लेन के लेबिल में अन्तर दिखायी दे रहा है। यह कार्यवाही पूर्णतः मानकों के अनुसार है।

भूतल परिवहन मंत्रालय के स्वीकृत मानकों के अनुसार प्रश्नगत आबादी के किनारे रेलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी कारण मै० स्टूप के द्वारा रेलिंग का प्राविधान किया जाना आवश्यक नहीं माना गया। सड़क से बरसाती पानी के निकास हेतु आवश्यक संख्या में पुलिया का निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं मार्ग के बीच की मीडियन में भी पानी के निकास की व्यवस्था की गई है, जिससे बरसाती पानी मार्ग पर न रुक सके। मार्ग की परिकल्पना अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फर्म मै० स्टूप द्वारा निर्धारित मानकों के द्वारा की गई है तथा मार्ग तदानुसार निर्माणाधीन है।

मार्ग पर कोई भी दुर्घटना मार्ग में तकनीकी कमी के कारण नहीं घटित हुई है। भुगतान नियमानुसार वास्तविक माप के आधार पर किये जा रहे है जिसकी सतहवार गुणता एवं तल की

नोट –[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चेकिंग मै० कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार फर्म द्वारा निरन्तर व नियमित रूप से की जाती है। ग्राम बाद के सामने जो मार्ग का लेबिल मै० स्टूप द्वारा रखा गया है। वह उच्चतम बाढ़ लेबिल (एच० एफ० एल०) के अनुसार निर्धारित किया गया है। ग्राम बाह की आबादी की और मार्ग का लेबिल सामान्यतः लगभग एक मीटर ऊंचा है, जिसमें यदि रेलिंग लगवायी जाती, तो ग्रामवासियों की कठिनाई और बढ़ जाती। इसी कारणवश मै० स्टूप द्वारा इसका कोई प्राविधान नहीं किया गया। बरसाती पानी के निकास के लिये सम्पूर्ण मार्ग पर आवश्यकतानुसार पर्याप्त पुलियों का निर्माण किया गया है, जो कार्य स्थल पर सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।

रिफायनरी नगर के सामने पुरानी रोड विद्यमान है। उसकी सुदृढ़ीकरण हेतु केवल 9 से० मी० ऊंचा किया गया है। इससे स्पष्ट है कि इस स्थान पर मार्ग को ऊंचा नहीं किया गया। दूसरी ओर नया मार्ग निर्धारित मानकों के अनुसार निर्मित हुआ है।

सुपर बाजार एक तीस दुकानों की पूर्णतः प्राइवेट सम्पत्ति है। यह मार्केट रा० मा०–2 के बायी ओर स्थित है। सुपर बाजार की किसी सड़क को विभाग ने परिवर्तन नहीं किया है। इसके सामने राष्ट्रीय मार्ग दो का निर्माण उपरवर्णित निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया है। सड़क का ढाल यानि कैम्बर व सुपरएलीवेशन परिकल्पना के अनुसार है।

मार्ग एवं सुपर बाजार के मध्य बरसाती पानी एवं अन्य पानी की निकासी हेतु कबर्ड ड्रेन नियमानुसार निर्माणाधीन है जिससे मार्ग का पानी व अन्य भवनों का पानी की निकासी प्रस्तावित है। इस् प्रकार सुपर बाजार के भवन में क्षति सड़क निर्माण के कारण सम्भावित भी नहीं है। मार्ग के ढाल पर परिकल्पना के टर्निंग का प्राविधान है। तदनुसार कार्य कराया जा रहा है। परिकल्पना के अनुसार रेलिंग की आवश्यकता मै० स्टूप ने अनुभव नहीं की है। वर्तमान में भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

मार्ग के पानी के निकासी हेतु एक कवर्ड ड्रेन आवश्यकतानुसार निर्माणाधीन है जिससे मार्ग व आबादी के पानी का निकास हो सके। इस ड्रेन का लेबिल भली प्रकार चेक है, तथा पानी का निकास भी हो रहा है। जमीन की ढाल भी कल्वर्ट की ओर ही है तथा सुपर बाजार के मालिक ने भी अपने भवन का पानी का निकास कल्वर्ट में डाला है। इससे स्पष्ट है कि ड्रेन का ढाल उल्टा नहीं है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय मार्ग संख्या–2 का निर्माण ओ० ई० सी० एफ० जापान के सहयोग के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फर्म मेसर्स स्टूप के डिजाइन के अनुसार भूतल परिवहन मंत्रालय के विशिष्टियों के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार फर्म मै० कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज की सूक्ष्म निगरानी में किया जा रहा है। कार्य नियमानुसार एवं स्वीकृत प्राविधान एवं परिकल्पना के अनुसार विवेकपूर्ण तरीके से किया जा रहा है।]

जनपद रायबरेली में बछरावां क्षेत्रान्तर्गत तिलेन्डा से हलोर मार्ग पर असहन जगतपुर के पास महराजगंज ड्रेन पर पुल बनाये जाने विषयक सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

[तिलेन्डा से हलोर मार्ग अन्य जिला मार्ग की श्रेणी का लेपित मार्ग है। यह बहराइच बांदा मार्ग के कि०मी० 171 (चैनेज 170.84 कि०मी०) से प्रारम्भ होता है तथा हैदरगढ़ महाराजगंज

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रायबरेली मार्ग के कि०मी० 19 में मिलता है। इस मार्ग की लम्बाई 16 किमी है। इस मार्ग के कि०मी० 6 में (चैनेज 5.30 कि०मी०) पर महाराजगंज ड्रेन क्रास करती है। इस ड्रेन पर कोई पुल स्वीकृत नहीं है। मार्ग के दोनों ओर इस ड्रेन को स्थित छोटी-मोटी झील के समान है एवं इसका कोई सुस्पष्ट चैनल नहीं है।

2—मार्ग के चैनेज 5.30 कि०मी० पर इस क्षेत्र का सबसे नीचा लेबल होने के कारण बहाव का पानी इस स्थल पर मार्ग को क्रास करता है। सामान्य मौसम में जब पानी का बहाव कम होता है, पानी को निकासी हेतु हयूम पाइप पड़े हुए हैं। उन पर कच्चा रास्ता देकर मार्ग को यातायात के लिए चालू रखा जाता है। लेकिन बरसात के मौसम में जलस्तर तथा बहाव की गति बढ़ जाने से हयूम पाइपों के ऊपर का कच्चा रास्ता क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा पानी हयूम पाइपों के ऊपर से बहने लगता है। ऐसी स्थिति में वाहनों के लिए आवागमन अवरुद्ध हो जाता है तथा केवल पैदल चलने वाली जनता ही पानी में होकर पार हो पाती है। भारी वर्षा तथा बाढ़ की स्थिति में पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है तथा उक्त मार्ग भी काफी लम्बाई में डूब जाता है, ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन द्वारा नावों के द्वारा आवागमन की सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रस्तावित स्थल पर पक्के पुल निर्माण हेतु अनुमानित 30.00 रु० लाख धनराशि की आवश्यकता होगी। इसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

ज्ञान डेरी नानपारा, जरवल, जनपद बहराइच में दुग्ध विषयक किसानों का करोड़ों रुपया बकाया होने से उत्पन्न स्थिति सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

[मेसर्स ज्ञान सिक्योरिटी प्रेस लि० (डेरी डिवीजन) लखनऊ द्वारा जरवल, बहराइच में "कामधेनु डेरी" की स्थापना करने हेतु मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट आर्डर 92 के अन्तर्गत भारत सरकार को वर्ष 1992 में निबंधन हेतु आवेदन किया गया था। राज्य सरकार की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में इस डेरी को मिल्क पाउडर एवं घी निर्माण हेतु पंजीयन प्रदान किया गया। इस प्रमाण-पत्र के अनुसार ज्ञान डेरी को जनपद बहराइच एवं गोण्डा के आरक्षित सहकारी दुग्ध समितियों के ग्रामों को छोड़कर अवशेष क्षेत्र की दुग्ध संग्रह करने हेतु मिल्क शेड के रूप में आवंटित किया गया था।

इस पंजीयन में जनपद बहराइच का जरवल डेरी परिसर का उल्लेख किया गया है परन्तु ज्ञान डेरी द्वारा जनपद बहराइच के नानपारा में अनुरूप इकाई के रूप में अतिरिक्त चिलिंग प्लान्ट की स्थापना की गयी है जिसका उल्लेख उक्त निबंधन प्रमाण-पत्र में नहीं है। इस प्रकार बिना पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त किये ज्ञान डेरी द्वारा नानपारा में लगभग 20,000 लीटर क्षमता का अवशीतन केन्द्र स्थापित कर एम०एम०पी०ओ० 92 का उल्लंघन किया गया है। जिसके संबंध में उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त ज्ञान डेरी की उक्त इकाई द्वारा संबंधित जनपद आरक्षित क्षेत्रों से भी दुग्ध संग्रह की शिकायतें प्राप्त हुई है। इस संबंध में संबंधित फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है और इस संबंध में उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

जहां तक इन डेरियों द्वारा ग्रामीणों से क्रय किये गये दूध से संबंधित बीजकों के भुगतान का प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 1998-99 के बिलों के समक्ष ज्ञान डेरी नानपारा द्वारा दिनांक 1-4-98 से 7-5-98 तक क्रय किये गये कुल 9,09,267 कि० ग्रा० की कीमत रु० 77,79,92,00 का भुगतान अपने दुग्ध संग्रह केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीणों को कर दिया गया है। इसी प्रकार ज्ञान डेरी,

---

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जरवल बहराइच द्वारा इस वित्तीय वर्ष के बिलों के समक्ष दिनांक 1-4-98 से 7-6-98 तक क्रय किये गये 1,35,763 कि०ग्रा० दूध की कुल कीमत 10,24,205.00 रु० का भुगतान ग्रामीणों को किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त डेरी नानपारा द्वारा दिनांक 8-6-98 से दिनांक 16-7-98 तक क्रय किये गये कुल 2,40,909 कि०ग्रा० दूध का कुल मूल्य 21,14,670.00 रु० का भुगतान किया जाना शेष है। इसी प्रकार डेरी जरवल (बहराइच) की इकाई द्वारा दिनांक 8-6-98 से 16-7-98 तक क्रय किये कुल 48,660 किग्रा० दूध का मूल्य 3,97,008.00 रु० का भुगतान ग्रामीणों को किया जाना अवशेष है। इस प्रकार ज्ञान डेरी नानपारा एवं जरवल द्वारा दिनांक 8-6-98 से 16-7-98 तक की अवधि के लिए ग्रामीण किसानों को दूध के मूल्य का कुल 25,11,678.00 का भुगतान किया जाना अवशेष है। इस बकाया का भुगतान यथाशीघ्र दुग्ध उत्पादकों को किये जाने हेतु जिलाधिकारी बहराइच द्वारा संस्था के प्रतिनिधियों/प्रबंधकों को निर्देशित कर दिया गया है और संस्था द्वारा यह भुगतान यथाशीघ्र करने का आश्वासन दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इससे पूर्व यह प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं लाया गया था और न ही उनकी जानकारी में इस संबंध में कोई प्रदर्शन ही किया गया है।]

जनपद बांदा में कतिपय लेखपालों की पदोन्नति रोके जाने तथा उन्हें चार्ज न दिये जाने के फलस्वरूप चार माह के वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति विषयक सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

[मा० श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14-7-98 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में सूचित किया गया है कि जनपद बांदा में वर्तमान समय में 451 लेखपालों के पद हैं जबकि लेखपालों की संख्या 458 है। 7 वरिष्ठ लेखपालों में विगत वर्षों में पदोन्नति देकर दो लेखपालों को सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो 4 को कानूनगों बनाया गया था। माह अप्रैल 98 में जारी शासनादेश द्वारा उक्त पदों की पदोन्नति रोक दिये जाने के कारण उक्त 6 लोगों की पदोअवनति कर दी गयी किन्तु उनको लेखपालों का चार्ज नहीं दिया गया जिसके कारण 4 माह से उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है और न ही काम मिल पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में लेखपालों का परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया है। धनाभाव के कारण पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन तथा बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं हो पा रहा है। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के उपेक्षात्मक व्यवहार से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

2—इस प्रकरण की जांच में जिलाधिकारी, बांदा द्वारा अवगत कराया गया है कि इस जनपद में लेखपालों के 451 पद राजस्व निरीक्षकों के 25 पद, रजिस्ट्रार कानूनगो के 4 पद एवं सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के 12 पद स्वीकृत हैं जिनमें से जनपद में 451 लेखपाल कार्यरत थे तथा राजस्व निरीक्षक के 14 रिक्त पदों एवं सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो 2 पदों पर स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत वरिष्ठ लेखपालों को अस्थायी प्रोन्नति दे दी गयी थी। इस प्रकार स्थानीय व्यवस्था में 16 लेखपालों को प्रोन्नति देने के फलस्वरूप उक्त 16 पद लेखपालों के अस्थाई रूप से रिक्त थे। आयुक्त झांसी मण्डल झांसी के आदेश दिनांक 24-4-97 द्वारा 3 लेखपाल, आदेश दिनांक 17-5-97 द्वारा 2 लेखपाल तथा आदेश दिनांक 13-6-97 द्वारा 3 लेखपाल कुल आठ लेखपाल वाह्य जनपदों से स्थानान्तरित कर इस जनपद में इस निर्देश के साथ भेजे गये कि इनकी नियुक्ति स्थानीय व्यवस्था में कार्यरत राजस्व निरीक्षकों के रिक्त लेखपाल पदों पर समायोजित कर लिये जायें। उक्त स्थानान्तरित 8 लेखपालों में से एक लेखपाल का स्थानान्तरण जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 27-5-97 द्वारा जनपद छत्रपति साहूजी महाराज नगर जनपद सृजन के बाद किया गया। शेष 7 लेखपालों का समायोजन जनपद बांदा में आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार किया गया था।

शासन के कार्मिक अनुभाग की अधिसूचना संख्या–13/28/90–का–1-1001, दिनांक 8-11-91 द्वारा प्रचारित ''उत्तर प्रदेश लोक सेवा अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्तियों के संबंध में उपबन्धों के बिखण्डन नियमावली 1991 में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन कराने हेतु, परिषदादेश संख्या-380/3-त०ना०त०/48/98, दिनांक 16-3-98 निर्गत किया गया, जिसके द्वारा स्थानीय व्यवस्था में प्रोन्नतियां दिये जाने तथा दी गयी प्रोन्नतियों को समाप्त करने के निर्देश दिये गये। उक्त के अनुपालन में जनपद में स्थानीय व्यवस्था में प्रोन्नति प्राप्त 16 लेखपालों को मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया। शासकीय आदेश के अनुपालन में किये गये प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप जनपद बांदा में 7 लेखपाल स्वीकृत नियतन से अधिक हो गये। स्वीकृत नियतन से 7 लेखपालों की संख्या अधिक होने के कारण इनके वेतन भुगतान में वित्तीय प्राविधानों के कारण कतिपय गतिरोध उत्पन्न हुआ और इसके समाधान हेतु मण्डलायुक्त चित्रकूटधाम मण्डल से अनुरोध किया गया कि वाह्य जनपद से इस जनपद को स्थानान्तरित कनिष्ठ 7 लेखपालों को मण्डल के अन्तर्गत पुनः वाह्य जनपदों में स्थानान्तरित कर दिया जाय। तद्नुसार आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 17-7-98 द्वारा जनपद हमीरपुर के लिये स्थानान्तरित कर दिया गया है।

जनपद के प्रत्यावर्तित 7 लेखपालों के विपरीत 5 लेखपालों ने कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की। 2 लेखपाल प्रत्यावर्तन के साथ ही मेडिकल अवकाश पर चले गये। इस प्रकार 5 लेखपालों के माह अप्रैल व मई 1998 के वेतन दिये जाने की कार्यवाही कर दी गई है। चूंकि 2 लेखपाल मेडिकल अवकाश पर हैं, अतः उनके मेडिकल अवकाश से वापस आने पर उनके संबंध में भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।]

मेरठ महानगर की बेलग्राम नगर बस सेवा में तत्काल जनोपयोगी सुधार कराये जाने विषयक सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

[मेरठ में महानगर बस सेवा योजना के अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण मेरठ द्वारा निर्गत परमिटों से आच्छादित निजी बसें मेरठ महानगर के शून्य किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक तथा अपवादित परिस्थितियों में अधिकतम 25 किलोमीटर की त्रिज्या क्षेत्र में संचालित हैं।

प्रति सप्ताह दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने की बात सत्य नहीं है। महिलाओं के लिए अलग से सीटें आरक्षित कर दी गई है। बस ड्राइवरों के साथ उनके कोई व्यक्ति यात्रा नहीं करते। जहां तक जेब कटने की घटनाओं का संबंध है इस संदर्भ में पुलिस द्वारा पर्याप्त कार्यवाही की जाती है।

वाहनों के स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रदान करते समय वाहनों का निरीक्षण कड़ाई से किया जाता है तथा प्रवर्तन दलों द्वारा चेकिंग के दौरान भी अनियमितताओं को हतोत्साहित करने हेतु वाहनों के चालान भी किये जाते है। मेरठ महानगर बस योजना के अन्तर्गत यात्रियों की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु पूरी सजगता बरती जाती है।]

श्री अधिष्ठाता —

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पूर्वान्ह में फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

प्रेम चन्द सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

21 जुलाई, 1998

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी "क"

(देखिये अता० प्र० सं०—77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

संलग्नक

मछलीघर में 5 जनवरी, 1995 से 15 जनवरी, 1997 तक सुधार एवं रख-रखाव तथा एक्वेरियम से संबंधित क्रय किये गये सामान का विवरण ।

सामान आदि का विवरण–

1—दो अद्द ताले एवं एक अद्द कुण्डी का क्रय ।

2—डीजल का क्रय गंदा पानी निकालने हेतु ।

3—फिस फूड का क्रय ।

4—पुटीन का क्रय ।

5—दैनिक श्रम का भुगतान ।

6—एक्वेरियम हीटरों का क्रय ।

7—दैनिक श्रमिक का भुगतान ।

8—टब का क्रय ।

9—फिश फूड एवं एक्वेरियम पौधे आदि का क्रय ।

10—ब्लू गारेशी (दस), ब्लैक सोईटेल (छः), सोई टेल बड़ी (बारह), पेंजिल स्माल (बारह), एक्वै० मछलियों का क्रय ।

11—एक अद्द आल ग्लास एक्वे० (30"×15"×12") स्टैण्ड सहित का क्रय ।

12—छः अद्द एक्वे० शीशें का क्रय ।

13—आठ बोतल एसिड का क्रय ।

14—छः अद्द फिश फूड, 2 बैग बिटामिन, 6 ली० पेण्ट, 3 ब्रुश, 5 रेगमाल, 1 ली० तारपीन तेल तथा 3 मी० जाली का क्रय कार्टेज सहित ।

15—मछलीघर हेतु स्टाक रजिस्टर का क्रय ।

16—किसिंग गोरामी-12, टाईगर बार्ब-12, सोर्ड टेल-12, ब्लू गोरामी-12, गोल्डन गोरामी-12, टैक्सड्रों गप्पी-24, ब्लैक विडो टेट्रा-12, एक्वे० मछलियों का क्रय ।

17—250 ग्राम पुटीन का क्रय ।

18—तीन जोड़ा क्यो कार्पर, 5 जोड़ा सिंसिंग गोरामी, 6 जोड़ा रोजीबाबू, तीन जोड़ा टाईगर बार्ब, तीन जोड़ा मौली एक्वे० मछलियों का क्रय ।

19—बीस अद्द प्लास्टिक प्लाण्ट विभिन्न प्रकार के बड़े साईज में, बीस अद्द चायनीज एक्वे० खिलौने विभिन्न प्रकार के छोटे साइज में, अट्ठारह अद्द फीडिंग कप प्लास्टिक, दस अद्द फीडिंग कप एक्रेलिक, आठ अद्द पोटेशियम परमेंगनेट, आठ अद्द मर्क्यूरोफाम व नमक का क्रय ।

20—एम० एस० एंगिल, आथर शीट, वेल्डिंग राड, रिपिट का क्रय एक्वे० बनवाने हेतु ।

21—एक्वे० की विभिन्न रंगीन मछलियों, एक्वे, खिलौने, फिशफूड, एयर पम्प आदि का क्रय ।

22—30 कि० विटमिन ऐसिड, 3 एक्वे, ग्लास, एक्वे, प्लाण्ट्स, 8 पैकेट फिशफूड, टेप, पुटीन आदि का क्रय, कार्टेज पर व्यय ।

23—3 पैकेट फिश फूड का क्रय ।

24—6 अद्द एक्वे, शीशें, नमक का क्रय, कार्टेज पर व्यय ।

25—चार अद्द एक्वे०, हवा टयूब, चार बोल्ट फिश, बारह पर्ल गोरामी, छः अद्द ब्लू गोरामी, छः अद्द फेजिल ब्लैक, बारह अद्द गप्पी रंगीन एक्वे मछलियों का क्रय, ब्लेड, 12 बोतलें ऐसिड, 6 एम०एम०एक्वे ग्लारा, 5 पुरानी धोती, पुटीन आदि का क्रय एवं कार्टेज पर व्यय।

26—25 अद्द एक्वे०, हीटरों का क्रय।

27—25 अद्द चयनीज खिलौनों का क्रय।

28—बारह फिशिंग गोरामी, बारह ब्लैक मूर, छः ब्लू गोरामी, बारह पर्ल गोरामी, बारह टाईगर बार्ब रंगीन एक्वे० मछलियों का क्रय, 10 पैकेट फिश फूड का क्रय।

29—मछलीघर के टयुबेल मरम्मत का लेबर चार्जेज भुगतान।

30—ऐसिड, 8 एक्वे हीटरों का क्रय।

31—एक्वे० की विभिन्न रंगीन मछलियों का क्रय।

32—एक अद्द फाँक शीट का क्रय।

33—3800 ईंट (प्रथम श्रेणी) का क्रय।

34—10 घन मी० मौंरग का क्रय।

35—32 बोरी सीमेण्ट का क्रय।

36—14 घनमीटर, गंगा बालू का क्रय।

37—3700 ईंट (प्रथम श्रेणी) का क्रय।

38—37 बोरी सीमेण्ट का क्रय।

39—35 बोरी सीमेण्ट का क्रय।

40—मरम्मत कार्यों में लगे दैनिक श्रमिक की मजदूरी का भुगतान।

41—मरम्मत कार्यों में लगे दैनिक श्रमिक की मजदूरी का भुगतान।

42—मरम्मत कार्यों में लगे दैनिक श्रमिक की मजदूरी।

43—100 बोरी सीमेण्ट का क्रय।

44—24 पैकेट फिश फूड का क्रय।

45—4 अद्द स्कर माउथ फिश, 6 पैकेट फिश फूड का क्रय।

46—एयर पम्प का क्रय।

47—2 पैकेट फिश फूड एवं 1 एक्वे० हीटर का क्रय।

48—एयर पम्प का क्रय।

49—2 ऐंजिल ब्लैक, 2 किसिंग गोरामी, 4 गप्पी, 6 ब्लैक विडो, टेढा एक्वेवरियम मछलियों का क्रय।

50—2 अद्द एयर पम्प का क्रय।

51—4 पैकेट फिंश फूड का क्रय।

52—36 लीटर एनामिल पेण्ट, 6 ब्रुश, 5 ली० तारपीन तेल का क्रय पुताई रंगाई हेतु।

53—12 लीटर पेण्ट, 50 रेगमाल, 2 लीटर तारपीन तेल का क्रय पुताई रंगाई हेतु।

54—175 कि० सीमेन्ट पेण्ट का क्रय पुताई हेतु।

55—155 कि० सीमेण्ट पेण्ट का क्रय पुताई हेतु।

56—231 कि० चूना का क्रय पुताई हेतु।

57—पुताई, रंगाई कार्यों हेतु लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान।

नत्थी "ख"

(देखिये अता० प्र० सं०—89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के 5वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री अब्दुल मन्नान, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–89 के उत्तर के साथ संलग्न सूची

वर्ष 96-97 में स्वीकृत कार्य

1—कछौना से हथौड़ा मार्ग

2—कासिमपुर असई आजमपुर मार्ग से घुंघेरा ।

3—सण्डीला औरास से सरवन मार्ग ।

4—कासिमपुर असई आजमपुर से सिंघवल मलिहाबाद ।

5—कछोना हथौड़ा मार्ग से लोनहारा मार्ग ।

6—जामू लूमामऊ से महिगवां मार्ग ।

7—सण्डीला गौसगंज मार्ग से तलौली ।

8—जामूल लूमामऊ महिगवां मार्ग से रसूलपुर ।

9—एस० के० बी० मार्ग से बेंहदर कलॉ ।

10—गौसगंज तिरवा हसनापुर से बेंहसार ।

11—कासिमपुर असई आजमपुर से पिलखनी ।

12—कासिमपुर गौसगंज कैनाल पटरी से जरहा ।

वर्ष 97-98 में स्वीकृत कार्य

13—कासिमपुर सेमाडर रोड में कोइरी ग्राम के सामने 14वें कि०मी० का छूटा भाग ।

14—गौसगंज तिरवा हसनापुर का शेष भाग ।

15—रसूलपुर सम्पर्क मार्ग ।

16—सण्डीला गौसगंज मार्ग से मुसलमानाबाद ।

17—सण्डीला गौसगंज मार्ग से खजोहना ।

18—सण्डीला कासिमपुर मार्ग से दिवारी ।

19—सण्डीला कासिमपुर बांगरमऊ मार्ग से शाहपुर ।

20—एस०के०बी० मार्ग से करलांवा ।

21—एस०के०बी० मार्ग से सरेहरी मार्ग ।

22—सण्डीला बेनीगंज मार्ग से मदसेन ।

23—बालामऊ रेलवे फीडर से गाजू बिलौनी मार्ग ।

24—सण्डीला बेनीगंज मार्ग से बेरुवा ।

25—सण्डीला अतरौली मार्ग से मीरनगर अजगवां मार्ग ।

26—पलिया लखनऊ मार्ग से रैसों ।

नत्थी "ग"

(देखिये अता० प्र० सं०—116 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर)

वर्ष 1996-97 में नवीनीकरण हेतु चयनित मार्गों की सूची

1—दिवानगंज-बिबिया करनपुर मार्ग	कि० मी०–1, 5	2.00 कि० मी०
2—रानीगंज–देल्हूपुर मार्ग	कि० मी०–9	1.00 कि० मी०
3—दिवानगंज–मॅगरौरा मार्ग	कि० मी०–9 (0.90)	0.90 कि० मी०
4—फतनपुर–बीरापुर मार्ग	कि० मी०–3	1.00 कि० मी०
5—गाजी का बाग मुबारकपुर मार्ग	कि० मी०–2, 3	2.00 कि० मी०
6—जामताली–बीरापुर मार्ग	कि० मी०–1	1.00 कि० मी०
7—दादूपुर रेलवे फीडर का मार्ग	कि० मी०–1 (0.25)	0.25 कि० मी०
8—आसपुर देवसरा मार्ग	कि० मी०–9	1.00 कि० मी०
9—पट्टी बन्धवा मार्ग	कि० मी०–10, 13	2.00 कि० मी०

वर्ष 1997-98 में नवीनीकरण हेतु चयनित मार्गों की सूची

1—पट्टी कोहडोर मार्ग	कि० मी०–6, 7,14, 15,16 17, 18, 19, 20, 21, 24	11.80 कि० मी०
2—प्रतापगढ़–सुखपाल नगर मार्ग	कि० मी०–1 (0.40), 2, 3, 4, 6, 7, 8 (0.35)	5.75 कि० मी०
3—चिलबिला रेलवे फीडर मार्ग	कि० मी०–1 (0.43) (0.043)	0.43 कि० मी० 0.043 कि० मी०
4—प्रतापगढ़–नया माल गोदाम मार्ग	कि० मी०–1 (0.43)	0.43 कि० मी०
5—प्रतापगढ़–पुराना माल गोदाम मार्ग	कि० मी०–1 (0.275)	0.275 कि० मी०
6—प्रतापगढ़–रेलवे फीडर मार्ग	कि० मी०–1 (0.220)	0.220 कि० मी०
7—प्रतापगढ़–कटरा गुलाब सिंह मार्ग	कि० मी०–6, 7	1.20 कि० मी०
8—जगदीशपुर अन्तु प्रतापगढ़ मार्ग	कि० मी०–73, 74, 75, 78, 79	5.00 कि० मी०
9—दिवानगंज बेलखरनाथ मार्ग	कि० मी०–1, 2 (0.80)	1.80 कि० मी०
10—अमरगढ़ राजा का बाजार मार्ग	कि० मी०–2	1.00 कि० मी०
11—नरायनपुर मुजाहीं मार्ग	कि० मी०–1, 2	2.00 कि० मी०
12—सैफाबाद ढिढुई मार्ग	कि० मी०–1, 2	2.00 कि० मी०
13—आसपुर देवसरा मार्ग	कि० मी०–1, 5, 10, 12	4.00 कि० मी०
14—पट्टी बन्धवा मार्ग	कि० मी०–1(0.60), 2, 3, 11	3.60 कि० मी०

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० -14 विधान सभा–19-3-99–(2456)–813—(कम्प्यूटर/आफसेट) ।